अंक २

संख्या ६

बुधवार

१६ जुलाई, १९५२

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २६७३—२७१७]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २७१७—२७५८]

(मूल्य ४ आने)

438 PSD

लोक संभा

बुधवार, १६ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सुरक्षित निधि में भारत का भाग

*१७७०. **श्री एस० एन० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जापानियों द्वारा गत महायुद्ध में जो सम्पत्ति ज़बरदस्ती लेली गई थी उसके विक्रय से प्राप्त ३५ लाख डालरों में से भारत को भी कुछ भाग मिलेगा; और

(ख) यदि हां, तो भारत को कितनी राशी मिलेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). सुरक्षित निधि में से भारत को ८ प्रतिशत भाग के रूप में २७५,२९०·१२ अमरीकी डालर तथा २६०,८६९.८१ येन प्राप्त हुए हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं अन्य देशों के नाम जान सकता हूं जिन्हें कि इस निधि में से हिस्सा मिला है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अन्य देशों के नाम तथा उनके हिस्से इस प्रकार हैं :—

इंगलिस्तान	१२ प्रतिशत
चीन	२० प्रतिशत

नीदरलैन्ड्स	१२ प्रतिशत
फिलीपीन्स	१२ प्रतिशत
आस्ट्रेलिया	८ प्रतिशत
फ्रांस[1]	८ प्रतिशत
पाकिस्तान	८ प्रतिशत
ब्रह्मा	१२ प्रतिशत

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निधि में जापान से युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाली राशि भी सम्मिलित है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: इस में युद्ध क्षतिपूर्ति सम्मिलित नहीं है। यह निधि उस सम्पत्ति के विक्रय से जमा हुई है जो जापान द्वारा अन्य राज-क्षेत्रों से युद्ध के दौरान में लूटी गई समझी जाती है। यह युद्ध-क्षतिपूर्ति से भिन्न चीज़ है।

श्री एस० एन० दास : यह निधि विभिन्न देशों के मध्य किस आधार पर वितरित की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह बहुत पहले ही, कदाचित सम्बन्धित देशों को हुई हानि के आधार पर हमारी सम्मति लिये बिना ही, कर लिया गया था। भारत में हानि सब से कम हुई थी क्योंकि यह उसके महज़ छोटे से कोने में हुई थी। बर्मा तथा फिलीपीन्स में बहुत नुकसान हुआ था। यह स्पष्ट है कि आधार यही रहा होगा, अर्थात् जहां लूट सब से अधिक हुई थी।

राज्यों द्वारा न उठाया गया सूत

*१७७१. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गत तीन या चार मास से अनेक राज्य अपने सूत के निर्धारित कोटे को पूर्णत: नहीं उठा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या है?

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक अस्वीकृत कुल सूत की मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां।

(ख) कारण यह बतलाया जाता है कि मांग की कमी है तथा व्यापारियों के पास पहले ही बहुत सा माल जमा है।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४०**]

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सूत के उत्पादन तथा वितरण पर लगाये गये प्रतिबन्ध ढीले कर दिये गये हैं और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह एक विस्तृत प्रश्न है, जिस के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि पूर्व अवसरों पर मैं सदन को सूचना दे चुका हूं।

मिलों को इस बात की आज्ञा दे दी गई है कि वे विदेशी रुई से बना हुआ समस्त सूत, भारतीय रुई से बना हुआ ३३ १।३ प्रतिशत तक सूत, तथा राज्यों के नामनिर्देशित व्यक्तियों द्वारा अस्वीकृत समस्त सूत, लाइसेंस प्राप्त क्रेताओं में जिसे चाहें बेच सकते हैं। इस के साथ साथ जून १९५२ के अंत तक ६,००० गाँठें तथा उसके बाद ३१ अगस्त १९५२ तक ६,००० और गाँठें निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है। ३१ अगस्त तक उस सूत के निर्यात करने की भी आज्ञा दे दी गई है जो अप्रैल १९५२ में पैक की गई रुई से बनाया गया था। १० मई १९५२ से सूत के डाक द्वारा भेजे जाने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है तथा उसी तारीख से मिलों द्वारा राज्यों के क्रेताओं को सूत के मुक्त विक्रय पर तथा उसके ले जाने पर परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री एस० एन० दास: भारत में खड्डी उद्योग द्वारा उपभोग किये जाने वाले सूत की मात्रा में कितनी कमी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह अनुमान करना कि कोई कमी हुई है अथवा नहीं, हमारे लिये बहुत कठिन है क्योंकि खड्डियों सम्बन्धी हमारे आंकड़े अत्यन्त असंतोषजनक हैं। तथ्य उपपत्ति समिति का प्रतिवेदन नौ वर्ष पूर्व का है और इसलिये पुराना पड़ चुका है। किन्तु बुनकरों तथा मुख्य बुनकरों से प्राप्त शिकायतों तथा हथकरघे के कपड़े के प्रचलित मूल्य के आधार पर हम अनुभव करते हैं कि हथकरघा उद्योग की स्थिति आज कल अच्छी नहीं है और इसलिये स्वभावत: ही हथकरघा बुनकर अपेक्षाकृत कम सूत उठाते हैं।

श्री एस० एन० दास: सूत के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय पर तो कोई सही-सही बात कहना बड़ा कठिन है। मैं केवल मिलों के स्टाक की स्थिति के सम्बन्ध में बतला सकता हूं। मिलों में एक मास के सूत का स्टाक है। यह जो कंसेशन हम ने दिये हैं वे मिलों के हित में सिद्ध हुए हैं तथा स्टाक पर प्रभाव पड़ा है। यह कहना बड़ा कठिन है कि व्यापारियों के हाथ में कितना स्टाक है।

श्री एस० वी० रामस्वामी: क्या सरकार खड्डी (हथकरघा) उद्योग के सम्बन्ध में

तथ्य तथा आंकड़ों की नवीनतम परिस्थिति को ज्ञात करने का कोई प्रयास कर रही है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह एक ऐसा मामला है जिससे हमारा इस समय मुख्य सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि इस ओर हमें शीघ्र ही प्रयास करना पड़ेगा। किन्तु इस समय तो यह मामला हमने हाथ में नहीं लिया हुआ है।

श्री वीरस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास राज्य में बुनकरों को कितने सूत की आवश्यकता होती है और कितना सूत उन्हें दिया जाता है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस प्रश्न का तत्काल उत्तर देना मेरे लिये कठिन है।

श्री नाना दास: माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि व्यापारियों के पास बड़ी मात्रा में सूत पड़ा हुआ है, क्या मैं जान सकता हूं कि इसका कारण सूत का ऊंचा मूल्य है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह बात हो सकती है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे सूत का मूल्य ऊंचा होने पर उसकी ख़रीद कम हो जाती है। एक कारण यह है कि सूत ख़रीदने वाले लोगों के मस्तिष्क में यह भावना हो कि इस समय सूत का मूल्य ऊंचा है और आगे उसके कम होने की सम्भावना है।

सेठ अचल सिंह: क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि आजकल सूत कंट्रोल भाव से नीचे बिक रहा है और ऐसी हालत में वहां कंट्रोल उठाने की कृपा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि क्या वह नियंत्रित मूल्यों से कम मूल्य पर बिक रहा है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, यह तो बड़ी संतोषजनक परिस्थिति है कि हमारी निर्धारित दरों से भी कम मूल्य पर सूत बिक रहा है।

सेठ गोविन्द दास: इस परिस्थिति में, जब कि मूल्य गिर रहा है, क्या सूत पर से नियंत्रण हटाने का कोई विचार है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से भी नीचे चले गये हैं तो, जैसा मैं ने कहा, यह बड़ी अच्छी स्थिति है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम कंट्रोल उठा लें क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मूल्य उसी स्तर पर बना रहेगा। मेरी सूचना यह है कि सूत तथा कपड़े की कई श्रेणियों के मूल्य धीरे धीरे चल रहे हैं।

भाखड़ा बांध

***१७७२: श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५२ तक भाखडा बांध की जल निर्गम सुरंगों के कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

(ख) सुरंगों के व्यास कितने कितने हैं?

(ग) इन सुरंगों का प्राक्कलित परिव्यय कितना है?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) भाखड़ा बांध पर बनने वाली दोनों निर्गम सुरंगों में से प्रत्येक के निर्माण में ३१ मार्च, १९५२ तक की गयी प्रगति दर्शाते हुये एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ख) पूरी हो जाने पर दोनों निर्गम सुरंगों का आन्तरिक व्यास ५० फ़ीट होगा जब कि चट्टान तक खोदा गया व्यास लगभग ५८ फ़ीट है।

(ग) लगभग ३.२६ करोड़ रुपये।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूरी हो जाने के पश्चात् इन सुरंगों का क्या उपयोग किया जायगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : वे निर्माण कार्य पूरा होने तक पानी के निर्गम के लिये हैं। केबलों को ले जाने के पश्चात् उनमें से एक नाले की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सुरंगों के आन्तरिक व्यास की सतह 'ग्रेविटी' क़िस्म के कंकरीट से बनाई गयी है या किसी और चीज़ से ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

श्री बी० आर० भगत : क्या में ज्ञात कर सकता हूं कि इन सुरंगों पर होने वाला कार्य योजना के अनुसार ही हो रहा है अथवा कुछ विलम्ब हुआ है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि काम बहुत पीछे नहीं है। गत वर्ष बाढ़ के कारण कुछ हानि हुई थी जिससे कि कार्य में थोड़ी सी देर हो गई थी।

श्री बी० के० दास : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मंत्री जी द्वारा बताई गई लागत अभी हाल के प्राक्कलन पर आधारित है अथवा पहले के प्राक्कलन पर ?

श्री सी० डी० देशमुख : नवीनतम प्राक्कलन पर।

सोवियत रूस के साथ व्यापार

*१७७३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४८-४९, १९४९-५० तथा १९५१-५२ में पटसन और चाय की कितनी कितनी मात्रा सोवियत रूस को निर्यात की गयी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सन् १०५०-५१ में सोवियत रूस को पटसन, चाय अथवा अंडी के तेल का कोई निर्यात नहीं किया गया ;

(ग) यदि नहीं किया गया, तो उसके कारण ; और

(घ) सन् १९४८-४९ से सोवियत रूस से आयातों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है (वर्षवार तथा वस्तुवार) ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(ख) जी हां।

(ग) पटसन का निर्यात तो हमारे देश में उसकी कमी के कारण नहीं किया गया। अन्य चीज़ों की कदाचित रूस को इस काल में आवश्यकता नहीं थी।

(घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४३**]।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, विवरण से प्रतीत होता है कि सोवियत रूस को होने वाले हमारे निर्यात में वर्ष प्रति वर्ष कमी हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसके मुख्य कारण क्या हैं और सन् १९५०-५१ में पटसन का निर्यात क्यों नहीं किया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक व्यापार में कमी आने का प्रश्न है, जैसा माननीय सदस्य को विदित है, इस विशिष्ट दृष्टान्त में सामान्य व्यापारिक पहलू काम नहीं करते हैं। यह प्रश्न

दोनों सरकारों के बीच का है और इस समय में संक्षेप में केवल यही कहना चाहता हूं कि सोवियत सरकार अब उन चीज़ों का आयात नहीं करना चाहती जो वह भूतकाल में कर रही थी । जहां तक पटसन का प्रश्न है, मैं पहले ही बतला चुका हूं कि देश में इसकी कमी है तथा हमारी सरकार की नीति पटसन के निर्यात को उत्साहित न करने की है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सोवियत रूस के साथ हमारा किस प्रकार का व्यापारिक व्यवस्था अथवा समझौता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह दोनों सरकारों के बीच की व्यवस्था है तथा अधिकतर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है ।

श्री रघवय्या : बम्बई प्रदर्शनी में सोवियत प्रतिनिधि द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था । क्या सोवियत रूस के इस प्रस्ताव पर कि वह भारतीय मुद्रा स्वीकार करके भारत को माल प्रदान करने को प्रस्तुत है, सरकार ने रूस से व्यापार बढ़ाने की सम्भावना पर विचार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस समय प्रस्ताव याद नहीं आ रहा है । यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में प्रश्न की सूचना दें तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री नाना दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सोवियत रूस से हमने क्या क्या मुख्य वस्तुयें आयातित कीं ? क्या पूंजी माल का आयात करने की कोई सम्भावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रक्खे गये विवरण की ओर आकृष्ट करता हूं । द्वितीय भाग के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार की दृष्टि में यह बात आई है कि सोवियत रूस ने हमें न केवल खाद्यान्न ही वरन् मशीनें भी देने का प्रस्ताव किया था, बशर्ते कि हम बदले में उसे अपनी चीजें देने को तैयार हों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सूचना तो मुझे माननीय सदस्य से ही मिल रही है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या यह सत्य है कि वस्तु आदान प्रदान के इस व्यापार में रूसी सरकार अपनी मांगों के सम्बन्ध में बहुत अनुचित रही है तथा उसको सन्तुष्ट करने की कठिनाई के कारण बातचीत को बहुत समय तक खींचना पड़ा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

पटसन की वस्तुयें

*१७७४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल में निर्यात शुल्क में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप अमरीका से पटसन की वस्तुओं के आर्डर पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारत में मोटे टाट की अमरीकी खरीदारी अप्रैल, १९५२ में २.६ करोड़ गज़ से बढ़ कर मई, १९५२ में ११.९ करोड़ गज़ हो गई । पटसन की अच्छी खरीदारी होने की आशा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कच्चे पटसन पर निर्यात शुल्क में कमी होने से भारत यूरोप में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम दर प्रस्तुत कर सका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पटसन के निर्यात शुल्क में कमी कर देने से सरकार को खोये हुये बाजार को पुनः प्राप्त करने की आशा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां ।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव

*१७७५. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने और कौन कौन से देशों ने भारत में सन् १९५१-५२ में संयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म उत्सव में भाग लिया था ?

(ख) प्रत्येक देश से कितने कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुये ?

(ग) इस उत्सव में तथा इससे सम्बन्धित कार्य में भारत सरकार द्वारा कुल कितना रुपया व्यय किया गया ?

(घ) क्या अन्य देशों में होने वाले इस प्रकार के उत्सवों में भारत को भी आमन्त्रित किया जाता है ?

(ङ) यदि हां, तो भारत ने सन् १९४७ से किन किन उत्सवों में भाग लिया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख) । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४४**]

(ग) ८२,१५८ रु० ४ आने ।

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४५**]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं ज्ञ कर सकता हूं कि इस उत्सव में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा दिल्ली में कितने प्रलेखीय तथा घटनात्मक चलचित्र दिखलाये गये थे ?

डा० केसकर : सभी प्रदर्शित प्रलेखीय चलचित्रों के नाम उपरोक्त विवरण में दिये हुये हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि बच्चों के चलचित्र तथा 'पुतली' चलचित्र भी इस उत्सव में दिखलाये गये थे ?

डा० केसकर : विदेशी निर्माताओं के कुछ बालोपयोगी चलचित्र तथा 'पुतली' चलचित्र भी दिखलाये गये थे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार द्वारा बच्चों के चलचित्र तथा 'पुतली' चलचित्र निर्मित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

डा० केसकर : इस उत्सव के आयोजन का एक मुख्य प्रयोजन अपने फ़िल्म निर्माताओं को इस प्रकार के चलचित्रों की उपयोगिता तथा लोकप्रियता जतलाना भी था और हमें आशा है कि इन चलचित्रों को देखने के पश्चात् वे भी इस प्रकार के चित्र बनाने लगेंगे ।

श्री रघवय्या : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने फ़िल्म-प्रतिनिधियों के लिये इस देश में पर्यटन करने का क्या प्रबन्ध किया था और इसमें कितना रुपया व्यय हुआ था ?

डा० केसकर : इस प्रतिनिधि मण्डल ने स्वयं अपने व्यय पर ही पर्यटन किया था और हम ने इस सम्बन्ध में कोई रुपया खर्च नहीं किया ।

सरदार हुक्म सिंह : इस उत्सव का भारत के किन किन नगरों में प्रदर्शन हुआ ?

डा० केसकर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ये प्रदर्शन लोकप्रिय रहे ?

डा० केसकर : जी हां, ये प्रदर्शन बहुत सफल रहे ।

कोसी परियोजना

*१७७७. **श्री एल० एन० मिश्र**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कोसी की बाढ़ों की समस्या की तात्कालिकता को दृष्टि में रख कर कोसी परियोजना परामर्शदात्री समिति ने सिफ़ारिश की है कि बेलका बांध योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया है; तथा

(ग) सरकार बिहार राज्य तथा नेपाल सरकार के मध्य वित्तीय उत्तरदायित्व की राशि किस प्रकार निर्धारित करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां, अन्य बातों के साथ परामर्शदात्री समिति ने नेपाल में बेलका पहाड़ी के इलाके में जल-संग्रह बांध निर्मित करने की सिफ़ारिश की थी ।

(ख) भारत सरकार ने परियोजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रतिवेदन तैयार करने का आदेश दिया है जिसमें कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की सिफ़ारिशें तथा अन्य मुख्य मुख्य बातें हों । इस कार्य के लिये आवश्यक भूमि अध्ययन करने की अनुमति भी दे दी गयी है ।

(ग) बिहार राज्य तथा नेपाल सरकार के मध्य वित्तीय उत्तरदायित्व की राशि निर्धारित करने का प्रश्न इस प्रक्रम पर नहीं उठता ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान्, क्या मैं पुराने कोसी बांध तथा बेलका बांध की तुलनात्मक प्राक्कलित राशि जान सकता हूं ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, जहां तक मुझे स्मरण है, पुरानी कोसी बांध परियोजना की प्राक्कलित लागत १३५ करोड़ रुपये थी तथा बेलका बांध परियोजना की प्राक्कलित लागत ६६ करोड़ रुपये है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सत्य है कि कम लागत तथा अधिक तत्कालिक लाभ को देखते हुये बिहार सरकार ने अपना मत बेलका बांध योजना के पक्ष में व्यक्त किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : अन्तिम योजना अभी तैयार नहीं है किन्तु यह सम्भाव्य है कि बिहार सरकार बाद वाली परियोजना को ही पसन्द करे ।

श्री एल० एन० मिश्र : भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि इस प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियम हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं ।

श्रीमती सुषमा सेन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि हाल की कोसी बाढ़ से प्रभावित हुये पांच लाख व्यक्तियों को सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ।

श्री सी० डी० देशमुख : तत्कालिक सहायता का कार्य राज्य सरकार का है ।

श्री बी० आर० भगत : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार का विचार बेलका कोसी बांध परियोजना का एकीकृत परियोजना प्राक्कलन तैयार करने का है अथवा इस बांध को अलग से लिया जायगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : दी गयी सूचना से विदित होगा कि हमारा लक्ष्य एक छोटी किन्तु फिर भी एकीकृत परियोजना तयार करना है ।

मैंगनीज प्रस्तर तथा अभ्रक

*१७७८. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि विदेशों से मैंगनीज़ प्रस्तर तथा अभ्रक की मांग में कमी आ गई है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) सन् १९५०-५१ की तुलना में सन् १९५१-५२ में इस कारण राजस्व को कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अभ्रक की कुछ किस्मों की, विदेशी मांग में कमी हुई है । कच्चे मैंगनीज़ की मांग में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ख) अभ्रक की मांग सदा घटती बढ़ती रही है । अभ्रक की मांग में कमी आने का तत्कालिक कारण यह बतलाया जाता है कि कुछ खरीदार देशों के स्टाक की स्थिति में सुधार हो गया है ।

(ग) इसके कारण राजस्व में कोई कमी नहीं हुई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मांग में यह कमी केवल अस्थायी मात्र है अथवा कुछ कुछ स्थायी प्रकार की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमें आशा है कि यह अस्थायी मात्र है ।

डा० पी० एस० देशमुख : देश में कितना स्टाक है, क्या भारत सरकार इस बात के आंकड़े रखती है और यदि हां तो इस समय देश में कच्चे मैंगनीज़ तथा अभ्रक का कितना स्टाक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री नाना दास : क्या सरकार हमें यह बतला सकेगी कि विदेशी मांग में यह कमी कब तक चलती रहेगी और अभ्रक उद्योग की रक्षा करने के लिये इस स्थिति को दूर करने के प्रयोजन से क्या सरकार का कोई पग उठाने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, मैं ठीक ठीक उत्तर देने में असमर्थ हूं । जहां तक दूसरे भाग का प्रश्न है, मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन देशों को अभ्रक तथा मैंगनीज़ निर्यात किये जाते हैं तथा उस निर्यात का कुल मूल्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंगनीज़ प्रस्तर का निर्यात इंगलैंड, स्वीडेन, नारवे, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, अमरीका तथा अन्य कई देशों को किया जाता है । सन् १९५१-५२ में, २,२८,६७,१२० हंडरवेट कच्चे मैंगनीज़ का निर्यात किया गया जिसका मूल्य १६ करोड़ रुपये था ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अभ्रक की मांग में कमी होने का कारण विदेशों में कृत्रिम अभ्रक का उत्पादन होना है अथवा इसका कारण यहां उत्पन्न होने वाली अभ्रक की क़िस्म में खराबी आ जाना है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सामान्य धारणा यह है कि इसका कारण मुख्यतया विदेशों में बहुत सा स्टाक जमा कर लिया जाना है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैंगनीज़ प्रस्तर को निर्यात करने से पूर्व उसका शोधन करने की भी कोई योजना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

श्री मेघनाद साहा : मेरा तात्पर्य यह था कि ऐसा होने से हम मैंगनीज़ प्रस्तर के बजाय धातु निर्यात कर सकते थे । हम कच्चे मैंगनीज़ में से धातु निकालने की फ़ैक्टरी स्थापित कर के उस धातु का निर्यात कर सकते थे । अन्यथा आप बहुत सा रुपया खो देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है । वह सूचना के लिये प्रश्न पूछ सकते है । क्या माननीय मंत्री यह सूचना दे सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा मैं ने अभी कहा, मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री भगवत झा : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि सिंहभूम पहाड़ियों से मयूरभंज राज्य तक मैंगनीज़ बहुत बड़ी मात्रा में निक्षेप है और अभी तक उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं ।

हुगली में नौ-परिवहन

***१७७९. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) पूना अनुसन्धान स्टेशन में किये गये प्रयोग के परिणामस्वरूप बंगाल की खाड़ी तथा कलकत्ते के बीच हुगली में नौ-परिवहन समस्याओं की सुधार सम्बन्धी स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार उक्त अनुसन्धान स्टेशन के चालू वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रक्खेगी ;

(ग) पूना अनुसन्धान स्टेशन में और किन किन माडल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है ; और

(घ) प्रयोगात्मक मांडल परियोजनाओं पर कार्य करने वाले पूना की प्रकार के अनुसन्धान स्टेशनों की संख्या ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हुगली नदी और इसके मुहाने में नौ-परिवहन सुधार करने सम्बन्धी प्रयोग अभी केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान स्टेशन, पूना में जारी हैं । दुर्गम्य स्थानों जैसे संकराल, फुल्ता पाइंट तथा जेम और मेरी रीच—ईस्टर्न और वैस्टर्न गट को सफलता पूर्वक नौगम्य बनाया जा रहा है । एक पार्श्व बांध, जिससे संकराल रीच में सुधार होगा, पूर्ण किया जा चुका है तथा उसके परिणाम कलकत्ते के पत्तन आयुक्तों को भेजे जा रहे हैं ।

(ख) स्टेशन का चालू वर्ष (१९५०) का टैकनीकल प्रतिवेदन अभी तैयार हो रहा है । किन्तु उस का सारांश सदन पटल पर रक्खा जाता है [**प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई, देखिये संख्या पी ५७।५२**]

(ग) पूना अनुसन्धान स्टेशन में विभिन्न परियोजनाओं के २४ अन्य माडल-प्रयोग किये जा रहे हैं ।

(घ) पांच ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस स्टेशन को चलाने के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जब मैं पिछली बार पूना गया था तो मैंने देखा कि इस अनुसन्धान स्टेशन के कार्य में रुपये की कमी के कारण बाधा पहुंच रही थी, और इसीलिये मैं ने यह प्रश्न पूछा । क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष इस स्टेशन को पर्याप्त रुपया उपलब्ध कराने के लिये उचित व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मंत्रालय को रुपये की कमी सम्बन्धी कोई शिक़ायत नहीं प्राप्त हुई है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास पत्तन के विषय में पूना में किये गये अनुसन्धान सफल हुये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है । यह प्रश्न हुगली के सम्बन्ध में था, अब मद्रास के विषय में पूछा जा रहा है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या गंगा बांध योजना के सम्बन्ध में भी कोई प्रयोग किये जा रहे हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : अब हम हुगली से गंगा बांध पर आ पहुंचे ।

अध्यक्ष महोदय : उन का तात्पर्य जो मैं समझ सका हूं यह है कि भारत में सभी स्थानों के सम्बन्ध में पूना में प्रयोग किये जा रहे हैं । इसलिये क्या उन में से कोई प्रयोग गंगा बांध के सम्बन्ध में भी पूना में किया जा रहा है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, इसी बात के सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं । प्रश्न मुख्यत: हुगली की नौ-परिवहन समस्याओं से सम्बन्धित था ; तथा गंगा बांध के संबन्ध में मुझे पूर्वसूचना की आवश्कयता है ।

श्री टी० एन० सिंह : अभी आपने बतलाया कि वहां जो रिसर्च (गवेषणा) हो रही है उसके लिये वहां के अफ़सरों की तरफ़ से कोई मांग नहीं की गयी है । क्या मैं जान सकता हूं कि वहां वाक़ई उन लोगों को अपना रिसर्च करने के लिये स्थान की कमी है, यानी जो नहरें वहां बनती हैं उनके लिये थोड़ा सा और अधिक स्थान चाहिये और इस विषय में क्या उन्होंने कोई मांग नहीं की है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमारे पास तो इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार को विदित है कि गंगा बांध योजना के कार्यान्वित होने पर 'डायमंड हारबर योजना' बिल्कुल अनावश्यक होगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे खेद है कि मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूना सेंट्रल वाटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन (केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान स्टेशन) में हुगली के विषय में जो अनुसन्धान किया गया है, क्या उसको सरकार ने कार्यान्वित किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक मैं जानता हूं, उनका पूरा निवेदन अभी तक शासन के पास नहीं पहुंचा है ।

सूत तथा वस्त्र नियंत्रण

* **१७८०. डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार का वस्त्र तथा सूत पर

चल रहा वर्तमान नियंत्रण ढीला करने का इरादा है ?

(ख) यदि हां, तो कब से ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख)। वस्त्र तथा सूत की नियंत्रण सम्बन्धी स्थिति पर बराबर विचार होता रहता है तथा आवश्यकता होने पर समुचित परिवर्तन कर दिये जाते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सत्य है कि बम्बई और मद्रास सदृश कुछ बड़े राज्य वस्त्र नियंत्रण जारी रखने के विरुद्ध हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय पर मुझे उनसे कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कपड़ा मिलों को अपनी मर्जी के क्रेताओं को विक्रय करने की जो छूट दी गयी है वह चालू रक्खी जायेगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मोटे तथा मध्यम प्रकार के कपड़े के सम्बन्ध में यह छूट ३१ अगस्त, १९५२ तक रहेगी, बारीक और अतिबारीक कपड़े के सम्बन्ध में यह छूट एक मास और जारी रहेगी—वर्तमान स्थिति यह है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस तथ्य को देखते हुये कि इस समय वस्त्र तथा सूत की स्थिति में सुधार हो गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का विचार मूल्यों में और कमी करने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक का दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले में नियंत्रण हटाने में सरकार की राज्य सरकारों से बातचीत जारी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की है ।

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक कपड़े पर नियंत्रण का प्रश्न है, क्या इसे ढीला किया गया है और यदि हां तो इस ढिलाई की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है । तथा इसका उत्तर दिया जा चुका है । मोटे तथा मध्यम प्रकार के कपड़े के सम्बन्ध में मिल उत्पादन के ८० प्रतिशत के विक्रय के सम्बन्ध में छट दे दी गयी है और यह ३१ अगस्त, १९५२ तक रहेगी । इसी प्रकार की छूट बारीक तथा अतिबारीक कपड़े के सम्बन्ध में दी गयी है और यह ३० सितम्बर, १९५२ तक रहेगी ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो कपड़े पर से कन्ट्रोल ढीला किया है तो क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा उसे ढीला कराने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमें पूरा सहयोग देगी ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जो वर्तमान नियंत्रण विनियम हैं वे वितरण स्थिति पर अपनियंत्रण के समान हो जाते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह अपने अपने मत की बात है ।

भारत का विदेशी व्यापार

*१७८१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस पत्री

वर्ष के प्रारम्भ से भारत के निजी तथा सरकारी वैदेशिक व्यापार (समुद्र द्वारा तथा वायु द्वारा) के आंकड़े बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार को यह सूचना उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : सूचना प्राप्त करने के प्रयत्न की बात नहीं है, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सूचना उपलब्ध ही नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार इस सूचना को संकलित करने के लिये किसी साधन की व्यवस्था करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

बिहार अभ्रक खदानों के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समिति

*१७८२. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अभ्रक खदान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, १९४६ के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर परामर्श देने के लिये बिहार के लिये कोई मंत्रणा समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के कौन कौन सदस्य हैं; और

(ग) श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : क) जी

(ख) और (ग) । (१) श्री आर० एस० मिश्र, श्रम कल्याण आयुक्त— **सभापति**

(२) श्री एम० आर० हुदा, अभ्रक नियंत्रक, बिहार, **उप-सभापति**,

(३) श्री बी० पी० सिंह, श्रम आयुक्त बिहार ।

(४) श्री सुखलाल सिंह, सदस्य, बिहार विधान मंडल ।

(५) श्री आर० जी० अग्रवाल
(६) श्री भंदन राम मदानी
(७) श्री रामेश्वर पांडे
— बिहार की अभ्रक खदानों के मालिकों के प्रतिनिधि ।

(८) श्री हितनारायण सिंह
(९) श्रीमती राधिका देवी
(१०) श्री शाह रमज़ान अली शाह
— अभ्रक खनिक संघ के प्रतिनिधि ।

श्री एन० पी० सिन्हा : सन् १९५१ में इस समिति की कितनी बैठकें हुईं ?

श्री वी० वी० गिरि: यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है । बाद को मैं उन्हें यह सूचना दे सकूंगा ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या इस समिति ने सरकार को यह परामर्श दिया है कि अभ्रक खदानों के आसपास का जल अत्यन्त मलेरियाकारक है तथा अच्छा पीने का जल उपलब्ध कराने के लिये कुछ प्रभावपूर्ण प्रबन्ध करने की आवश्यकता है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह सूचना तो मैं माननीय सदस्य से ही प्राप्त कर रहा हूं । मैं आवश्यक निदेश भिजवा दूंगा ।

श्री नाना दास: क्या इसी प्रकार की एक समिति मद्रास में भी नियुक्त की गयी

है, और यदि हां तो इसके सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : गुडूर क्षेत्र में अभ्रक खनिकों के लिये एक परामर्शदात्री समिति है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: इस समिति के क्या कार्य हैं तथा इसके द्वारा किये गये निर्णय कहां तक बाध्य हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : इसका कार्य खनिकों के कल्याण सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर परामर्श देना है ।

श्री के० के० बसु : प्रश्न के भाग (ग) से उत्पन्न, क्या मैं जान सकता हूं कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों की क्या विशिष्ट अर्हतायें हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : वे विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधि होने चाहियें ।

श्री ए० एम० टामस : चूंकि प्रश्न १७८३ तथा १७८४ के अनुपूरकों के एक ही प्रकार के होने की सम्भावना है, अतः मेरा सुझाव है कि ये दोनों प्रश्न एक साथ ले लिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इससे समहत हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं दोनों का उत्तर साथ साथ देने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : तब श्री रामस्वामी दोनों प्रश्न एक साथ रख सकते हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, वे दोनों भिन्न भिन्न प्रश्न हैं और उनके अनुपूरक उत्तरों के एक से होने की सम्भावना नहीं है । फिर भी, मैं दोनों को एक साथ रखता हूं ।

खड्डी का बना कपड़ा (निर्यात)

*१७८३. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल के वर्षों में खड्डी से बने कपड़े के निर्यात में बहुत कमी आ गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ; तथा

(ग) खड्डी से बने कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). मांग की कमी तथा विदेशी बाज़ारों में प्रतिबन्ध होने के परिणामस्वरूप गत दो वर्षों में खड्डी से बने कपड़े के निर्यात में कमी हुई है ।

(ग) विदेशों में भारत सरकार के व्यापारिक प्रतिनिधियों को अपने प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शित करने के लिये भारतीय खड्डी से बने कपड़े के नमूने भेज दिये गये हैं और उन से भारतीय खड्डी से बने कपड़े का पूरी तरह प्रचार करने को कहा गया है ।

मिलों तथा खड्डियों के मध्य प्रतियोगिता

*१७८४. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सभी तरह के कपड़े के उत्पादन में मिलों तथा खड्डियों के मध्य अनियंत्रित प्रतियोगिता है ?

(ख) क्या सरकार के पास इस आशय के अभ्यावेदन भेजे गये हैं कि मिलों द्वारा बनाये जाने वाले कपड़े का क्षेत्र वह परिभाषित कर दे ?

(ग) क्या सरकार के पास इस प्रकार के अभ्यावेदन भेजे गये हैं कि मिलों में मोटी प्रकार की साड़ियों और धोतियों का बनाना वर्जित कर दिया जाये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस प्रकार की कोई अनियंत्रित प्रतियोगिता नहीं है ।

(ख) जी हां । कपड़ों की कुछ किस्में केवल खड्डियों द्वारा ही बनाई जाने के लिए सुरक्षित कर दी गई हैं ।

(ग) जी हां ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार को विदित है कि अप्रैल मास में सलेम में हुए खड्डी बुनकर सम्मेलन में दो ठोस सुझाव दिये गये थे, कि सरकार (१) खड्डी निर्यात वित्त निगम प्रारम्भ कर के तथा (२) उन देशों को जो हमारे खड्डी उद्योग का माल खरीदते रहे हैं प्रतिनिधि मंडल भेज कर, खड्डी उद्योग की सहायता करे जिस से कि हम इस के व्यापार में कमी आने के कारणों की तत्काल ही जांच कर सकें तथा उसे सुधारने के सुझाव दे सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि यह मामला स्वयं माननीय सदस्य द्वारा मेरी दृष्टि में लाया गया था ।

श्री एस० वी० राम स्वामी : स्थिति का स्वयं जा कर अध्ययन करने के लिये क्या सरकार कोई व्यापार प्रतिनिधि-मंडल भेजने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मद्रास सरकार का इस आशय का सुझाव है कि वह विभिन्न देशों में अथवा पड़ोस के देशों में, कुछ लोगों को भेजे । जब पिछली बार मैं मद्रास गया था उस समय यह बात मुझ से मद्रास सरकार के एक प्रतिनिधि ने कही थी । मुझे नहीं मालूम कि इस में आगे क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार खड्डी निर्यात वित्त निगम प्रारम्भ करने के सुझाव पर भी विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उन अर्थों में नहीं जो माननीय सदस्य समझते प्रतीत होते हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार को विदित है कि किस्म पर नियंत्रण की कमी होने के कारण हमारे निर्यात में कमी हो गई है और क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये पग उठा रही है कि केवल अच्छी किस्मों का ही निर्यात किया जाए ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सुनिश्चित करने के लिये कि खड्डियों से बने केवल अच्छी किस्मों के कपड़े ही निर्यात हों, उन के उत्पादन के मामले में कुछ नियंत्रण रखना आवश्यक है । इस समय तो मैं समझता हूं कि यह सोचना भी सरकार के लिए आवश्यकता से अधिक बड़ा कदम उठाना होगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार को विदित है कि खड्डी बुनकरों में बड़े पैमाने पर भुखमरी फैली हुई है तथा उनकी दशा शोचनीय है और हजारों व्यक्ति इस व्यापार से हाथ धो बैठे हैं तथा दिल्ली की सड़कों तक पर भीख मांग रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समाचार जो सामान्यतः निकलते हैं वे कुछ अतिरंजित होते हैं । इस को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात से अवगत है कि इस उद्योग में लगे हुए लोगों को आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई अनियंत्रित प्रतियोगिता नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार का नियंत्रण है ? क्या मिलों तथा खड्डियों के क्षेत्र परिभाषित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां । मिलों के लिए २ इंच से अधिक चौड़ी किनारी की साड़ियां बनाना वर्जित है तथा साड़ियों के उत्पादन के सम्बन्ध में और भी प्रतिबन्ध हैं । इसी प्रकार, जहां तक धोतियों का सम्बन्ध है, मिलों के लिए १/४ इंच से अधिक की चौड़ाई की किनारी वाली धोतियां बनाना वर्जित है । जो भी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, उन की एक प्रतिलिपि मैं सदन पटल पर रख सकता हूं । वास्तव में ये पूरे पृष्ठ पर आते हैं। इसलिये मैं ने कहा था कि कोई अनियंत्रित प्रतियोगिता नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि बढ़ते हुए स्टाक को देखते हुए सरकार ने इस प्रकार के कोई निदेश जारी किये हैं कि सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति खड्डी की दूकानों से पूरी की जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं जिस विशिष्ट राज्य के लिये माननीय सदस्य चिंतित हैं अर्थात् मद्रास, वह इस बात का जोरदार और दृढ़ प्रयत्न कर रहा है कि लोग खड्डियों से बने कपड़े का अधिक प्रयोग करें--मेरा तात्पर्य है कि केवल सरकारी खरीदारी ही नहीं वरन् यथासम्भव वैयक्तिक लोग भी ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि मेरे दायें बैठे हुए मेरे सहकारी ने इस मामले में कार्यवाही की है तथा यह निदेश जारी किया है कि सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले माल के सम्बन्ध में केवल मूल्य को ही आधार न माना जाए वरन् खड्डी से बने कपड़े को भी कुछ वरीयता दी जाए ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े मंगवाये हैं कि इस समय हाथ में कितना स्टाक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह मामला मुख्यतः राज्य सरकारों के क्षेत्र का है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं स्थिति के सम्पर्क में हूं। जैसा मैं ने बतलाया, जब मैं मद्रास गया था तो मद्रास सरकार के प्रतिनिधि से मैं ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया था । मैं ने अपने मंत्रालय के वस्त्र कार्य से सम्बन्धित एक उप-सचिव तथा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के एक विशेषज्ञ को हाल ही में मद्रास में भेजा था कि वह स्थिति का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर सकें जिस से कि वस्तुस्थिति का ठीक ज्ञान हो सके और हम इस मामले में जो सहायता उस की कर सकते हों करें ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि खड्डियों तथा मिलों के उत्पादन की सीमायें निर्धारित करने में सरकार ने खड्डियों से बने माल की विदेशी मांग का भी ध्यान रक्खा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, ये प्रतिबन्ध कुछ समय पूर्व लगाये गये थे और में माननीय सदस्य को बतला दूं कि हमारा विचार इन्हें पुनरीक्षित करने का है । इन प्रतिबन्धों को पुनरीक्षित करने तथा यह मालूम करने के लिए कि क्या कुछ और किया जा सकता है, मेरा इरादा विशेषज्ञों की एक छोटी समिति नियुक्त करने का है । ऐसा करने पर माननीय सदस्य की बात का भी ध्यान रक्खा जायेगा ।

श्री वेंकटारमन् : क्या केन्द्रीय सरकार मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त की गई खड्डी

उद्योग समिति की इस सिफारिश से अवगत है कि ३६ इंच तथा उस से कम चौड़े पने का कपड़ा मिलों में बनाया जाये तथा ३६ इंच से अधिक पने का कपड़ा खड्डियों के लिये छोड़ दिया जाये ? क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं जानना चाहूंगा कि खड्डी जांच समिति की कब स्थापना हुई थी। कई समितियों की नियुक्तियां हुई हैं मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य का किस समिति से आशय है ?

श्री वेंकटारमन : वह समिति जिस का सभापतित्व डा० बी० वी० नारायणस्वामी नायड ने किया था ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह तो . . .

श्री वेंकटारमन : तब मैं उन्हें एक पत्र लिखूंगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार खड्डी उद्योग को सहायता देने के लिए 'खड्डियों से बना माल खरीदो' आंदोलन चलाने का विचार रखती है ?

सिंगरेनी कोयला खदान में दुर्घटना

*१७८५. **श्री विट्टल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अप्रैल १९५२ को प्रातः समय कोठागुडियम की सिंगरेनी खदानों के बिरले गत में होने वाली दुर्घटना, जिस में दो मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, तथा एक अन्य बुरी तरह घायल हुआ था, के क्या कारण थे;

(ख) क्या इस दुर्घटना की भी कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो किस के द्वारा; और

(घ) क्या सरकार उपपत्तियों की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखेगी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) दुर्घटना का कारण एक स्तम्भ के कोने से एक कोयला-पुंज का गिर जाना था ।

(ख) जी हां ।

(ग) श्री बी० एम० भट, जूनियर इंसपेक्टर आफ माइन्स (खान निरीक्षक) ।

(घ) प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखना उचित नहीं होगा क्योंकि इस में वह सूचना है जो कि उक्त पदाधिकारी ने अपनी जांच के दौरान में संकलित की है और जिसे खदान अधिनियम १९५२ की धारा १० के अन्तर्गत गोपनीय रक्खा जाना चाहिये ।

श्री विट्टल राव : क्या यह सत्य है कि आधार छतों तथा कोयले की तहों की कटी हुई लकड़ी के लट्ठों का सहारा देने की पहले जो प्रथा थी वह व्यय में मितव्ययता लाने के हेतु त्याग दी गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है ।

श्री विट्टल राव : क्या यह सत्य है कि यदि पिट मैनेजर तथा सहायक पिट मैनेजर ने खदानों का समुचित निरीक्षण किया होता तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था ?

श्री वी० वी० गिरि : सदा से ही समुचित निरीक्षण किया गया है तथा निरीक्षक पदाधिकारी सामान्यतः सतर्क रहते हैं ।

श्री रघवय्या : क्या मृत मजदूरों के परिवारों का कोई ध्यान रखा गया था ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे विश्वास है कि इस पर अवश्य ध्यान दिया गया होगा ।

सिंगरेनी कोयला खदानों के कर्मचारी

*१७८६. **श्री विट्टल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोठागुडियम की सिंगरेनी कोयला खदानों के कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं,

(ख) झौंपड़ियों में रहने वालों की संख्या; और

(ग) उन लोगों की संख्या जिन्हें रहने के लिये क्वार्टर अथवा झौंपड़ियां नहीं दी गयी हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ४,५००

(ख) ६,५००

(ग) ५०० क्योंकि वे लोग खदान क्षेत्र से बाहर के गांवों में रहते हैं ।

श्री विट्टल राव : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सन् १९५२-५३ के लिये गृह-निर्माण के निमित्त कितनी राशि रक्खी गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह सूचना मेरे पास यहां नहीं है । किन्तु मैं कह सकता हूं कि हैदराबाद रियासत के विलय हो जाने तथा कल्याण निधि के केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लेने के पश्चात् कोयला खदानों के मालिकों से वादा किया गया है कि गृह निर्माण कार्य के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जायेगी और अब तक उन में से ३२० मकानों की नीव भर चुकी है। इन मकानों के सम्बन्ध की गई आर्थिक सहायता की प्रार्थना विचाराधीन है ।

श्री विट्टल राव : हैदराबाद राज्य में गृह निर्माण के निमित्त रखी गई २० लाख रुपये की राशि में से खदान क्षेत्रों के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं और तब विस्तारपूर्वक इस का उत्तर दूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या खदान मालिकों की मज़दूरों के लिये मकान बनाने की कोई योजना है, और यदि है तो स्थायी आधार पर कितने मकान प्रतिवर्ष बनाये जायेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : यह बात उपलब्ध राशि पर निर्भर है ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु प्रश्न यह है कि क्या नियमित रूप से मकान निर्माण की कोई योजना उन के पास है ।

श्री वी० वी० गिरि : वे एक नियमित योजना पर विचार कर रहे हैं। इस समिति ने अभी हाल ही में, संविलय के पश्चात् से, कार्य करना प्रारम्भ किया है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार यह बता सकेगी कि जो ६,००० मज़दूर इस समय झौंपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें रहने योग्य स्थान कब तक मिल सकेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : जितना शीघ्र कि सम्भव हो सकेगा ।

व्यवसायिक धन्धों में प्रशिक्षित विस्थापित व्यक्ति

*१७८७. **श्री विद्यालंकार** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च, १९५२ तक व्यावसायिक धन्धों में प्रशिक्षित विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ;

(ख) सन् १९५२-५३ में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की योजना है तथा उस पर कितना व्यय किया जायेगा; तथा

(ग) इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कि उसी धन्धे में कमाऊ हालत में लग गये हैं, उन की संख्या जो कि किन्हीं अन्य धन्धों में लग गये हैं तथा उन की संख्या जो अब भी बे रोज़गार हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ५९,६७३

(ख) (१) २३,६४२

(२) १,३५,०९,२००

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री विद्यालंकार : क्या सरकार यह मालूम करने के लिये कोई लेखा रखती है कि वास्तव में इस टेकनीकल प्रशिक्षण से कितने शरणार्थियों को लाभ पहुंचा ?

श्री ए० पी० जैन : आयव्ययक पर वाद विवाद के दौरान में मैं ने कहा था कि इन प्रशिक्षार्थियों के सम्बन्ध में हमें कोई सूचना नहीं है । जब कोई प्रशिक्षार्थी संस्था को छोड़ता है तो सूचना देना या न देना उस का कार्य है । दुर्भाग्यवश, बहुत कम प्रशिक्षार्थी बाद को इस बात की सूचना देते हैं कि वे किसी काम या धन्धों में लगे अथवा नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि जिन लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के पेशों की शिक्षा दी जाती है उन शिक्षित लोगों को सरकार नौकरी में लगा लेती है या उन को बाहरी काम में लगाया जाता है । और क्या ऐसे भी कोई लोग हैं जिन को अभी तक काम नहीं मिला है ?

श्री ए० पी० जैन : सरकार के पास आम तौर से कोई काम होता नहीं है, लेकिन जो निजी तौर से उद्योग धन्धे करने वाले लोग होते हैं उन के यहां इन लोगों को नौकरी मिल जाती है या वह अपना काम शुरू कर देते हैं । कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने काम नहीं किया और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन को काम नहीं मिल सका ।

श्री बी० के० दास : प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर से सम्बन्धित, क्या मैं पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े ज्ञात कर सकता हूं ।

श्री ए० पी० जैन : ३१ मार्च, १९५२ तक पश्चिमी बंगाल में व्यावसायिक धन्धों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ७,५२८ है । सन् १९५२-५३ में ११,९७० व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का विचार है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच करने के प्रश्न पर विचार किया है कि प्रशिक्षार्थियों के कितने प्रतिशत धन्धों में लग जाते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मैं इस का वादा नहीं कर सकता । यह रुपये का सवाल है । प्रशिक्षार्थी समस्त भारत में फैले हुए हैं तथा इस प्रकार की जांच करने में कितना रुपया व्यय होगा, अभी इसे देखना है । इस प्रकार की जांच उपयोगी सिद्ध होगी या नहीं, मैं यह नहीं कह सकता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग स्वयं अपना पेशा शुरू करना चाहते हैं उन्हें क्या सरकार कोई धन लोन (ऋण) के रूप में देती है ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, देती है । और अभी जो एक नई विज्ञप्ति निकाली गई उस में कहा गया था कि आइन्दा जो छोटे कर्ज़े हैं वह उन्हीं लोगों को दिये जायेंगे जो इस प्रकार के कामों की शिक्षा पा कर के निकलेंगे । उस बात पर अमल किया जायेगा ।

नदी घाटी परियोजनायें

*१७८८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा हाथ में ली गई नदी घाटी परियोजनाओं से भारत के किन भागों को लाभ पहुंचने की प्रत्याशा है और किस वर्ष से ये परियोजनायें खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहायता देने लगेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : भारत सरकार ने भारत में कोई भी नदी घाटी परियोजना सीधे अपने हाथ में नहीं ली है। किन्तु वह हीराकुड भाखरा-नंगल तथा दामोदर घाटी परियोजनाओं में धन व्यय कर रही है। एक विवरण सदन पटल पर यह दिखाते हुए रखा जा रहा है कि किन क्षेत्रों को इन से लाभ पहुंचेगा तथा किस वर्ष से वे खाद्य उत्पादन में सहायता देने लगेंगी।

विवरण

परियोजना का नाम	किन क्षेत्रों को लाभ होगा	किस वर्ष से अधिक अन्न का उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा
भाखड़ा नंगल	पंजाब (भारत) के हिसार, रोहतक तथा करनाल ज़िले ; राजस्थान में बीकानेर डिवीजन तथा पेप्सू में पटियाला ज़िला	१९५१-५२
हीराकुड	उड़ीसा राज्य के सम्बलपुर, कटक तथा पुरी ज़िले	१९५५-५६
दामोदर घाटी	पश्चिमी बंगाल के बर्दवान, हावड़ा, हुगली तथा बांकुरा ज़िले	१९५२-५३

सेठ गोविन्द दास : जो स्टेटमेंट (विवरण) माननीय मंत्री जी ने रखा है क्या उस में से वह यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह तीनों योजनायें कब से काम करना शुरू कर देंगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : वर्ष तो बताया है।

सेठ गोविन्द दास : वही मैं जानना चाहता हूं क्योंकि सब लोग स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो स्टेटमेंट पढ़ा है।

सेठ गोविन्द दास : मैं ने तो देखा है बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसलिये मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कौन से वर्ष में यह तीनों काम शुरू होंगे

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट में दिया है

सेठ गोविन्द दास : मैं केवल उन वर्षों की संख्या जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और प्रश्न पूछें।

श्री राधे लाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन तीन प्रोजेक्ट्स (परियोजनाओं) का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है उन में नहरें बनाने का खर्चा प्रति मील क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस का अलग विवरण तो मेरे पास नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : क्या मैं जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं को क्षमतापूर्वक तथा शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने

प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या पग उठाये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ।

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं । मेरा यह सवाल हिन्दी में दिया गया है, और जो सवाल हिन्दी में दिये जाते हैं उन का उत्तर हिन्दी में क्यों नहीं मिलता, उन का उत्तर अंग्रेज़ी में क्यों मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय : अंग्रेज़ी की अनुमति है । इस समय भी मैं अंग्रेज़ी में ही उत्तर दे रहा हूं ।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह आशा करता हूं कि जो मंत्री महोदय हिन्दी जानते हैं वह हिन्दी के प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में दें ।

अध्यक्ष महोदय : संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत मैं उन से ऐसा नहीं कह सकता । वे स्वयं ऐसा कर सकते हैं । मैं इस में कभी आपत्ति नहीं उठाऊंगा । मैं इस को प्रोत्साहित ही करूंगा । मैं उन से कह नहीं सकता कि वे हिन्दी में उत्तर दें । ऐसे सदस्यों की भी एक बड़ी संख्या है जो यह अनुभव करते हैं कि वे अंग्रेज़ी में अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं ।

श्री राघेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि चम्बल रिवर वैली (नदी घाटी) योजना के लिये जिस को कि प्रान्तीय सरकार पूरा नहीं कर सकती है प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से खर्च की मांग की है, और यदि की है तो केन्द्रीय सरकार क्या उस प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : सम्भव है कि वह अपने बल से इस योजना को पूरा न कर सकती हो । और यह सब प्रश्न नियोजन समिति के सामने हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने अगले प्रश्न के लिये कहा है ।

निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति

*१७८९. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस सम्पत्ति का कुल मूल्य क्या है जिस का नियंत्रण सरकार ने निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के नाते अपने हाथ में लिया था, और जो बाद में उन के मालिकों को लौटा दी गयी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : उस सम्पत्ति की कुल मूल्य सम्बन्धी सूचना जो किसी समय निष्क्रान्त सम्पत्ति समझी जाती थी तथा जो बाद को मालिकों को लौटा दी गई, उपलब्ध नहीं है । किन्तु इस बात का मान कराने के लिये कि किस सीमा तक सम्पत्ति वापस की गई है मैं उन व्यक्तियों की श्रेणियां बतलाता हूं जिन को कि सम्पत्ति वापस कर दी गई है :

(१) एक नीति सम्बन्धी निर्णय के अन्तर्गत उन लोगों को सम्पत्ति वापस कर दी गई है जो यद्यपि निष्क्रान्त घोषित कर दिये गये थे तथापि जो वास्तव में कभी भारत छोड़ कर नहीं गये । इस निर्णय के अन्तर्गत निम्नलिखित लोगों को सम्पत्ति वापस कर दी गई है :

(क) मत्स्य तथा गुड़गांव के १,०७,५०० मेवों को (इन में से कुछ मेव पुनः बसाये गये थे यद्यपि वे पाकिस्तान को चले गये थे और बाद को परमिट प्रथा जारी होने से पूर्व ही वापस चले आये थे । उन्हें १,७०,३९८ एकड़ कृषि भूमि वापस कर दी गई है) ।

(ख) पंजाब के अम्बाला तथा गुड़गांव ज़िले के मुसलमानों को जो कि अपने घरों से निष्कासित कर दिये गये थे किन्तु जो भारत में रहे आये ।

(ग) बयालीस व्यक्तियों को, इस बात की जांच कर लेने पर कि यद्यपि वे निष्क्रान्त घोषित कर दिये गये थे तथापि उन्हों ने भारत नहीं छोड़ा था । सम्पत्ति की वापसी के प्रमाण पत्र दिये गये ।.

(२) उन मुसलमानों को जिन्हों ने २ फरवरी से मई, १९५० तक के काल में उत्तर प्रदेश से प्रव्रजन नहीं किया । उन के मामले में भारत सरकार, अप्रैल, १९५० के नेहरू-लियाकतअली समझौते के पश्चात् उन्हें फिर से बसाने तथा उन की सम्पत्ति वापस कर देने के लिये तैयार हो गई थी । इस समझौते के अन्तर्गत २३,९९१ व्यक्ति वापस लौट आए हैं ।

(३) उन लोगों को जिन के मामले कि भारत सरकार द्वारा ३-७-५० को जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६०, के अन्तर्गत आते हैं जिस में कि कुछ श्रेणी के लोगों को १९५० के अधिनियम ३१ की धारा २ (घ) (१) के अन्तर्गत निष्क्रान्त माने जाने से अपवादित कर दिया गया है ।

(४) चार अन्य ऐसे मामले हैं, जिन में से तीन विदेशियों से सम्बन्धित हैं जिन में कि सम्पत्ति वापस कर दी गई है । उन्हें वापस की गयी सम्पत्ति का मूल्य ८,७३,६००० रु० है ।

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय. क्या मैं एक प्रार्थना आप से और कर सकता हूं कि जो प्रश्न हिन्दी में जावें वे इस लिस्ट में कम से कम हिन्दी में छपें और इस में यह न लिखा जाये : "मूलतः प्रश्न की सूचना हिन्दी में प्राप्त हुई ।" अंग्रेज़ी में भी छपें, इस में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब मूल प्रश्न हिन्दी में आता है तो मूल सूची में उस का हिन्दी में ही छपना आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं माननीय सदस्य का ध्यान वितरित की जाने वाली प्रश्नों की सूची की ओर आकर्षित करता हूं । भारत सरकार के प्रेस में, कुछ कठिनाइयां होने के कारण मूल प्रश्नों को हिन्दी में छापना सम्भव नहीं हो सका है इस लिये वे साइक्लो-स्टाइल करा लिये जाते हैं तथा अंग्रेज़ी प्रश्नों के साथ छाप दिये जाते हैं । माननीय सदस्य जानते ही हैं कि वे सदा परिचालित किये जाते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : मुझे तो कभी नहीं मिलता, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह विशिष्टतः माननीय सदस्य का ही दुर्भाग्य है ।

कुछ माननीय सदस्य : यह हमें भी नहीं मिलता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने सचिव की बात पर विश्वास करूंगा कि वितरित किये जाने वाले समस्त पत्रादि प्रत्येक सदस्य के लिए नयत खानों में रख दिये जाते हैं । माननीय सदस्य पूछ ताछ कर सकते हैं । केवलमात्र यह कह देने भर से कोई लाभ नहीं है वे उन्हें दिये नहीं जाते हैं ।

श्री सारंगधर दास : मुझे तो ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ ताछ कर लें । उन की मांग २ केवल इसी प्रकार पूरी की जा सकती है । वे सदस्य जो कि वास्तव में मूल प्रश्न हिन्दी में चाहते हैं इस प्रकार का आवेदन कर सकते हैं ।

श्री के० के० बसु : इस से सदस्यों को हिन्दी सीखने में सहायता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बात गम्भीरतापूवक नहीं कही गयी है । हिन्दी सीखने के लिये अन्य तरीके भी हैं ।

श्री वीरस्वामी : मैं कुछ माननीय सदस्यों की मशा जानना चाहता हूं जो कि हिन्दी में बोलते हैं, हिन्दी में प्रश्न पूछते हैं और हिन्दी में ही उन का उत्तर दिये जाने का आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर कई बार चर्चा हो चुकी है । माननीय सदस्य इस बात पर सदन का समय नष्ट न करें । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

आयातों पर प्रतिबन्ध

*१७९०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार कोई ऐसा पग उठाने पर विचार कर रही है जिस से कि ऐसी सब वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया जायेगा जो कि भारत में निर्मित की जाती हैं ;

(ख) प्रस्तावित प्रतिबन्ध किस प्रकार लगाये जायेंगे; और

(ग) ये प्रतिबन्ध सरकार किन किन वस्तुओं पर लगाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या सरकार आयातों की मात्रा पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य का क्या आशय है । यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि सरकार की नीति इस प्रकार प्रयुक्त की जाती है कि जिस से कुछ उद्योगों को, जो कि यह दावा करते हैं कि वे उन चीजों को अपने देश में ही निर्मित कर रहे हैं, सरक्षण मिलता है, तो मैं बतला दूं कि सरकार की यह नीति नहीं है । आयात नीति निर्धारित करने में सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि अमुक वस्तुयें कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और तब अपनी नीति निर्धारित करती है । सरकार किसी उद्योग की अप्रत्यक्ष संरक्षण की मांग स्वीकार नहीं करती ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या सरकार को इस प्रकार का कोई प्रतिनिधान अथवा शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ मामलों में संरक्षण का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न आयात नियंत्रण से संरक्षण पर ले आया गया है । यदि कोई विशिष्ट मामला माननीय सदस्य की दृष्टि में हो और वह उस पर प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार का ऐसे निर्माणी उद्योगों के लिये विदेशी पूंजी पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है जो कि हमारे देशी उद्योगों को नष्ट कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पूंजी भी एक प्रकार का माल है किन्तु इस प्रश्न विशेष के सन्दर्भ में यह प्रश्न संगत नहीं बैठता ।

श्री के० के० बसु : क्या समाचार-पत्रों में छपे इस वक्तव्य से सरकार अवगत है कि क्लोश्कर उद्योगों तक को तीन मास के लिये इस लिये बन्द रहना पड़ा था कि वे उस प्रकार के आयातित माल से प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे नहीं मालूम ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटसन के बोरों तथा टाट की स्थानापन्न वस्तुयें

* १७९१. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आजकल पटसन के बोरों तथा टाट के किन किन स्थानापन्नों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) मूल्य तथा क़िस्म में भारतीय पटसन के माल से ये कहां तक प्रतियोगिता कर सकते हैं और कर सके हैं; और

(ग) इन स्थापन्नों को कौन कौन से देश बना रहे और प्रयोग कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) काग़ज़ के थैले, सूती थैले तथा जूट जैसी अन्य वस्तुओं से बनी चीज़ें ।

(ख) काग़ज़ के थैले सब से सस्ते पड़ते हैं और इस लिये अमेरिका में उन के निर्माण में काफ़ी प्रगति हुई है । किन्तु पटसन के बोरे पुनः सस्ते हो गये हैं तथा काग़ज़ और सूत के थैलों से वे इस लिये अधिक लाभप्रद भी हैं कि उन्हें पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है । प्रतीत ऐसा होता है कि जूट के माल की खपत फिर बढ़ेगी ।

(ग) काग़ज़ तथा सूत के थैले मुख्यतः अमरीका में निर्मित ओर प्रयुक्त किये जाते हैं स्थानापन्न रेशों जैसे 'कनाफ कौंगो' पटसन तथा 'स्टाकरू' की वस्तुयें मुख्यतः योरुप, दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिणी अफ्रीका में बनाई और प्रयुक्त की जाती हैं ।

वाशिंगटन में नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी सम्मेलन

* १७९२. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अभी हाल में वाशिंगटन में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई सम्बन्धी एक विशेष सम्मेलन हुआ था, जिस में कि भारत ने भी भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था ;

(ग) भारतीय नदी घाटी परियोजनाओं से सम्बन्धित किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी ;

(घ) क्या वहां कोसी नदी की बाढ़ के नियंत्रण के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना पर सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित् वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के कार्यालय में ७ मई १९५२ से प्रारम्भ हुई बैठकों से है जिन में कि उक्त बैंक के इंजीनियरों के साथ-साथ भारत तथा पाकिस्तान के इंजीनियर भी उपस्थित थे ।

(ख) श्री एन० एन० खोसला, अतिरिक्त सचिव, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय ।

(ग) आर्थिक विकास के प्रयोजन से सिन्धु नदी प्रणाली से उपलब्ध जल राशि में वृद्धि करने के लिये सम्भावित टेकनीकल उपायों का अध्ययन ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में मुसलमान तीर्थ यात्री

*१७९३. **श्री गणपति राम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान से ५८ मुसलमान तीर्थयात्री पानीपत आये थे;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन शर्तों पर भारत आने की अनुमति प्रदान की गई थी ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने उन की यात्रा का कोई प्रबन्ध किया था और यदि हां, तो क्या ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित् उन ६८ मुसलमान तीर्थयात्रियों से है जो जून १९५२ में पानीपत आये थे ।

(ख) इन तीर्थयात्रियों को भारत में हुसैनीवाला होकर आने का परमिट दिया गया था तथा उन्हों ने पुलिस संरक्षण में हुसैनीवाला फीरोज़पुर लुधियाना-अम्बाला-करनाल पानीपत के मार्ग से यात्रा की और उसी मार्ग से वापस चले गये ।

(ग) पंजाब (भारत) सरकार ने पुलिस का प्रबन्ध किया था तथा पानीपत में उनके रहने के काल में उनकी रक्षा का प्रबन्ध किया था । भोजन मूल्य लेकर दिया गया था ।

शक्ति सुषभ (पावर एलकोहल)

*१७९४. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास में कोई चीनी मिल शक्ति सुषभ बनाती है ; और

(ख) भारत में चीनी मिलों की क्षमता कुल कितना शक्ति सुषभ तैयार करने की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) चीनी मिलें शक्ति सुषभ नहीं तैयार करती हैं । इसका उत्पादन भट्टियों में होता है । भारत में शक्ति सुषभ बनाने की कुल प्रतिस्थापित समाई १ करोड़ २७ लाख गैलन प्रति वर्ष है ।

चलचित्र जांच समिति की सिफारिशें

*१७९५. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चलचित्र जांच समिति ने चलचित्र उद्योग में 'सुधार' सम्बन्धी जो सिफारिशें की थीं उनको लागू करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : चलचित्र जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है ।

पाकिस्तानी हमले

*१७९६. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गत तीन सप्ताह के अन्दर सरकार को पूर्वी बंगाल के सशस्त्र सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्र में हमले करने के समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो

(१) उनकी संख्या ;

(२) किन-किन स्थानों पर हमले हुए ; और

(३) हमलों के परिणामस्वरूप हता-हत हुए व्यक्तियों की संख्या ; तथा

(ग) क्या पूर्वी बंगाल के निजी लोगों द्वारा भी भारतीय सीमाक्षेत्र में कोई हमले किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) (१) १५ मई से १५ जून १९५२ के दौरान में इस प्रकार की दस घटनाओं का समाचार मिला था, छः पच्छिमी बंगाल की सीमा पर और चार आसाम की सीमा पर।

(२) पच्छिमी बंगाल के नादिया, पच्छिमी दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद तथा माल्दा ज़िले तथा आसाम के गोलपाड़ा, कछार और के० तथा जे० पहाड़ी ज़िले।

(३) कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) जी हां, इस प्रकार की दो घटनायें पच्छिमी बंगाल के माल्दा तथा मुर्शिदाबाद ज़िलों में हुई।

अधिग्रहित तथा अर्जित सम्पत्तियां

* १७९७. **श्री विद्यालंकार :** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत दिल्ली तथा नई दिल्ली म्युनिसिपल क्षेत्रों में अब तक अधिग्रहीत तथा अर्जित सम्पत्तियों की संख्या ;

(ख) क्या इन में से कोई सम्पत्ति ग़ैर-सरकारी प्रयोजनों के लिये भी अधिग्रहीत की गई है तथा प्राइवेट लोगों अथवा कारपोरेशनों को दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों अथवा संगठनों के नाम ; और

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार के पास अनेक शिकायतें आई हैं कि कुछ अधिग्रहीत मकान लम्बे अरसे तक ख़ाली पड़े रहते हैं और फिर भी मकान मालिकों को नहीं लौटाये जाते ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अधिग्रहीत तथा अर्जित सम्पत्तियों की संख्या इस प्रकार है :

	अधिग्रहीत	अर्जित
नई दिल्ली	१	कोई नहीं
पुरानी दिल्ली	१६	कोई नहीं

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

नदी घाटी परियोजनाओं का कार्यनुसार वेतन पाने वाला कर्मचारीवर्ग

* १७९८. **श्री विद्यालंकार :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा-नांगल तथा हीराकुड परियोजना में नियुक्त ऐसे कर्मचारीवृन्द की संख्या जिसे काम के अनुसार वेतन दिया जाता है :

(ख) उपरियुक्त परियोजना में से प्रत्येक में इस प्रकार कार्य कर रहे कर्मचारी वर्ग में कितनों को सरकार द्वारा क्वार्टर दिये गये हैं ; और

(ग) कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में क्वार्टर देने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

अपहृत स्त्रियां

*१७९९. **श्री धूसिया : क्या प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन अपहृत स्त्रियों की नवीनतम संख्या जो पाकिस्तान से पुनः प्राप्त कर के भारत में लाई गई हैं ;

(ख) उनमें से कितनों का विवाह अथवा पुनः विवाह हो चुका है और यदि उन्हें इस सम्बन्ध में सरकार से कोई सहायता मिल रही ह तो क्या ; और

(ग) उन स्त्रियों में से असंरक्षित स्त्रियों के जीवन-यापन का साधन क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) ३० जून १९५२ तक ८,२०६ ।

(ख) और (ग) पुनः प्राप्त व्यक्तियों के वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है । पुनः प्राप्ति के बाद उन व्यक्तियों को तत्काल ही उनके मूल परिवारों को सौंप दिया जाता है । शेष थोड़े से बचों को, जिन के कि परिवारों का पता नहीं चल पाता, राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले पुनर्वास गृहों में भेज दिया जाता है जहां उनके साथ अन्य शरणार्थी स्त्रियों जैसा ही व्यवहार किया जाता है तथा व्यक्तिगत झुकाव के अनुसार ही पुनर्वासित करने में सहायता की जाती है ।

भारती चाय

*१८००. **श्री भगवत झा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैन्ड आदि देशों में भारतीय चाय का बाज़ार समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच करने के लिये कोई जांच समिति नियुक्त की है ; और

(ग) इन खोये हुए बाज़ारों को फिर से प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हाल के मासों में हमारे चाय के निर्यात में कमी आई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

अभिधमन (ब्लास्ट) भट्टियां

१८०१. **श्री भगवत झा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा अथवा मध्य प्रदेश में प्रस्तावित स्वयं अपनी अभिधमन (ब्लास्ट) भट्टियां चालू करने के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) काम कहां तक पूरा किया जा चुका है तथा सरकार का उन्हें कब तक प्रारम्भ कर देने का विचार है ;

(ग) इन के निर्माण का प्राक्कलित परिव्यय ; तथा

(घ) इन से प्रति वर्ष उत्पादित प्राक्कलित मात्रा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). आवश्यक संयन्त्रों को स्थापित करने के लिये बातचीत जारी है किन्तु इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि यह परियोजना कब प्रारम्भ होगी अथवा कहां स्थापित की जायेगी ।

(ग) और (घ) अन्तिम रूप से ब्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ है ।

पिटवां लोहे की फैक्टरी

*१८०२. **श्री भगवत झा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में स्थापित की जाने वाली एक पिटवां लोहे की

फैक्टरी में कुल लागत का कुछ प्रतिशत रुपया विनियोजित करने का एक प्रस्ताव जापान से प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार का विचार इस बात की सम्भावना की जांच करने के लिये जापान को एक प्रतिनिधि-मंडल भेजने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रतिनिधि-मंडल ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा उसके कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हा ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं, टोकियो में भारतीय दूतावास के द्वारा बातचीत अभी चल रही है ।

जापान में कुटीर उद्योग का अध्ययन

*१८०३. **श्री बी० एन० राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार का विचार जापान के कुटीर उद्योग के विशेष अध्ययन के लिये कुछ भारतीयों को जापान भेजने का है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी नहीं ।

भारतीय तेल परिष्करणियों में अमरीकी तथा ब्रिटिश हित

*१८०४. **श्री ० कृष्ण चन्द्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अमरिकी तथा ब्रिटिश प्राईवेट हितों द्वारा भारत में जो तेल परिष्करणियों खोली जाने वाली हैं उनके सम्बन्ध में क्या भारत सरकार ने उन्हें यह प्रत्याभूति दी है कि २५ वर्ष तक उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा ;

(ख) क्या इन में से किसी परिष्करणी ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो ३१ मई १९५२ तक कितनी मात्रा उत्पादित की गई है ;

(घ) क्या इन फर्मों से कोई औपचारिक समझौते किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां तो उन समझौतों की शर्तें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कोई औपचारिक समझौते नहीं किये गये हैं किन्तु न्यूयार्क की स्टैन्डर्ड आयल कम्पनी तथा लन्दन की बर्मा शैल कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पत्र-व्यवहार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं ।

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों की मुख्य बातें ३० नवम्बर १९५१ तथा १५ दिसम्बर १९५१ की प्रेस विज्ञप्तियों में प्रकाशित हो चुकी हैं ।

पाकिस्तान में हिन्दू भंगी

*१८०५. **श्री बाल्मीकी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हिन्दू भंगी अब भी पच्छिमी पाकिस्तान में रह गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या ।

(ग) उन में से कितने सन् १९५१-५२ के दौरान में छट्टी लेकर भारत में अपने गांवों को आये ;

(घ) उन में से कितनों को, पाकिस्तान वापिस जाने से इनकार कर देने पर, चुनौती दी गई ;

(ङ) क्या यह सत्य है कि हिन्दू भंगी जो कि भारत के निवासी हैं, पाकिस्तान जाने को मजबूर किये जाते हैं ; और

(च) इसका कारण ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ७४,००० ।

(ग) चूंकि जातिवार कोई आंकड़े नहीं रक्खे जाते ह, अतएव यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(घ) और (ङ). पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण अधिनियम के अन्तर्गत जिन लोगों पर मामला चलाया जाता है उन के जातिवार अथवा सम्प्रदायवार आंकड़े नहीं रक्खे जाते हैं। किन्तु यह अत्यन्त असम्भावित है कि पाकिस्तान से अस्थायी परमिट लेकर आने वाले किसी हिन्दू पर मामला चलाया गया हो और उसको पाकिस्तान वापस जाने के लिये मजबूर किया गया हो ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में इस्पात उत्पादन केन्द्र

***१८०६. श्री जी० पी० सिन्हा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस प्रकार की कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट थी कि बिहार में एक इस्पात उत्पादन केन्द्र स्थापित किया जाये ;

(ख) सन् १९५१ तथा १९५२ में आयात किये गये इस्पात की कुल मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में इस्पात के नये कारखाने स्थापित करने की सम्भावना की जांच करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये तीन परामर्शदाताओं ने बिहार के कई स्थानों के सम्बन्ध में विचार किया था किन्तु वहां किसी इस्पात के कारखाने की स्थापना की सिफारिश नहीं की ।

(ख) सन् १९५१ में १,७७,६४९ टन तथा ३० जून १९५२ तक १,०२,८७५ टन ।

इंजीनियरिंग तथा वस्त्र उद्योगों के लिये कार्यकारी मण्डलियां (वार्किंग पार्टीज़)

*** १८०७. श्री बंसल:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय उद्योग परामर्शदात्री परिषद् की स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने भारी इंजीनियरिंग तथा वस्त्र उद्योगों के लिये कार्यकारी मण्डलियां नियुक्त की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी इंजीनियरिंग तथा वस्त्र उद्योगों की इन कार्यकारी मण्डलियों ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इन कार्यकारी मण्डलियों का मुख्य सिफारिशें ; तथा

(घ) क्या सरकार द्वारा उन पर विचार कर लिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) भारी इंजीनियरिंग उद्योग की कार्यकारी मण्डली ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । सूती वस्त्र उद्योग की कार्यकारी मण्डली के प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा है ।

(ग) भारी उद्योग की कार्यकारी मण्डली द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों की एक सूची सदन पटल पर रक्खी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(घ) जी हां ।

कोयला खदानों में पीने का पानी

*१८०८. **श्री आर० बी० शाह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले की कोयला खदानों में पीने के पानी की सदा से बहुत कमी है जिस के कारण मज़दूरों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ।

(ख) क्या यह सत्य है कि सन् १९४५ में सरकार ने एक सिविल इंजीनियर श्री बैरी को पर्च कोयला खदान क्षेत्र में पानी मुहय्या करने की एक योजना की जांच करने के लिये नियुक्त किया था । जिसने कि पर्च नदी पर एक बांध बनाने का सुझाव देते हुए एक ब्यौरेवार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां तो पानी की कठिनाई अब भी दूर क्यों नहीं होती ?

श्रम मंत्री (श्री वी०वी० गिरि) : (क) छिंदवाड़ा ज़िले की कोयला खदानों में गर्मियों में पानी की कठिनाई हो जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस योजना की लागत अत्यधिक होने के कारण केन्द्रीय सरकार को इसे त्यागना पड़ा । राज्य सरकार से यह प्रार्थना करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं कि झरिया वाटर बोर्ड की भांति यहां भी एक वाटर बोर्ड की स्थापना की जाये । इस बोर्ड की स्थापना होने पर दशा सुधरने की आशा है ।

स्लेट

*१८०९. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में उन स्थानों के नाम जहां स्लेट के कारख़ाने हैं ;

(ख) उन स्थानों के नाम जहां स्लेट का पत्थर मिलता है ;

(ग) क्या स्लेट का भारत से बाहर निर्यात होता है ; और

(घ) यदि होता है, तो कितनी मात्रा में ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : (क) देश में बिखरी हुई लगभग २०० स्लेट फैक्टरियों में से, १५२ मद्रास राज्य में (मुख्यतः मरकापुर, कुम्बुम तथा गोजलाकोंडा में) हैं, ५ बम्बई (बीजापुर ज़िले) में, ५ पेप्सू (अटेली) में, २८ पंजाब (कुंड) में और १६ दिल्ली में हैं ।

(ख) अधिकतर मद्रास के कुरनूल ज़िले में तथा कांगड़ा घाटी में ।

(ग) जी हां ।

(घ) व्यापार लेखे में स्लेट के निर्यात आंकड़े पृथक् रूप से नहीं लिखे जाते ।

नागपुर तथा औरंगाबाद के रेडियो स्टेशन

*१८१०. **श्री के० जी० देशमुख :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नागपुर तथा औरंगाबाद के रेडियो स्टेशनों में कितनी कितनी किलोवैट शक्ति के ध्वनि-प्रसारक हैं ; और

(ख) क्या यह सत्य है कि निकट भविष्य में नागपुर के रेडियो स्टेशन पर एक ५० किलोवैट शक्ति का ध्वनि प्रसारक स्थापित किया जाने वाला है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नागपुर और औरंगाबाद में क्रमशः १ किलोवाट तथा आधे किलोवाट के मध्यम तरंग (मीडियम वेव) के ध्वनि प्रसारक हैं ।

(ख) जी नहीं । नागपुर में एक १० किलोवाट का मध्यम तरंग ध्वनि-प्रसारक स्थापित किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश में सामूहिक परियोजनायें

*१८११. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फोर्ड फाउन्डेशन स्कीम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में अब तक कितने केन्द्रों पर सामूहिक परियोजनाओं सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किया गया है ;

(ख) मध्य प्रदेश में "अमरावती केन्द्र" के अन्तर्गत कौन सा क्षेत्र आता है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अमरावती केन्द्र में क्या प्रगति की गई है ; और

(घ) अमरावती केन्द्र में इस योजना के कार्यकरण के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ।?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) एक ।

(ख) भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारी समझौते के अन्तर्गत मूलभूत प्रकार की एक ग्राम्य सामूहिक परियोजना मध्य प्रदेश के अमरावती ज़िले के लिये निर्धारित की गई है । कुल क्षेत्र ५२५ वर्ग मील है तथा अमरावती को छिंदवाड़ा तथा बेतुल ज़िलों से अलग करने वाली पहाड़ियों तथा मोरसी और दर्यापुर तहसीलों में पूरना नदी के मैदानों में स्थित है ।

(ग) कार्यारम्भ १ अक्टूबर १९५२ से होगा ।

(घ) मूलभूत प्रकार की एक ग्रामीय सामूहिक परियोजना की लागत ३ वर्ष के काल के लिये ६५ लाख रुपये है ।

कागज़ मिलों में विदेशी पूंजी

*१८१२. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कागज़ मिलों में कितनी विदेशी पूंजी विनियोजित है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ३० जून १९४८ तक लगभग ११९ लाख रुपये । बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

आप्रवजक आसाम से (निर्वासन) अधिनियम

*१८१३. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) आप्रवजक (आसाम से निर्वासन) अधिनियम १९५० का दसवां कब से तथा कहां तक क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने आव्रजकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और उसका परिणाम ;

(ग) इस अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) यह अधिनियम किस व्यवस्थातंत्र द्वारा प्रशासित किया गया था ; और

(ङ) ३१ मार्च १९५२ तक किया गया व्यय ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) आप्रवजन (आसाम से निर्वासन) अधिनियम १९५० का दसवां, जो १ मार्च १९५० को लागू हुआ था, आप्रवजन (आसाम से निर्वासन) अध्यादेश, १९५० के पश्चात् लागू किया गया था । उक्त अध्यादेश ६ जनवरी से पहली मार्च तक लागू था तथा अधिनियम १ मार्च से ८ अप्रैल तक । ८ अप्रैल १९५० के प्रधान मंत्रियों के समझौते में इस अधिनियम को रोक रखने के लिये तय किया गया ।

(ख) उक्त अध्यादेश तथा अधिनियम के अन्तर्गत आसाम से निकाले गये आव्रजकों की संख्या ३५४ है । कुछ व्यक्तियों पर जो आसाम वापस लौट आये, मामला चलाया गया, इन व्यक्तियों की ठीक ठीक संख्या सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है ।

(ग) पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति पर जिस में किसी व्यक्ति के निर्वासन के पक्ष में पर्याप्त कारण होते हैं, मजिस्ट्रेट अथवा सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट निर्वासन आदेश निकालने को अधिकृत हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्वासित किये गये व्यक्ति को छोड़ने के लिये आसाम की सीमा तक ले जाना होता है।

(घ) इस अधिनियम को लागू करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था-तंत्र नहीं स्थापित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट तथा सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने का अधिकार है।

(ङ) सूचना संकलित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

तथ्य उपपत्ति समिति

*१८१४. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे कोयला खदानों में अतिरेक श्रम के प्रश्न की जांच करने के लिये सरकार द्वारा जो तथ्य उपपत्ति समिति बिठाई गई थी क्या उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) सरकार को इस प्रतिवेदन पर विचार करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का इरादा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) अभी नहीं।

(ख) कोई समयावधि निश्चित करना सम्भव नहीं है, किन्तु इसके प्राप्त होने पर इस पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा।

(ग) सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर इस पर विचार किया जायेगा।

मुद्रण विशेषज्ञ

*१८१५. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अंतर्गत उपलब्ध मुद्रण विशेषज्ञ ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) उसकी नियुक्ति की अवधि तथा उसकी सेवा की शर्तें ; और

(ग) क्या सरकार का अपने मुद्रणालयों को एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो कौन कौन से मुद्रणालयों को ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने मुद्रण विशेषज्ञ की सेवायें दो वर्ष के लिये प्राप्त की हैं; आधार भूत वेतन, समुद्रपार भत्ता, सामान भत्ता तथा समुद्र यात्रा के दौरान का व्यय इंग्लैन्ड की सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उस विशेषज्ञ को भारत सरकार से कुछ सुविधायें और भत्ते और मिलेंगे जिस का ब्यौरा सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [**देखिये परिशष्ट ८, अनुबन्ध संख्या** ४७]

(ग) प्रेस की इमारत का विस्तार पूरा हो जाने पर, कवीन्सवे के भारत सरकार के लिथो प्रिंटिंग प्रेस को, एक पृथक् पार्श्व की भांति भारत सरकार के नई दिल्ली प्रेस से संलग्न कर देने का विचार है।

टाइपराइटर्स

*१८१६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार के समस्त कार्यालयों में गत तीन वर्षों में टाइपराइटर्स पर कुल कितना औसत वार्षिक व्यय हुआ ;

(ख) कौन कौन सी भारतीय फर्में टाइपराइटर्स का निर्माण करती हैं तथा उनका वार्षिक उत्पादन क्या है ; और

(ग) सरकारी ख़रीद में कितने टाइप-राइटर्स भारतीय निर्मित थे और कितने विदेशी निर्मित ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १०,८१,७७६ रुपये ।

(ख) टाइपराइटर्स का निर्माण किसी भारतीय फर्म द्वारा नहीं किया जाता ।

(ग) गत तीन वर्षों में ४,३२९ विदेशी निर्मित टाइपराइटर्स ख़रीदे गये ।

चीन में गये सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल के साथ प्रेस प्रतिनिधि

*१८१७. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चीन को गये भारतीय सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डल के साथ सरकारी व्यय पर कोई प्रेस प्रतिनिधि गया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर कितना व्यय किया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). भारतीय सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डल के साथ चीन को सरकार के व्यय पर कोई प्रेस प्रतिनिधि नहीं भेजा गया था । प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया का एक प्रतिनिधि उक्त शिष्ट-मण्डल के साथ गया था, किन्तु सरकारी व्यय पर नहीं ।

भारतीय प्रेस के दो सदस्य इस शिष्ट-मण्डल के ही सदस्य थे । वे शिष्ट-मण्डल के सदस्यों के रूप में गये थे। प्रेस प्रतिनिधिओं के रूप में नहीं ।

रामपद सागर परियोजना

*१८१८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रामपद सागर परियोजना को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा ; और

(ख) इस परियोजना की लागत क्या होगी तथा कितने क्षेत्र को यह सेवा प्रदान करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) इस बात पर एक टैकनिकल समिति द्वारा विचार किया जा रहा है तथा निर्णय उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही लिया जायेगा ।

(ख) परियोजना की प्राक्कलित लागत १२९ करोड़ रुपये है और यह २३·९६ लाख एकड़ भूमि को सेवा प्रदान करेगी ।

सामूहिक परियोजनायें

*१८१९. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सामूहिक परियोजनाओं की व्यवस्था करने के लिये कोई केन्द्रीय समिति है अथवा नियुक्त की जाने वाली है ; तथा

(ख) यदि हां तो इस समिति के सदस्य ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) और (ख). सामूहिक परियोजनाओं के प्रशासन व्यवस्था की जांच करने के लिये योजना आयोग को केन्द्रीय समिति की उत्संज्ञा दी गई है ।

अखिल भारतीय रेडियो स्टेशनों के लिये परामर्शदात्री समितियां

*१८२०. **श्री मादिया गौडा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय रेडियो स्टेशनों में से प्रत्येक के लिये परामर्शदात्री समितियां बनाई गई हैं ;

(ख) इन समितियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य क्या हैं ; तथा

(ग) वर्ष में उनकी कितनी बैठकें होती हैं ?

सूचना तबा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) अखिल भारतीय रेडियो समस्त स्टेशनों के लिये परामर्शदात्री समितियों बनाई गई हैं ।

१२ स्टेशनों पर ग्रामीण परामर्शदात्री समितियां बनाई गई हैं तथा ७ और स्टेशनों पर बनाई जा रही हैं ।

(ख) 'कार्य क्रम परामर्शदात्री समितियों' का काम महा संचालक को कार्यक्रम बनाने के मामले में जनमत के सम्पर्क में रखना है तथा स्टेशन संचालक को कार्यक्रमों के आयोजित तथा प्रस्तुत करने में परामर्श देना है ।

(ग) लगभग चार मास में एक बार ।

टाइपराइटर तथा गणना मशीनें

*१८२१. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में अमरीका से आयात किये गये टाइपराइटरों तथा गणना मशीनों की संख्या तथा मूल्य ;

(ख) इंग्लैन्ड से आयात किये गये रैमिंगटन टाइपराइटरों की संख्या तथा मूल्य ;

(ग) इंग्लैन्ड की रैमिंगटन रैंड कम्पनी के एजेंट के रूप में रैमिंगटन रैंड इनकारपोरेड इंडिया से रैमिंगटन टाइपराइटर्स खरीदने में सरकार को हुई बचत ; तथा

(घ) क्या भारत में प्रतिलिपक (डुप्लीकेटर्स) गणना मशीनें तथा लेखा मशीनें बनाई जा रही हैं और यदि हां तो कितनी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४८**]

गणना मशीनों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) भिन्न भिन्न प्रकारों के टाइपराइटरों के आयात के विषय में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(घ) भारत में केवल प्रतिलिपक (डुप्लीकेटर्स) ही बनाये जा रहे हैं । सन् १९५१ में १५६० बनाये गये तथा जून, १९५२ तक ३८३ ।

फरीदाबाद बस्ती में जमीन का पट्टे पर उठाया जाना

*१८२२. **श्री पुन्नूस :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार फ़रीदाबाद बस्ती म औद्योगिक कार्यों के लिये भूमि पट्टे पर उठ. रही है और यदि हां तो किन शर्तों पर ;

(ख) इस प्रकार की कितनी भूमि पट्टे पर उठाई जा चुकी है तथा कितने औद्योगिकों ने ली है ;

(ग) फ़रीदाबाद में उत्पादित की जाने वाली बिजली की कितनी मात्रा इस बस्ती द्वारा प्रयुक्त की जा रही है; और

(घ) जब से भारत सरकार ने इस बस्ती का कार्यभार अपने हाथ में लिया तब से इस में बनाये गये मकानों की संख्या तथा वे शर्तें जिन पर कि ये मकान विस्थापित व्यक्तियों को दिये जाते हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां । पट्टे की शर्तें दिखलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ख) २३ ग़ैर-सरकारी उद्योगों को ११३·४४ एकड़ भूमि उठाई जा चुकी है।

(ग) ५०० किलोवाट ।

(घ) अब तक कुल ५,१५६ मकान बनाये गये हैं । बस्ती के रजिस्टर्ड विस्थापित व्यक्तियों को किराया क्रय आधार पर ११ रुपये १४ आने प्रति मकान प्रति मास की किश्त पर ३० वर्ष में कुल अदायगी के आधार पर मकान दिये जाते हैं । विस्थापित व्यक्तियों की खराब आर्थिक हालत के कारण उन से इस समय ६ रुपये प्रति मास ही लिया जा रहा है ।

पाकिस्तान को निर्यात किये जाने वाले फल

***१८२३. श्री बी० एस० मूर्त्ति:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में पाकिस्तान को निर्यात किये गये फलों की प्रकारें तथा उनका मूल्य ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा कोई शुल्क लगाया गया था और यदि हां तो उसकी दर ; और

(ग) सीमा-शुल्क में विलम्ब के परिणामस्वरूप निर्यातकों को हुई हानि ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ग) पाकिस्तान जाने वाले फलों के पालन में विलम्ब होने के कारण निर्यातकों को हुई किसी प्रकार की हानि के सम्बन्ध में सरकार को कुछ विदित नहीं है ।

कपड़े के मूल्य

***१८२४. श्री एम० इस्लामुद्दीन:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई-सितम्बर की तिमाही में कपड़े का मूल्य पुनरीक्षित किया गया है और यदि हां, तो पुनरीक्षण का क्या परिणाम हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी हां । मोटे कपड़े के मूल्य में ५·५५ प्रति शत से ६·७५ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और बारीक कपड़े में भी ८·९ प्रतिशत से ११ प्रतिशत तक की किन्तु मध्यम तथा अति बारीक कपड़े के मामले में क्रमशः ०·६३ प्रतिशत से १·५८ प्रतिशत तक तथा ८·३ प्रतिशत से १३·८ प्रतिशत तक की कमी हुई है । वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी की गई अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । **[प्रति पुस्तकालय में रख दी गई देखिये संख्या पी-५८/५२]**

मुचकुंड परियोजना

*१८२५. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोरापुट जिला (उड़ीसा) में मुचकुंड हाइड्रौलिक परियोजना के कार्यकरण पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण है; तथा

(ख) यदि हां तो किस प्रकार का ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चाय पर शुल्क

*१८२६. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को भारत के केन्द्रीय चाय पर्षद् से चाय पर निर्यात तथा उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) चाय उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिये जो विशेष समिति स्थापित की गई है उसके प्रतिवेदन के प्रकाश में केन्द्रीय चाय पर्षद् की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा।

आसाम में नदी घाटी परियोजनायें

*१८२७. **श्री बेली राम दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम की नदियों के सम्बन्ध में कोई नदी घाटी परियोजनायें सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई परिमाप किया गया है; तथा

(ग) परिणाम क्या निकला ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय मिट्टी की जांच की जा रही है।

कांच की बोतलें (आयात)

*१८२८. **डा० अमीन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(ख) क्या खाली कांच की बोतलों, जैसे लमन सोडा तथा दूध की, के आयात के लिये आयात लाइसेंस दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जुलाई-दिसम्बर, १९५१, जनवरी-जून १९५२ और जुलाई-दिसम्बर, १९५२ के कालों में कुल कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये और उसका कारण; और

(ग) उपरियुक्त कालों में खाली कांच की बोतलों के आयात पर खर्च हुई कुल विदेशी मुद्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) दिये गये लाइसेंसों का कुल मूल्य इस प्रकार है :

जुलाई-दिसम्बर, १९५१	२,७६,१९१ रू०
जनवरी-जून, १९५२	६,१७,७६१ रू०
जुलाई-दिसम्बर, १९५२	अब तक कोई लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

लाइसेंस विशेष प्रकार की कांच की बोतलों को आयात करने के लिये दिये गये थे जो कि देश में मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाई जातीं।

(ग) १ जुलाई, १९५१ से मई १९५२ तक खाली कांच की बोतलों के आयात का कुल मूल्य ११·४६ लाख रुपये है (जून १९५२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)।

मद्रास राज्य के लिये लोहे तथा टीन की चादरें

*१८२९. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में मद्रास राज्य के लिये निर्धारित लोहे तथा टीन की चद्दरों का तिमाही कोटा ;

(ख) क्या हर तिमाही इस कोटे में कमी की जाती रही है और यदि हां तो उसके कारण ;

(ग) मद्रास राज्य के पालनी में तथा उसके आसपास 'पंचमृताम' टीन उत्पादित करने वाले कुटीर उद्योगों के लिये भी कोई मात्रा नियत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा और क्या इस मात्रा में गत तीन वर्षों में कोई कमी की गई है, यदि की गई है तो क्यों ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५२**]

(ख) जी हां, वितरण के लिये उपलब्ध मात्रा में कमी होने के कारण, ढलुवां लोहे के मामले में।

(ग) और (घ). यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

जिप निर्माण

*१८३०: **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में जिप तथा उस जैसा सामान बनाने वाली फ़ैक्टरियां की संख्या तथा उनके नाम;

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस का निर्माण करने वाली केवल मद्रास के मेसर्स लिंक इडस्ट्रीज़ लिमिटेड ही भारत की बड़ी फैक्टरी है ;

(ग) क्या लिंक इडस्ट्रीज लिमिटेड ने सरकार से यह अभ्यावेदन किया था कि जिपों को १९५२ के तटकर संशोधन विधेयक में संरक्षण के लिये सम्मिलित कर लिया जाये ;

(घ) क्या तटकर पर्षद् द्वारा इस उद्योग के संरक्षण की आवश्यकता के मामले में कोई जांच की गई थी; तथा

(ङ) यदि हां, तो क्या यह जांच इस उद्योग को तटकर संशोधन विधेयक में सम्मिलित करने से पूर्व की गई थी तथा तटकर पर्षद् की क्या सिफारिशें थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)): (क) और (ख). भारत में इस समय जिप का निर्माण केवल मेसर्स लिंक इंडस्ट्रीज मद्रास द्वारा ही किया जाता है।

(ग) जी नहीं। इस विधेयक में इसे पूर्व कालिक तटकर पर्षद् की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था जिस ने कि इस उद्योग में जांच की थी।

(घ) जी हां।

(ङ) जांच इस उद्योग को तटकर संशोधन विधेयक में सम्मिलित करने से

पूर्व की गई थी। तटकर पर्षद् की सिफारिशें सरकारी संकल्प में लेखबद्ध हैं जिस की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५३]

सिंगरेनी कोयला खदानों में दुर्घटना

*१८३१. **श्री विट्टल राव:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोठागुडियम की सिंगरेनी कोयला खदानों के ढलान संख्या २ में २२ जून, १९५० को हुई दुर्घटना के कारण ;

(ख) हताहत खनिकों की संख्या; तथा

(ग) क्या कोई सरकारी अथवा गैर-सरकारी जांच की गई थी और यदि हां तो उस जांच की उपपत्तियां ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) से (ग). सूचना संकलित की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

कुशल मजदूरों तथा कारीगरों की नियुक्ति

*१८३२. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सेवा योजनालय कुशल फैक्टरी मजदूरों तथा कारीगरों को भी नौकरी दिलाते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : जी हां।

न्यनतम मजूरी अधिनियम (कार्यान्विति)

४२८. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री सदन पटल पर यह दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कार्य करने वाले निम्न श्रेणी के कर्मचारिवर्ग के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम की कार्यान्विति में विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी प्रगति की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५४]

कोयले की कमी

४२९. **श्री गणपति राम** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न पूर्वी ज़िलों में निर्माण कार्य तथा मकानादि बनाने के लिये कोयले की अनुपलब्धता का मुख्य कारण माल-डब्बों की कमी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जी हां, यह, और साथ में मोकामाघाट पर नौपरिवहन की कठिनाइयां।

रबड़ का सामान

४३०. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-१९५२ में विभिन्न देशों से क्या क्या रबड़ का सामान आयात किया गया और प्रत्येक प्रकार के सामान का मूल्य; और

(ख) भारत में उन स्थानों के नाम जहां उपरियुक्त प्रकार की रबड़ की चीज़ें बनाई जाती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में केवल वे ही और उसी साइज़ की रबड़ की वस्तुयें आयात की जाती हैं जो यहां नहीं बनाई जातीं। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५५]

(ख) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास।

मजदूर संघ

४३१. **श्री पटेरिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देश में मार्च १९५२ तक मज़दूर संघों की कुल संख्या तथा उन में से प्रत्येक में कितने कितने सदस्य थे;

(ख) (१) समाजवादी दल (२) साम्यवादी दल (३) आई० एम० टी० यू० सी० और (४) स्वतंत्र दलों के साथ सम्बद्ध मज़दूर संघों की संख्या।

(ग) क्या देश में मज़दूर नेताओं को प्रशिक्षित करने का कोई प्रबन्ध है; और

(घ) अब तक कितने कृषि मज़दूर संघ पंजीकृत हुए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सन् १९५०-५१ के आंकड़ों के अनुसार जो अभी अंतिम नहीं हैं, २,८५३ सन् १९५१-५२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) मज़दूर संघों की सम्बद्धता सम्बन्धी सूचना संकलित नहीं की जाती और इसलिये उपलब्ध नहीं है।

(ग) उन संस्थाओं के नाम की सूची जहां प्रशिक्षण दिया जाता है संलग्न की जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(घ) १९५०-५१ के आंकड़ों के अनुसार जो अंतिम नहीं हैं, ९०। सन् १९५१-५२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली सेवा योजनालय

४३२. **श्री अजीत सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली सेवा योजनालय में सन् १९५२ में कितने व्यक्तियों ने (१) कुशल (२) अर्ध-कुशल और (३) अकुशल श्रेणियों में अपना नाम पंजीकृत कराया और प्रत्येक श्रेणी में से कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया; और

(ख) इस सेवा योजनालय पर कितना (१) आवर्ती (२) अनावर्ती तथा (३) चपरासियों, क्लर्कों, सहायकों और पदाधिकारियों पर पृथक् पृथक् खर्चा किया जा रहा है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) —

श्रेणी	जनवरी-मई, १९५२ में पंजीकृतों की संख्या	इसी काल में रोज़गार दिलाये जाने वालों की संख्या
(१) कुशल तथा अर्ध-कुशल शिल्पी	४,९१०	७११
(२) अकुशल मज़दूर	११,१५८	२,१३४

(ख) औसत मासिक व्यय इस प्रकार है :

(१) आवर्ती	१२,१४० रुपये
(२) अनावर्ती	२०० रुपये
(३) चपरासियों पर	१,००८ रुपये
क्लर्कों पर	३,९९७ रुपये
सहायकों पर	३९० रुपये
पदाधिकारियों पर	३,४८० रुपये

किराया नियंत्रण

४३३. **श्री राधा रमण :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में किराया नियंत्रक के पास किराया नियंत्रण के कितने मामले दर्ज कराए गए ;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष में उनमें से कितने मामले निर्णीत किये गये;

(ग) कितने मामलों में किराया पूर्व निर्धारित किराये से कम निर्धारित किया गया ; और

(घ) इनमें से कितने मामलों की अपील हुई और उस का क्या परिणाम हुआ ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) —

१९५०-५१	३०५
१९५१-५२	३५१

(ख) सन् १९५०-५१ में ३२० मामले निर्णीत किये गये जिसमें से ९३ वे थे जो उसी वर्ष दर्ज कराये गये थे। सन् १९५१-५२ में ३१७ मामले निर्णीत किये गये जिनमें से १७३ वे थे जो सन् १९५०-५१ में दर्ज कराये गये थे और १३२ सन् १९५१-५२ में।

(ग) ठीक ठीक संख्या तो उपलब्ध नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि अधिकतर मामलों में उससे कम ही किराया निर्धारित किया गया था जो कि मालिक मकान द्वारा पहले लिया जा रहा था।

(घ) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में पंजीबद्ध किये गये मामलों में से १७५ मामलों पर अपील की गई जिसका यह परिणाम निकला :

(१) ऐसे मामले जिनमें कि किराया नियंत्रक का निर्णय बहाल रखा गया	२५
(२) ऐसे मामले जिनमें कि किराया नियंत्रक का निर्णय निर्णीत कर दिया गया	७
(३) पुनः सुनवाई के लिये वापस भेजे गये मामले	५
(४) ऐसे मामले जिनमें कि किराया नियंत्रक का निर्णय संशोधित कर दिया गया	३
(५) जिन अपीलों के परिणाम का अभी पता नहीं है	१३५
योग	१७५

आस्ट्रेलिया से व्यापारिक शिष्ट-मंडल

४३४. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या व्यापारिक बातचीत के लिये आस्ट्रेलिया से कोई शिष्ट-मण्डल भारत आया है ; तथा

(ख) किन किन चीजों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी और सिगरेट

४३५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बनाई जाने वाली बीड़ियों की मात्रा तथा मूल्य ;

(ख) बीड़ियों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य ; तथा

(ग) आयात की जाने वाली सिगरेटों तथा सिगारों की मात्रा और मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मोटे अनुमान पर लगभग ६३,३३,३५,००० रुपये के मूल्य का लगभग १,२६,६६,७०,००,००० बीड़ियां प्रति वर्ष भारत में बनाई जाती हैं।

(ख) बीड़ियों के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५७**]

अखिल भारतीय रेडियो के कर्मचारी-कलाकार

४३६. **श्री के० सुब्राह्मण्यम् :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय रेडियो द्वारा कितने कर्मचारी-कलाकार सेवायुक्त किये गये हैं ;

(ख) उनकी सेवा, वेतन क्रम इत्यादि की क्या शर्तें हैं और क्या उन्हें पूर्णरूपेण सरकारी कर्मचारियों की भांति व्यवहृत किया जाता है ;

(ग) उनके स्थान स्थायी हैं अथवा वे संविदे पर निर्धारित काल के लिये नियुक्त किये जाते हैं जो समाप्त हो जाने पर फ़िर बढ़ा दिया जाता है ;

(घ) क्या कर्मचारी-कलाकार चिकित्सा तथा अन्य लाभों के अधिकारी हैं ; और

(ङ) क्या वे सरकारी आवास के अधिकारी हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) ३० जून १९५२ को कर्मचारी-कलाकारों की संख्या ८४० थी ।

(ख) अखिल भारतीय रेडियो के कर्मचारी-कलाकार सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं । वे संविदे पर नियुक्त किये जाते हैं तथा उन्हें मासिक वेतन दिया जाता है । किन्तु चूंकि उनके काम की प्रकृति सामान्य सरकारी कार्य से भिन्न है, इसलिये उनकी भर्ती, वेतन, वेतनवृद्धि, छुटी, यात्रा भत्ता, उपदान इत्यादि के विषय में विशेष नियम हैं ।

कर्मचारी-कलाकारों का वेतन बहुत सी बातों को देखकर निर्धारित किया जाता है जैसे गुण, उपयुक्तता, जिस काम के लिये उसे नियुक्त किया जा रहा है उसके लिये प्रतिभा की सामान्य उपलब्धता इत्यादि । कर्मचारी-कलाकारों के लिये कोई एकरूप वेतन निर्धारित नहीं किया जा सकता क्यों कि प्रतिभा की उपलब्धता तथा कलाकारों के गुण जगह जगह तथा व्यक्ति-व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं ।

(ग) सामान्यतया उन्हें तीन वर्ष के संविदे पर नियुक्त किया जाता है । (विशेष मामलों में इससे कम काल के लिये) संविदे अग्रेतर ३ वर्ष या उस से कम काल के लिये जैसा भी अखिल भारतीय रेडियो की आवश्यकता हो, नवीकृत कर दिये जाते हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं ।

उद्धार स्टेशन

४३७. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें ।

(क) भारतीय कोयला खदान उद्धार नियम, १९३९ के अनुसार दक्षिण भारत में कितने उद्धार स्टेशन मौजूद हैं ;

(ख) सन् १९५१-५२ में उद्धार स्टेशनों से कुल कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा ; और

(ग) सन् १९५१-५२ में उद्धार स्टेशनों पर कुल कितना व्यय किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) कोई नहीं ; ये नियम केवल झरिया तथा रानीगंज कोयला खदानों पर ही लाग होते हैं ।

(ख) और (ग). सूचना संकलित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

अंडी का तेल (निर्यात)

४३८. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४८ से १९५२ तक साधारण तथा परिष्कृत अंडी के तेल के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य ;

(ख) किन किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है ;

(ग) कौन कौन सी फ़र्में उनका निर्यात करती हैं;

(घ) इन फ़र्मों में से कितनी फ़र्में विदेशी अधिकृत तथा नियंत्रित हैं ; तथा

(ङ) क्या अंडी के तेल के निर्यात को नौवहन के लिये प्राथमिकता दी जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है ।

कोयला खदानों के मुखों पर स्नानगृह

४३९. **श्री विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) काठगुडियम तथा बैलमपल्ली की कोयला खदानों में गड्ढों के मुख के निकट कितने स्नानगृह हैं ;

(ख) कितने और बनाने की प्रस्तावना है ; तथा

(ग) सन् १९५२-५३ में गड्ढों के मुख के निकट स्नानगृह बनाने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) कोई नहीं ; किन्तु कुछ बनाये जा रहे हैं ।

(ख) नियमों के अंतर्गत पांच ऐसे स्थानगृह बनाने अपेक्षित हैं ।

(ग) खदानों में गड्ढो के मुख के निकट स्वयं अपने खर्च पर स्नानगृह बनाने का उत्तर दायित्व खदान मालिकों का है । किन्तु यदि ये स्नानगृह १२ नवम्बर, १९५२ तक कोयला खदान कल्याण आयुक्त के संतोषानुसार बन कर पूरे हो जाएं तो कोयला खदान श्रम कल्याण कोष में से, एक अधिकतम निर्धारित सीमा तक, लागत की दस प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जायेगी ।

प्रव्रजक (अनुसूचित जातियां और जन जातियां)

४४०. **श्री रूप नारायण :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान से भारत को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कितने व्यक्तियों ने प्रवजन किया है ;

(ख) सरकार ने उनके पुनर्वास पर कुल कितनी राशि व्यय की है;

(ग) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ; तथा

(घ) क्या उनके लिये पृथक रूप से कोई बस्ती स्थापित की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) भारत के महा पंजियक द्वारा यह सूचना अभी संकलित नहीं की गई है ।

(ख) अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के पुनर्वास पर पृथक् रूप से व्यय का गई राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) विस्थापितों के इस वर्ग के लिये लगभग २००० मकान बनाये गये हैं किन्तु वे लोग अन्य विस्थापितों की भांति सामान्य गृह-व्यवस्था योजना के अंतर्गत भी मकान पाने के अधिकारी हैं ।

(घ) जी हां ।

विस्थापित विद्यार्थी (छात्रवृत्तियां)

४४१. **श्री रूप नारायण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों में विस्थापित विद्यार्थियों पर सन् १९५१-५२ में उनके हाई स्कूलों तथा कालिजों के अध्ययन के लिये कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) इस योजना से कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा ; तथा

(ग) क्या राज्य सरकारों ने भी इसमें कोई अंशदान दिया था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के लिये विभिन्न राज्यों को १,३३,५७,००० रुपये की राशि दी गई है । शेष सूचना संकलित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

कोलर की सोने की खानों में दुर्घटना

४२२. **श्री विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोलर की सोने की खानों के क्षेत्र की चैम्पियन रीफ खदान में १ जुलाई, १९५२ को हुई दुर्घटना के कारण;

(ख) दुर्घटना में हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या ;

(ग) सन् १९४७ से कोलर सुवर्ण खदान क्षेत्र की खदानों में कितनी दुर्घटनायें हुईं, तारीखों तथा हताहतों की संख्या सहित ;

(घ) इन दुर्घटनाओं की पुनः आवृति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) श्रम मंत्री जी के अनुसार, इस दुर्घटना के बाद १९ अप्रैल, १९५२ को जो जांच हो रही थी उसका क्या परिणाम निकला ; तथा

(च) क्या सरकार इस जांच के प्रति-वेदन को सदन पटल पर रक्खेगी?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) दुर्घटना एक भारी शिला के फटने के परिणामस्वरूप हुई थी ।

(ख) दो व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं और ९ लापता हैं ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) २ नवम्बर, १९५२ को हुई दुर्घटना के कारणों की जांच किये जाने के परिणामस्वरूप इंस्पेक्टर आफ साइन्स, ऊरगांव, ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनमें निर्दिष्ट किया गया है कि दोषयुक्त धरातलों पर किस प्रकार सहारा दिया जाये । यह काम खदान प्रबन्धकों का होगा । इंस्पेक्टर ने समस्त खदानों के सुपरिन्टेन्डेंटों से भी इस विषय पर विचारविमर्श किया कि सावधानी बरतने के लिये और क्या कार्यवाही की जाये । गत २५ वर्षों में कोलर सुवर्ण खदानों में जो शिला स्फटन हुए हैं वे कैसे थे और किस प्रकार हुए इस

बात की जांच खदान विभाग द्वारा की जा रही है जिस से कि भविष्य में शिला स्फुटनों की पुनः आवृत्ति रोकी जा सके। १९ अप्रेल, १९५२ के शिला स्फुटन के कारणों की जांच करने की लिये एक समिति की नियुक्ति विचाराधीन है और इसकी उपपत्तियों से सरकार को सावधानी के उपाय ढूंढने में सहायता मिलेगी। १९५२ के खदान अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों को लागू करने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

(ङ) इंस्पेक्टर का जिन्होंने कि जांच की थी, यह मत था कि इस शिला स्फुटन का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था तथा खदान प्रबन्धकों द्वारा सावधानी के समस्त सम्भव उपाय कर लिये गये थे।

(च) आज मैंने तारांकित प्रश्न संख्या १७८५ के भाग (घ) का जो उत्तर दिया है उसकी ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करता हूं।

बुधवार,
१६ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार १६ जुलाई १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ता में पुलिस द्वारा बल प्रयोग

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक श्री गुरुपादस्वामी की ओर से है। वे चाहते हैं कि "कलकत्ता पुलिस द्वारा, मंगलवार, १५ जुलाई को नागरिकों के शान्तिमय जलूस पर, बल का प्रयोग करने, लाठी चलाय जाने और आंसू लाने वाली गैस छोड़े जाने के प्रश्न पर" चर्चा करने, के लिये सदन का काम स्थगित किया जाये। स्पष्ट हैं कि इस विषय का सम्बन्ध भारत सरकार से नहीं बल्कि

पश्चिमी बंगाल सरकार से है। अतः मैं इस की मंजूरी नहीं दे सकता।

पश्चिमी बंगाल के बारे में खाद्य नीति

अध्यक्ष महोदय : दो और स्थगन प्रस्ताव जिन की सूचना डा० मेघनाद साहा और श्री टी० के० चौधरी द्वारा दी गई है एक ही विषय के बारें में हैं। पहला इस प्रकार है :

"गत १३ जून को माननीय खाद्य मंत्री द्वारा घोषित तथा जिसे उन्होंने खाद्य आयव्ययक की चर्चा के उत्तर में इस सदन में दुहराया था नई खाद्य नीति को पश्चिमी बंगाल सरकार से कार्यान्वित करवाने में भारत सरकार के तुरन्त तथा प्रभावोत्पादक पग न उठा सकने के कारण पश्चिमी बंगाल में उत्पन्न स्थिति, जिस से कि" इत्यादि—जिस के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं—उन के शब्दों में "राज्य में सार्वजनिक आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू है।"

श्री टी० के० चौधरी का प्रस्ताव इस प्रकार है :

"बृहत् कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिक खाद्य प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए और पश्चिमी बंगाल के बारे में १३ जून, १९५२ को माननीय खाद्य मंत्री द्वारा घोषित नई खाद्य नीति को जिसे उन्हों ने आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान में सदन में दुहराया था, पश्चिमी

[अध्यक्ष महोदय]

बंगाल से कार्यान्वित करवाने के लिए, भारत सरकार के तुरन्त तथा प्रभावोत्पादक पग न उठा सकने के कारण पश्चिमी बंगाल में उत्पन्न स्थिति" ।

अब मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिन्हों ने इन प्रस्तावों की सूचना दी है, थोड़े से शब्दों में यह बता दें कि उन के विचार में नीति को कार्यान्वित करने में किस प्रकार असफलता हुई है और वह नीति क्या थी ताकि मैं इन की ग्राह्यता पर विचार कर सकूं ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : माननीय श्री किदवई ने नई खाद्य नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि बृहत कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न देने का दायित्व केन्द्र अपने ऊपर ले लेगा और इस नीति के परिणामस्वरूप कुछ अन्य पग भी उठाये जायेंगे । किन्तु पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कल घोषणा की है कि उन्हें केन्द्र सरकार से इस प्रकार का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ और वे इस नीति को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं । अतः जनता में बहुत बेचैनी है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या डा० साहा भी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : अग्रेतर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में सरकार की स्थिति जानना चाहूंगा ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल के बारे में सरकार स्थिति को ध्यान से देख रही है । कलकत्ता के बारे में माननीय खाद्य मंत्री ने जो दो वचन दिये थे वे ये हैं : लोगों को चावल के राशन के अतिरिक्त जो कि उन्हें नियंत्रित मूल्यों पर राशन की दुकानों पर मिलता है, उचित मूल्यों की दुकानों पर भी चावल मिल सकेगा । इस चावल का मूल्य ३० रुपये प्रति मन होगा जो कि निस्संदेह राशन के चावल के मूल्य से अधिक है । उचित मूल्य की दुकानें कलकत्ता में ७ जुलाई, १९५२ से शुरू कर दी गई हैं । इस प्रकार खाद्य मंत्री के वचन का यह भाग कार्यान्वित किया जा रहा है ।

खाद्य मंत्री का दूसरा वचन यह था कि भारत सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को १ लाख टन चावल देगी । इस में से ४४००० टन आवंटित कर दिया गया है । सदन को यह ज्ञात है कि चावल के परिवहन में कुछ समय लगता है और जहां तक हो सका है वचन के दूसरे भाग को कार्यान्वित करने के लिए भी पग उठाये गय हैं ।

ये दो प्रस्ताव विशेषकर कलकत्ता के बारे में हैं । खाद्य मंत्री का तीसरा वचन सुन्दरबन तथा नादिया जिलों के बारे में था उन्हों ने वचन दिया था कि इन क्षेत्रों के लिए १५००० टन चावल १५ रुपये प्रति मन के घटाये हुए मूल्य पर दिया जायेगा अर्थात् वास्तविक मूल्य में और विक्रय के मूल्य में जो अन्तर होगा वह सरकार देगी और विक्रय १५ रुपये प्रतिमन की साहाय्य प्राप्त दर से होगा । १५००० टन चावल १५ रुपये प्रति मन की दर से बेचने के लिए दिया जा चुका हैं ।

अतः मेरे विचार में इस सम्बन्ध में जो कुछ हो सकता था वह किया गया है । सदन यह अनुभव करेगा कि खाद्य नीति में परिवर्तन करने के लिए कुछ समय लगता है और

भारत सरकार के पास जो थोड़ा सा समय था, उस में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया गया है। निस्संदेह बंगाल में खाद्य स्थिति कुछ कठिन है। किन्तु जब से खाद्य मंत्री ने अपनी नीति की घोषणा की है, स्थिति सामान्य रूप से सुधर गई है। सदन तथा माननीय सदस्य को धैर्य से यह देखना चाहिए कि यह नीति किस तरह कार्यान्वित की जा रही है। मेरे विचार म जहां तक मुझे ज्ञात ह स्थिति बिगड़ी नहीं है। वास्तव में भारत सरकार का एक बहुत उच्च पदाधिकारी स्थिति का निरीक्षण करन, चावल को शीघ्र पहुंचाने और अन्य तरीकों से खाद्य मंत्री द्वारा दिये गय बचन को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए कलकत्ता गया है।

मेरे पास यही जानकारी है। उस पदाधिकारी के लौटने पर मैं सदन के सामने अधिक जानकारी रख सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने जो जानकारी दी है वह बहुत सामान्य है। क्या वे कुछ बातों को स्पष्ट कर सकते हैं ? कहा गया है कि बंगाल के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार को एक तार भेजा है। सरकार ने उन्हें क्या उत्तर दिया है ? यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। कितनी दुकानें खोली गई हैं और वे कब से खोली गई हैं ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मैं ने कहा है कि ७ जुलाई से।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु कितनी दुकानें खुली हैं ? क्या कोई क्षेप भेजा गया है ? उन्हों ने कहा है कि एक लाख मन चावल देने का वचन दिया गया था। कितने मन चावल बंगाल के लिए भजा जा चुका है ? यदि वे इन विषयों पर स्पष्ट जानकारी दें, तो मैं निश्चय कर सकूंगा कि नीति को किस हद तक कार्यान्वित किया गया है और यदि वे यह जानकारी अभी नहीं दे सकते तो कल दे दें। मैं फिर स्थगन प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार कर सकूंगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): क्या मैं एक बात कह सकता हूं, जिसका उल्लेख नहीं किया गया ? पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि खाद्य नीति को कार्यान्वित करने में अगले वर्ष तक विलम्ब होगा क्योंकि भारत सरकार अपना वचन पूरा करने में असफल रही है।

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, जैसा कि म ने कहा है, भारत सरकार का एक बड़ा पदाधिकारी इस प्रयोजन के लिए कलकत्ता में है कि ये नीतियां यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित की जायें। वह पदाधिकारी वापस आने वाला है और मैं समझता हूं कि मैं कल सब तथ्य बतला सकूंगा। मुझे आशा है कि माननीय अध्यक्ष ने जो प्रश्न उठाये हैं, उन के बारे में, मैं कल सदन के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जब तक इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न मिले, प्रस्ताव की स्वीकृति न देना बहुत कठिन होगा, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जिसका प्रभाव बहुत लोगों पर पड़ता है। अतः मैं इस समय के लिए इस पर विचार स्थगित करता हूं।

सदन की कार्यवाही

मध्यान्होत्तर बैठकें

अध्यक्ष महोदय : एक और विषय पर मैं घोषणा करना चाहूंगा। वह यह है कि सत्र की अवधि ३१ जूलाई से आगे न बढ़ाने के लिए यह आवश्यक ह कि सदन की बैठक का समय बढ़ा दिया

[अध्यक्ष महोदय]

जाये। मेरा सुझाव यह है कि ८-१५ से एक बजे तक की प्रातः काल की बैठक के अतिरिक्त, सदन की बैठक सप्ताह के दो दिन मध्यान्ह के बाद ३-३० से ६-३० तक भी हो। इस से हमें ६ घंटे और समय मिल जायेगा। ये दिन मंगलवार और शुक्रवार होंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो सप्ताह में दो से अधिक दिन बैठक को जा सकती है। शनिवार को कोई बैठक नहीं होगी।

मति का निर्वाचन

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा पर्षद्

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को सूचित करना है कि नियत समय तक केन्द्रीय मंत्रणा पर्षद् के निर्वाचन के लिए ६ नाम-निर्देशन प्राप्त हुए हैं। बाद में, तीन सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिये थे। चूंकि शेष उम्मेदवारों की संख्या समिति में रिक्तियों के बराबर थी, अतः में निम्न सदस्यों को यथा विधि निर्वाचित घोषित करता हूं:

१. श्री टी० मादिया गौडा।
२. श्री वेंकटेश नारायण तिवारी।
३. डा० श्याम प्रसाद मुखर्जी।

राज्य-परिषद् से संदेश

सचिव: श्रीमान् मुझे राज्य-परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है:

"राज्य-परिषद् में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम १६२ के उपनियम (५) के अनुसार मुझे विनियोग (रेलवेज़) संख्या २ विधेयक १९५२ को जो कि लोक सभा ने अपनी ४ जुलाई, १९५२ की बैठक में पारित किया था और जो कि राज्य-परिषद् को अपनी सिफ़ारिशों के लिए भेजा गया था वापस करने का और यह कहने का निदेश दिया गया है कि परिषद् को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है"।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

[धारा ३०२ में संशोधन]

श्री काजमी (जिला सुल्तानपुर—उत्तर व ज़िला फैज़ाबाद—दक्षिण-पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड-संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने के एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काजमी: मैं विधेयक को पुरः-स्थापित करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): श्रीमान्, इस अवस्था पर जमाये हुए वनस्पति तेलों के निर्माण तथा आयात को निषिद्ध करने की व्यवस्था करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने का मेरा विचार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

दहेज निरोध विधेयक

श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर): मैं प्रस्ताव करती हूं कि विवाहों के सम्बन्ध में दहेज लेने या देने को रोकने की व्यवस्था करने के लिए और अनुषंगिक मामलों के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्रीमती जयश्री : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता १८६० और दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दहेज निरोध विधेयक

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाहों में दहेज लेने या देने की प्रथा को रोकने के लिए एक विधयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री दाभी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वाले अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था करने के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री झुनझुन वाला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) : चूंकि बहुत से सदस्यों को ज्ञात नहीं है कि यह विधेयक किस चीज के बारे में है, क्या माननीय अध्यक्ष इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों को संक्षिप्त रूप से बतलाने की कृपा करेंगे, ताकि सदस्य उचित रूप से अपना मत दे सकें ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उस पक्ष से माननीय सदस्य ने कहा है कि वे नहीं जानते कि यह (विधेयक) क्या है । यह किसी को ज्ञात नहीं, वास्तव में किसी मंत्री को भी ज्ञात नहीं कि यह क्या है । मेरे विचार में बहुत कम सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी होगी । यह तो हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है कि यह संविधान में संशोधन करने के लिए है । संविधान में संशोधन एक गम्भीर चीज है । हो सकता है कि यह एक अच्छी चीज है परन्तु यह एक गम्भीर विषय है । इस पर उचित प्रकार से और सावधानी से विचार

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

करना आवश्यक है । ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी विधेयक को गुप्त रूप से लाया जाये और सदस्यों को कुछ ज्ञात भी न हो कि किस पक्ष में मत देना चाहिये । आप इस विषय में मेरा पथ-प्रदर्शन करें । मैं इसके गुणावगुण पर कुछ नहीं कहना चाहता । यह अच्छा है या बुरा, जब भी संविधान में संशोधन करने का प्रश्न उठे, सरकार या विरोधी दल के सदस्यों को किसी विशेष प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए और इसे इस प्रकार से प्रस्तुत न करना चाहिए कि लोगों को ज्ञात ही न हो कि उन्हों ने किस चीज पर अपना मत देना है ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु सदन में यह प्रथा चली आई है कि अनुमति के प्रदान का विरोध न किया जाये (**अन्तर्बाधा**) ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ये सब बातें अध्यक्ष पर छोड़ देनी चाहियें और कोई अन्तर्बाधा नहीं होनी चाहिये ।

श्री आर० के० चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि हमें विधेयकों का ज्ञान उन के पुरःस्थापित किये जाने के बाद ही होता है । म आप से प्रार्थना करूंगा कि विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध न करने की प्रथा को जारी रखा जाये ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : माननीय प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है, उस पर अवश्य विचार करना चाहिये । परन्तु हमारे नियमों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि जब संविधान संशोधन करने के लिए कोई विधेयक पुरः-स्थापित करना हो, तो एक भिन्न प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा । संविधान के अनुच्छेद ३६८ में कहा गया है कि संविधान में संशोधन केवल संसद् के किसी सदन में इस प्रयोजन का एक विधेयक पुरःस्थापित करने से किया जा सकता है ।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : अनुच्छेद ३६८ के अन्तगत, संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है । मेरी धारणा है कि इस अवस्था पर भी, चाहे कोई आपत्ति उठाई जाये या न, विधेयक का समर्थन करने वाले व्यक्तियों को सदन में ५१ प्रतिशत बहुमत प्राप्त करना होगा और उपस्थित सदस्यों में से ६६ २।३ प्रतिशत का समर्थन प्राप्त करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न तभी उत्पन्न होगा यदि वे लोग जो विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहते हैं, बहुमत प्राप्त कर लें, इस से पहले नहीं । मान लीजिये अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव ही अस्वीकृत हो जाता है । फिर यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): श्रीमान्, यह सत्य नहीं है कि प्रत्येक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति सदा दे दी जाती है । पहले एक अवसर पर श्री कामत को अपना विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे कहना पड़ेगा कि इस विषय से हमें बहुत आश्चर्य हुआ है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं था कि यह विधेयक क्या है । अब भी जब कि सदस्य इस पर अपना मत देने लगे हैं, उन को ज्ञात नहीं कि यह किस प्रयोजन के लिए है । केवल एक दो

मनट पहले ही हमें पता लगा कि यह संविधान में संशोधन करने के लिए है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा है इस से अवश्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। श्रीमान्, में आप से प्रार्थना करूंगा विशेषतया इस मामले के सम्बन्ध में नहीं अपितु भविष्य के लिये कि आप इस पर विचार करें। इस समय मैं सदन को यह मंत्रणा दूंगा कि इस के पुरःस्थापन का विरोध न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री माधव रेड्डी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

भारतीय पशुधन रक्षा विधेयक

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे अपने पशुधन रक्षा सम्बन्धी विधेयक को उपस्थित करने की अनुमति दी जाये।

विधि तथा उल्पसंख्यक कार्य मत्री (श्री बिस्वास) : मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक को पुरः स्थापित करने का विरोध नहीं करता परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ....

उपाध्यक्ष महोदय : इस अवस्था में किसी प्रकार के भाषण की आज्ञा नहीं है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि : "विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये।"

श्री बिस्वास : जैसा कि मैं ने स्वयं प्रस्तावक को बतलाया है मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान के अधिकार के बाहर है क्योंकि यह एक ऐसे विषय के बारे में है जो कि राज्य सूची में है। पशुधन की रक्षा करने के विषय का सम्बन्ध केवल राज्यों से है, क्योंकि यह सूची सं० २ में है। मैं ने यह भी बतला दिया है कि मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस सम्बन्ध में प्रचलित प्रथा को तोड़ना नहीं चाहता। मेरे माननीय मित्र ने १९४७ में इसी प्रकार का एक विधेयक पुरःस्थापित किया था और आपने उस अवसर पर कहा था कि आप इसे अनियमित नहीं ठहरायेंगे। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं आप से यह नहीं कहता कि वर्तमान विधेयक को शक्ति-परस्तात होने के कारण अनियमित ठहरा दिया जाये। मैं तो माननीय सदस्य को केवल यह सूचना दे रहा हूं कि विधेयक पर विचार के समय सरकार को न केवल इस आधार पर कि यह विधेयक संविधान के अधिकार के बाहर है अपितु गुणावगुण के आधार पर भी इस विधेयक का विरोध करने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सेठ गोविन्द दास : मैं इस विधेयक को उपस्थित करता हूं ।

प्रशिक्षण तथा नौकरी विधेयक

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नौकरी तथा नौकरी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए और नवयुवकों को नौकरी दिलाने वाली एक व्यापक सेवा स्थापित करने के लिए एक विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं विधेयक को पर :स्थापित करता हूं ।

[अनाथालय सम्बन्धी विधेयक

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर): जिनके माता पिता अथवा दूसरा कोई संरक्षक जीवित न हो ऐसे अनाथ बालकों के सरकार द्वारा पालन-पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा अन्य संरक्षण के लिये मैं एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

एक पत्नीत्व लागू करने का विधेयक

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक पत्नीत्व लागू करने के लिए और भविष्य में बहुविवाह को निषिद्ध और दंडित करने और इसे अवैध घोषित करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करन की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"बिधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मुस्लिम वक्फ़ विधेयक

श्री काज़मी (जिला सुल्तानपुर–उत्तर व जिला फैजाबाद––दक्षिण-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में मुस्लिम वक्फों के प्रशासन में सुधार करने के लिए और मुतवल्लियों द्वारा उन के प्रबन्ध का निरीक्षण करने के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री काज़मी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

अयोग्य व्यक्तियों को वन्ध्य बनाने का विधेयक

श्री एस० वी० रामस्वामी (सेलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ प्रकार के व्यक्तियों को अवांछनीय शारीरिक और मानसिक विशेषताओं की संतान पैदा करने से रोकने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय-दंड-संहिता (संशोधन) विधेयक

[धारा ४९७ में संशोधन]

श्री दाभी (कैरा उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीम दंड-संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री दाभी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

बहुविवाह निषेध विधेयक

श्री पाटसकर (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुविवाह को रोकने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पाटसकर : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

[धारा २६६ आदि का निरसन]

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता १८६८ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दहेज निरोध विधेयक

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विवाहों में दहेज लेने या देने की प्रथा को रोकने के किए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती उमा नेहरू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

भारतीय दंड-संहिता (संशोधन) विधेयक

[धारा ५३, १२३, १३२ आदि में संशोधन]

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड-संहिता १८६० में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करनें की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हुं ।

हिन्दू विवाह विच्छेद विधेयक

श्री पाटसकर (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ परिस्थितियों में हिन्दुओ के सब समुदाओं को विवाद विच्छेद का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): श्रीमान्, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पाटसकर : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

बाल भिक्षा तथा बाल आवारागर्दी निषेध विधेयक

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर): बाल भिक्षा और बाल आवारागर्दी के निषेध के सम्बन्ध में मैं एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

हाथकर्घे के बने हुए कपड़े का प्रमापीकरण और उसके निर्यात पर नियन्त्रण का विधेयक

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हाथकर्घे के बने हुए कपड़े के निर्यात पर नियन्त्रण करने और उसका प्रमापीकरण करने के लिए एक विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

मुस्लिम काज़ी विधेयक

श्री काज़मी (जिला सुल्तानपुर—उत्तर व जिला फैजाबाद—दक्षिण-पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यक्तियों को काजियों के पद पर नियुक्त करने के लिए, विवाह कराने और उनका अभिलेख रखने के लिए और मुस्लिमों में विवाह-विच्छेद तथा विवाह भंग के मामलों पर विचार करने और उनका निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री काजमी: मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

बाल रक्षा विधेयक

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बच्चों की रक्षा, पोषण, अभिरक्षण, शिक्षा तथा नियोजन की व्यवस्था करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री झूलन सिंहा (सारन उत्तर) : मैं अपना विधेयक आज पुर: स्थापित नहीं कर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों की सब कार्यवाही समाप्त हो गई है।

सदन अब सरकारी विधायिनी कार्यवाही शुरू करेगा।

भारतीय तटकर (तृतीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा विधेयक अर्थात चाय नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक क्यों उठा रखा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उस पर बाद में विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह विधेयक विशेष रूप से अत्यावश्यक है और क्या पहले विधेयक को जो कि सदन के विचाराधीन है छोड़ कर किसी अन्य विधेयक पर विचार करने का कोई विशेष कारण है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा निवेदन यह है कि काम का क्रम माननीय अध्यक्ष की हिदायत के अनुसार कार्यालय द्वारा बनाया जाता है। मेरा इस में कोई भाग नहीं। मैं ने तो केवल यह सुझाव जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया जब तक कि मंत्री महोदय उत्सुक न हो और विधेयक अत्यावश्यक न हो मैं दो विधेयकों को सदन के समक्ष रहने की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं अवश्य उत्सुक हूं।

भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ की धारा ४-क, जैसा कि यह १९५० के संशोधक अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, केन्द्रीय सरकार को आकस्मिक अधिकार प्रदान करता था कि वह अधिसूचना द्वारा पहले अधिनियम की दूसरी अनुसूची में एक संशोधन करने का निदेश दे सकती है, ताकि किसी वस्तु पर निर्यात शुल्क लगाया या बढ़ाया जा सके। परन्तु इस बात के अनपेक्ष कि इन अधिसूचनाओं द्वारा लगाये गये शुल्कों को संसद ने अनुमोदित किया या नहीं, इस प्रकार जारी की गई सब अधिसूचनाए, उस संशोधन की उप-धारा (३) के उपबंधों के कारण १ मार्च १९५२ से प्रभावी नहीं रही थी। वर्तमान स्थिति यह है कि धारा ४-क प्रभावी नहीं रही, क्योंकि अधिसूचनाएं १ मार्च १९५२ से प्रभावी नहीं रहीं। अब सरकार के विचार में कुछ अन्य कारणों से उसे इन अधिकारो की आवश्यकता है। जैसा कि सदन को ज्ञात है, निर्यात शुल्क का आरोपण, स्वयमेव

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। यह थोड़ा या बहुत एक आर्थिक उपाय है। सदन यह भी अनुभव करेगा कि निर्यात शुल्कों का भार इस देश में उत्पादक या उपभोक्ता पर नहीं पड़ता, बल्कि किसी दूसरे देश के खरीदारों पर पड़ता है। सरकार को एक आर्थिक उपाय के रूप में इन अधिकारों का प्रयोग वर्तमान परिस्थितियों में इसलिये करना पड़ेगा क्योंकि मैं समझता हूं कि दिसम्बर १९५० में, जबकि धारा ४क सब से पहले लागू की गई थी, जो परिस्थितियां थीं, वे अब भी हैं। सदन को इस विशिष्ट धारा के सरकार द्वारा किये गये प्रशासन का पुनरीक्षण करने का अवसर मिला होगा और इस से पता चलेगा कि सरकार इन अधिकारों का प्रयोग बहुत विवेक से करती रही है। सदन को विदित होगा कि पटसन के सम्बन्ध में हाल में निर्यात शुल्क में दो बार कमी की गई है, जिस से हमारे पटसन उद्योग को काफी लाभ पहुंचा है। आज प्रातः एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या बरलैप को अमेरिका में कुछ वरीयता प्राप्त है, तो मुझे स्वीकारात्मक उत्तर देना पड़ा था।

इस के साथ ही इस उपबन्ध को बिल्कुल ही छोड़ देने में और सदन के सामने एक साधारण विधेयक लाने में सरकार को एक कठिनाई है। यह मामला करारोपण का है और करारोपण भी उन वस्तुओं पर जिन में बहुत सा सट्टा होता है। सरकार को उस प्रकार का अधिकार नहीं है जैसा कि साधारणतया इसे अस्थायी कर वसूली अधिनियम के अन्तर्गत होता है और जिसे साधारण रूप से शुल्क या कर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रचलित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का निर्णय तत्काल ही करना पड़ता है और यदि विधान बनाने के साधारण तरीके ही अपनाये जायें, तो यह संभव है कि वे लोग जो किसी विशिष्ट वस्तु का कारबार करते हैं और जो उस वस्तु में सट्टाबाजी करते हैं, सरकार के इरादों से लाभ उठा लेंगे और सरकार का अन्तिम उद्देश्य निष्फल ही रहेगा। अतः गत डेढ़ वर्ष या एक वर्ष चार मासों की घटनाओं के विवेचन के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि धारा ४क को तटकर अधिनियम में स्थायी रूप से रखना ही सब से अच्छा तरीका है। इस सम्बन्ध में सरकारी कार्यवाही पर संसद का पूरा नियंत्रण रहेगा, क्योंकि सरकार द्वारा जारी की गई कोई अधिसूचना संसद के संमवेत होते ही तत्काल इसे निर्दिष्ट की जायेगी और यह संसद के अनुमोदन के बिना लागू नहीं रह सकती। अतः संसद को इस बात पर सन्तुष्ट होना चाहिए कि उसका नियंत्रण बना हुआ है।

सदन में माननीय सदस्य यह पूछेंगे कि इस समय किन किन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में उन से क्षमा मांगता हूं क्योंकि यह चीज़ ऐसी है जो कि प्रकट नहीं की जा सकती और जिस का तत्व ही यह है कि सरकार शीघ्रता से कार्यवाही कर सके। फिर भी मैं यह बतला देना चाहूंगा कि संभवतः एक या दो वस्तुओं के बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से निर्यात शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और यह इस देश की अर्थ व्यवस्था के हित में था, परन्तु हम यह नहीं कर सके थे क्योंकि अधिकार १ मार्च, १९५२ को समाप्त हो गये थे।

इस विधेयक के खंड ३ के आवश्यक होने का एक और भी कारण है। कपड़ा, मूंगफली, तिलहन, जी अन्यथा निर्दिष्ट नहीं, बनस्पति घी जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं, के चार मामलों में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने धारा ४-क के अन्तर्गत सरकार में निहित अधिकारों के अधीन कार्यवाही की है। ये अधिकार अब समाप्त हो चुके हैं किन्तु इन को जारी रखना आवश्यक है।

इन परिस्थितियों में सरकार ने सदन से यह प्रार्थना की है कि धारा ४-क को विधान का अंग बना लिया जाये। संशोधक विधेयक अपने आप को स्वयं स्पष्ट करता है। खंड २ (क) में से "एक अस्थायी संशोधन" शब्द हटा दिये गये हैं और "एक संशोधन" शब्द रख दिये गये हैं ताकि पता चले कि सरकार इस को भारतीय तटकर अधिनियम का अंग बनाना चाहती हैं। खंड २ (ख) सरकार को रद्द करने के अधिकार देता है — यह मूल उप-खंड (३) का रूपांतर है जिस से प्रकट होता है कि इस विशेष धारा का प्रवर्तन १ मार्च, १९५२ को समाप्त हो जायेगा। यहां इस में कहा गया है कि चाहे कोई अधिसूचना संसद् द्वारा अनुमोदित की गई है या नहीं, यदि अन्य स्थितियों के कारण आवश्यकता हुई, तो सरकार इन अधिसूचनाओं को रद्द कर सकती है। जैसा कि मैं ने कहा है, यह अधिकतर वर्तमान स्थिति का पुनः प्रमाणीकरण है, क्योंकि इन चार वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिसूचना को लागू रखना है। अतः सरकार यह मांग कर रही है कि वर्तमान संशोधन को भूतकाल सापेक्ष प्रभाव से लागू किया जाये। यदि यह सदन द्वारा अनुमोदित कर दी गई, तो इन अधिसूचनाओं को जारी रखा जायेगा। मैं कह सकता हूं कि इस विधेयक में कोई अनियमिताएं नहीं हैं और कोई चीज छिपी हुई नहीं है। सरकार किसी चीज़ की आड़ में कोई अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रही। जैसा कि मेरे पक्ष के और विरोधी पक्ष के सदस्य दोनों अनुभव करेंगे, यह बिल्कुल सीधा सा विधेयक है। जो कुछ भी सरकार करती है, वह मंजूरी के लिए सदन के समक्ष आयेगा। यदि सदन किसी शुल्क की मंजूरी नहीं देता, तो अधिसूचना का प्रभाव समाप्त हो जायेगा। यह स्थिति बनी रहती है। मैं आशा करता हूं कि सदन विचार करने के प्रस्ताव को पारित कर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) खंड २ (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार किसी ऐसी सूचना को रद्द और संशोधित करने का अधिकार ले रही है, जो कि संसद् द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस अधिकार का प्रयोग केवल अन्तर्वर्त्ती काल में किया जायेगा और निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर और संसद् के पुनः समवेत होने पर अधिसूचनाओं को सदन के समक्ष रखा जायेगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य मूल उपधारा (३) की ओर निर्देश करेंगे जो कि समाप्त हो चुकी है और जिसे अब पुनः रखा जाना है, तो वे देखेंगे कि इस में कहा गया है कि :

"इस धारा की उपधारा (२) और सामान्य खंड अधिनियम १८९७

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

की धारा २१ के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार की सभी अधिसूचनाएं उन की नियत तिथि से लागू होगी किन्तु १ मार्च, १९५२ से इस का प्रभाव समाप्त हो जायेगा।"

सामान्य खंड अधिनियम की धारा २१ इस प्रकार है :

"यदि किसी केन्द्रीय अधिनियम या विनियम के द्वारा कोई अधिसूचनाएं आदेश, नियम या उप-नियम जारी करने का अधिकार दिया जाये तो उस अधिकार में उसी रीति से उसी मंजूरी के अधीन तथा यदि कोई वैसी अवस्थाएं हों, तो उन के अधीन इस प्रकार जारी की गई किन्हीं अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपनियमों में कुछ जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने या रद्द करने का अधिकार भी सम्मिलित है।"

मूल उपधारा में भी इसे रखा गया था परन्तु इसलिए नहीं कि ऐसा करना आवश्यक था। सामान्य खंड अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार बने रहते हैं, चाहे विधेयक में इस का उल्लेख किया जाये या न किया जाये। परन्तु यहां हम ने स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें रद्द किया जा सकता है या इन में परिवर्तन किया जा सकता है।

जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा, एक अवस्था में सरकार ने पटसन के शुल्क एक विशेष स्तर तक घटा दिये थे, और वाद विवाद में उन्हें और घटा दिया गया था। तर्क इस प्रकार है : यदि वास्तव में कोई वृद्धि की जाती है तो स्वाभाविक-तथा ससंद् को सूचित किया जायेगा, किन्तु यदि कोई कमी की जाती है, तो संसद् को एक साधारण सूचना भेजने के अतिरिक्त संसद् की मंजूरी लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक आर्थिक उपाय है और सरकार को समय समय पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। सामान्य खंड अधिनियम की धारा २१ के अन्तर्गत जो अधिकार सरकार में निहित हैं, वे अब भी बने रहते हैं चाहे उनका उल्लेख किया जाये या न। परन्तु चूंकि हम ने वह खंड हटा दिया है, स्थिति विवृत कर दी गई है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार अधिक शक्ति ले रही है। जहां तक शुल्क में परिवर्तन करके इसे घटाने का प्रश्न है, यह अत्यावश्यक है कि सरकार पहले ऐसा करे।

उपाध्यक्ष महोदय : उप धारा (२) क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उप-धारा (२) बनी रहती है। इस में कहा गया है कि इस प्रकार की सब अधि-सूचनाएं संसद् के समक्ष रखी जायेंगी, यदि इस का सत्र जारी हो, तो अधिसूचना के जारी होने के यथा संभव पश्चात् और यदि इस का सत्र न हो रहा हो, तो इसके समवेत होने के सात दिन के अन्दर अन्दर, केन्द्रीय सरकार एक सकल्प द्वारा, जो कि १५ दिन की उस अवधि के अन्दर, जो कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से आरम्भ होगी, प्रस्तावित किया जायेगा, संसद से अधिसूचना अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि संसद अधिसूचना में कोई संशोधन करती है या यह निदेश देती है कि अधि-सूचना का प्रभाव समाप्त किया जाये, तो इस प्रकार की अधिसूचना के अधीन जो कुछ पहिले किया गया है, उस पर प्रभाव डाले बिना, अधिसूना को परिवर्तित रूप में जारी किया जायेगा या प्रभाव-

शून्य घोषित किया जायेगा, जैसी कि स्थिति हो। यह उपबन्ध बना रहता है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मंत्री महोदय को इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए कि इस संशोधन को इस से पहिले क्यों नहीं प्रस्तुत किया । १९३४ के अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार को प्रदान किया हुआ अधिसूचना द्वारा निर्यात शुल्क लगाने का अधिकार १ मार्च, १९५२ को समाप्त हो गया था। परन्तु ये शुल्क अवैध रूप से लिये जाते रहे हैं और अब उन अधिसूचनाओं को जो अवैध रूप से जारी की गई थीं, प्रमाणित करने के लिये कहा जा रहा है। यही कारण है कि माननीय मंत्री विधेयक को पारित कराने के लिए इतने चिन्तित हैं ।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे तिथि को क्यों हटाना चाहते हैं। पहले १ मार्च १९५२ की तिथि निर्धारित की गई थी। इस तिथि को बढ़ाना उचित हो सकता है और सरकार एक या दो वर्ष और बढ़ा सकती है । परन्तु क्या माननीय मंत्री इस बात से संतुष्ट हैं कि इन मामलों में तिथि को बिलकुल हटा देने से आवश्यक नियन्त्रण रखने का उद्देश्य पूरा हो जायेगा । क्या इसे हटाने की बजाय बढ़ा देने से सरकार का कार्य संपादित नही होगा ? इसे १ मार्च, १९५४ तक दो वर्ष-- बढ़ा देना चाहिए । इसके बिना वास्तव में शुल्क लगाने से पूर्व साधारण हालतों में इस मामले पर विचार करने का संसद् का अन्तिम अधिकार स्थायी रूप से छिन जायेगा। मैं इस दृष्टिकोण की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) : विधेयक के खंड २ की उपधारा (३) से यह प्रकट होता है कि यद्यपि पहली विधि के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी किया हुआ आदेश संसद् द्वारा अनुमोदित किया जाना होता था, अब इस प्रकार के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं । मैं यह नहीं समझ सका कि क्या बाद की अधिसूचना को इसे लागू करने से पूर्व, सदन के समक्ष रखा जाना है या नहीं ? यदि यह शर्त है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । यदि नहीं, तो फिर यह आपत्ति-जनक है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री स्थिति को स्पष्ट कर देंगे ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): क्या मंत्री महोदय हमें बतला सकते हैं कि अधिसूचना के समाप्त हो जाने के बाद से कुल कितनी अवैध वसूली की गई है ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : यह विधेयक संसद् द्वारा कार्यपालिका को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने के बारे में है, इस विषय पर दो बार १९५० और १९५१ में बहस की जा चुकी है । उस समय के विधेयक में दो सुरक्षण रखे गये थे। एक यह था कि यह अधिकार केवल एक वर्ष के लिये दिया जायेगा अर्थात् यह अधिनियम १ मार्च १९५२ तक ही लागू रहेगा । दूसरा यह था कि अधिसूचना के 'जारी होने के तुरन्त पश्चात् इसे संसद् के समवेत होने से एक सप्ताह के अन्दर अन्दर इस के सामने रखा जायेगा और दो सप्ताह के अन्दर अन्दर इस पर चर्चा की जायेगी। दूसरा अधिकार विद्यमान है । मैं कार्यपालिका को यह अधिकार देने के विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि हम आजकल बहुत कठिन समय में से गुज़र रहे हैं । सरकार

[श्री बंसल]

को बहुत थोड़े समय में इन मामलों के सम्बन्ध म कार्यवाही करनी पड़ती है । अतः सरकार के पास इस प्रकार का कोई अधिकार होना चाहिये । माननीय मंत्री से मैं केवल यह प्रार्थना करूंगा कि सदन की इस प्रार्थना को कि एक कालावधि निश्चित की जानी चाहिये, स्वीकार कर ली जाये। मैं तो यह भी नहीं कहता कि यह अधिकार स्थायी रूप से न दिया जाय किन्तु सदन को प्रतिवर्ष इस पर आलोचना करने की छूट होनी चाहिये ताकि सारे वर्ष की घटनाओं पर सदन आलोचना कर सके। अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे एक सरकारी संशोधन प्रस्तुत करें, जिस के अनुसार अधिनियम में "१९५२" के स्थान पर "१९५३" या "१९५४" रख दिया जाये। एक और छोटी सी बात जिस की ओर डा० मुखर्जी ने भी ध्यान दिलाया है यह है कि स्पष्टतया मंत्रालय में किसी व्यक्ति की ओर से इस विषय की लगातार चार मासों से उपेक्षा की जाती रही है । मेरा सुझाव यह है कि चूंकि सरकार को इन शुल्कों को जिन्हें अप्रैल १९५२ से आज तक लगाया जाता रहा है, लगाने का कोई अधिकार नहीं था, इन्हें वापस कर देना चाहिये । इस से उन लोगों को जिन्होंने उपेक्षा की है एक सबक मिलेगा । तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं प्रस्तावित उप धारा (३) की भाषा के बारे में है । यह इस प्रकार है: "शंका समाधान के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई अधिसूचना इत्यादि" । मैं समझता हूं कि यह भाषा एक अधिनियम के लिए उचित नहीं है । माननीय मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए । यदि इसे एक परन्तुक या व्याख्या का रूप दिया जाये, तो अधिक अच्छा रहेगा क्योंकि यह भाषा तो किसी अधिसूचना या सरकारी आदेश की भाषा लगती है।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : डा० मुखर्जी और श्री बंसल ने हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ये अधिकार सामान्यता संकटकालीन स्थितियों के लिए हैं और संकटकाल सदा तो रहता नहीं । संभवतः ये एक या दो वर्ष के लिए आवश्यक हो सकते हैं किन्तु यदि ये अधिकार सदा के लिए ले लिए जायें, तो इसका अर्थ यह होगा कि संसद अपने अधिकार कार्यपालिका को प्रत्यायोजित कर दे और हमें कुछ विषयों में अपनी सर्वश्रेष्ठता समर्पित करनी पड़ेगी । आखिर कर के सभी प्रस्तावों को संसद के सामने रखना पड़ता है । अतः इस विषय में भी, जब कि स्थिति साधारण है, संसद को शुल्क लगाने या बढ़ाने का अधिकार सदा के लिये कार्यपालिका के हाथ में नहीं दे देना चाहिये और एक कालावधि निर्धारित करना आवश्यक है यह अवधि एक या दो वर्ष रखी जा सकती है । मैं ने इस सम्बन्ध में एक संशोधन की सूचना दी है, जो कि मैं उचित समय पर प्रस्तुत करूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : दिसम्बर १९५० में भी यह प्रश्न सदन में उत्पन्न हुआ था कि हम यह अधिकार प्रत्यायोजित करें या.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री देखेंगे कि धारा ४क में कहा गया है कि "केन्द्रीय सरकार दूसरी अनुसूची में अस्थायी संशोधन का निदेश दे सकती है" स्वाभाविकतया इस संशोधन द्वारा

यह सर्वकालिक हो जाती है। अतः क्या यह धारा ४क के विरुद्ध नहीं है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : हम ने "अस्थाई" शब्द हटाने के लिए भी एक संशोधन का प्रस्ताव किया है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : तब एक और संशोधन भी होना चाहिए क्योंकि धारा ४क "संकट कालीन अधिकार..." से शुरू होती है। "संकट कालीन" शब्द भी फिर हटा देना चाहिये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह ठीक नहीं है। अधिकार का प्रयोग संकटकाल में होगा परन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि अनुविहित उपबन्ध सदा अस्थायी ही होना चाहिए।

डा० एस० पी० मुखर्जी : संकट स्थायी तो हो नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : संकट तो समय समय पर उत्पन्न हो सकता है, अधिकार सर्वकालिक है। अधिकार का प्रयोग तभी होगा जब संकट उत्पन्न हो। मेरे विचार में इस में बहुत अन्तर नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: १९५० में सदन ने यह निर्णय किया था कि अधिकार दे दिया जाये और कुछ शर्तों के साथ मार्च, १९५२ को कालावधि भी निश्चित की गई थी। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि इन चार वर्षों में स्थिति क्या रही है और अब क्या है। साथ ही मुझे वाणिज्य मंत्री और उन के मंत्रालय में विश्वास है और उनके इन अधिकारों के प्रयोग करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि जहां तक संसद का सम्बन्ध है, ये अधिकार साधारणतया प्रत्यायोजित न किय जायें और मैं यह सुझाव दूंगा कि तिथि १९५४ की बजाय १ मार्च १९५३ निर्धारित की जाये, ताकि आवश्यकतानुसार मामला सदन के विचाराधीन लाया जा सके। ऐसा करने से कार्यपालिका और संसद् दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। चार मासों में जो कर संसद की मंजूरी के बिना लगाय गये हैं, उन के बारे में मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री स्पष्टीकरण करें कि ऐसा क्यों हुआ और दोष किस का था। यदि किसी विशेष व्यक्ति का दोष था, तो सदन तथा वाणिज्य मंत्री का कर्तव्य है कि उसे समुचित दंड दें।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव से इस बात पर सहमत हूं कि विधेयक को पारित करने से पूर्व सरकार को अपनी कार्यवाही के लिए सदन को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

निर्यात शुल्क के आरोपण में परिवर्तन करने के लिए सरकार ने जो तरीका अपनाया है वह पूर्ण रूप से लोक तंत्र के सब नियमों के विरूद्ध है। यदि हमें कुछ पिछली गलतियों को ठीक करना है, तो अत्यावश्यक पूर्वोपायों के साथ ही ऐसा करना चाहिए। अतः मैं चाहता हूं कि इस बिधेयक में प्रस्तावित उपबन्धों का प्रवर्तन कम से कम अवधि के लिए बढ़ाया जाये और इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि यह तिथि १९५३ ही रखी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: यह विधेयक १ मार्च से पहले ही पुरःस्थापित किया जाना चाहिए था।

डा० एस० पी० मुखर्जी : जी हां, उन्हें चाहिए था कि वे इस विधेयक को १ मार्च से पूर्व पारित करा लेते।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर-उत्तर): मेरे विचार में सदन के लिए भारतीय तटकर (तृतीय संशोधन) को अनुमोदित कर देना बहुत अच्छा होगा।

इस विधेयक के प्रवर्तन के लिये कालावधि निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ है। श्री बंसल ने कहा है कि विधयक पर प्रतिवर्ष विचार होना चाहिए। मैं इस बात पर उन से सहमत नहीं हो सकता। प्रशासन को अपना कार्य करने के लिए उचित समय चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत जिन मामलों में सरकार को कार्यवाही करनी पड़ेगी, उन में पहले हर बार सरकार के हाथ में नहीं हो सकती। मान लीजिये ब्रिटिश सरकार कल या किसी दिन पौंड का अग्रेतर अवमूल्यन कर देती है तो हमारे निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में तुरन्त एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिस के कारण सरकार को तत्काल पग उठाने पड़ेंगे। अतः सरकार के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं। क्योंकि बिलम्ब से सरकार के राजस्वों को बहुत हानि पहुंचेगी। अन्य परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि हर अवसर पर सरकार को वर्तमान शुल्क बदलने के लिए सदन के सामने एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़े, तो इस प्रक्रिया से देश के निर्यात व्यापार को हानि पहुंचेगी। इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः सदन से इस विधेयक को अनुमोदित करने के लिए प्रार्थना करूंगा।

बाबू रामनारायण सिंह: कभी कभी जब मैं देखता हूं कि सभी दलों के लोग एक स्वर से ठीक बात बोलने लगते हैं तो हृदय में बड़ा आनन्द होता है। आज जो विषय सामने आया है, मैं देखता हूं कि उस पर हमारे भाई लोग बहुत ठीक बोल रहे ह, और खासकर हमारे भाई जो ठाकुर दास जी हैं, यद्यपि वह चेले हो चुके है, लेकिन कभी कभी पुरानी बात याद आ जाती है। अब बात यह आती है कि हमारे मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने भी कोई कसूर नहीं किया है। वह तो नय मंत्री हैं। डिपार्टमेंट का ड्यूटी (शुल्क) लगाने का अधिकार ३१ मार्च को ही खत्म हो गया था। इस के बाद जो रुपया लिया गया उस के बारे में हमारे भाई ठाकुर दास जी कहते हैं कि यह बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि यह किस को रिफंड किया जाय यह सब तो है, लेकिन यह जो कहा जाता है कि इस पार्लियामेंट के हुक्म के अनुसार सरकार काम करती है यह कैसे मालूम होगा। यह तो हम सीधे सीधे देखते हैं कि हमारे मंत्रियों आदि को भी कोई अधिकार वगैरह नहीं हैं। डिपार्टमेंट जो कहेगा हमारे मंत्री महोदय यहां ला कर दाखिल कर देंगे और पार्लियामेंट का भी संगठन ऐसा हो गया है कि वह भी कह देगी कि हां ठीक है। तो खासकर ऐसे विषय में जहां पर कि हमारे और भाई भी यह देख रहे हैं कि गलती हुई है, कोई सजा तो होनी चाहिये। यह क्या मतलब है? मैं तो कहता हूं कि पार्लियामेंट को यह अधिकार होना चाहिये कि ऐसे ऐसे कामों के लिये तो समूचे डिपार्टमेंट को बरखास्त कर देना चाहिये। क्यों वह लोग पार्लियामेंट के हुक्म के खिलाफ़ काम करते हैं। अगर वे लोग डिसमिस होने को नहीं हैं तो कम से कम यह तो होना चाहिये कि वे रुपए तो डिपार्टमेंट को न मिले। उस को किसी तरह से रिफंड किया जाय और अगर रिफंड करने में भी कठिनाई है तो उस को दान कर दिया जाय। वह डिपार्टमेंट को क्यों मिले। अगर हमारे मित्र कृष्णमाचारी डिपार्टमेंट की तरफ से माफी मांगें कि

अब जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसा कसूर नहीं होगा, तो भी माफी दी जा सकती है। लेकिन कोई माफी भी नहीं मांगी जाती और कसूर भी नहीं माना जाता। या अगर आयन्दा के लिये वायदा किया जाय कि आयन्दा ऐसा कार्य नहीं होगा तो भी उस को आप छोड़ दे सकते हैं।

लेकिन जब कुछ भी नहीं आता है तो कभी तो ड्रास्टिक स्टैप (कड़ा पग) जिस को कहा जाता है लेना चाहिये। जब कोई खन करता है तो उसको फांसी दे दी जाती है। क्या यह ड्रास्टिक स्टैप नहीं है; तो जब किसी को खून करने पर फांसी की सजा होती है तो डिपार्टमेंट कसूर करे तो डिपार्टमेंट डिसमिस भी न हो, यह कौन सी बात है? खैर, डिसमिस न हो तो कम से कम मेरे मित्र कृष्णमाचारी जो जोर से कहें कि कामर्स डिपार्टमेंट ने बड़ी भारी गलती की, बड़ा भारी कसूर किया है, और ऐसा अब आगे वह नहीं करेगा। ऐसा वादा करें तो आप फिर जैसा चाहें इस को पास कर दें, नहीं तो इस को रोक देना चाहिये। बहुत बातों में तो जैसा डिपार्टमेंट चाहे हो जाता है, जो उधर से आता है यहां पार्लियामेंट में पास हो जाता है। लेकिन जहां इस तरह की बात हो वहां तो कम से कम मालूम होना चाहिये कि पार्लियामेंट सरकार के ऊपर है। कभी कभी तो ऐसा मालूम होना चाहिये। बराबर देखा जाता है कि पार्लियामेंट डिपार्टमेंट के इशारे पर है, जो कोई चीज डिपार्टमेंट कह देता है पार्लियामेंट वही कर देता है। यही हम देखते हैं। लेकिन आज अवसर आया है जब हम सब सहमत हैं। तो ऐसे वक्त तो मालूम होना चाहिये कि पार्लियामेंट कुछ है। मैं और अधिक नहीं कहता मगर यह कह देता हूं कि जब हम सब सहमत हैं तो कुछ होना चाहिये। तो तभी सहमत होने की कुछ कीमत होगी। वरना ड्रास्टिक या कुछ भी कह कर छोड़ दीजिये तो उस से काम नहीं होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): यह स्पष्ट है कि इस विधेयक के द्वारा एक अवैध चीज को वैध बनाया जा रहा है। विधि के अनुसार अधिसूचनाऐं १ मार्च १९५२ से लागू नहीं रही थीं। किन्तु १ मार्च से चार मासों तक वसूली की जाती रही है। अतः यह वसूली अवैध वसूली है। धारा ४क उप-धारा (१) में कहा गया है कि जब तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता हो तो सरकार एक अधिसूचना जारी कर के एक अस्थायी संशोधन करने का निदेश दे सकती है। मेरा निवेदन है कि "अस्थायी" शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह संसद् की शक्ति बनाये रखता है। यद्यपि आप कार्य पालिका को अधिकार प्रत्यायोजित करते हैं, तो यह प्रत्यायोजन सीमित होगा, अनियमित नहीं होगा। यह शब्द रखा जाना चाहिए ताकि कार्यपालिका की शक्ति पर संसद का नियन्त्रण बना रहे। मैं श्री भार्गव के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि धारा ४क की उपधारा (३) में "१९५२" के स्थान पर "१९५३" को रखा जाये ताकि अधिसूचना १ मार्च, १९५३ तक लागू रह सके। इस से सरकार की स्थिति भी नियमित हो जायेगी। उसे कोई हानि नहीं पहुंचती और इसके साथ ही शक्ति का यह अनियमित तथा असीमित प्रत्यायोजन भी वैध नहीं बन सकेगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़—पूर्व): यह ऐसा विषय है जिस पर मैं आवश्यक समझता हूं कि कुछ थोड़ा सा निवेदन करूं। जब जब यह विषय इस भवन के सामने आया तो इस विषय के एक पहलू पर हमेशा बहुत जोर दिया गया कि पार्लियामेंट के अधिकार सरकार को न

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

दिये जायें और यह कि इस तरह से अधिकार दे देने के पश्चात् बहुत सी दिक्कतें पड़ सकती हैं और कभी कभी उस अधिकार का दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन फिर कोई रास्ता न निकाला जाये तो बहुत सी दिक्कतें सरकार के सामने भी आती थीं अगर इस तरह का अधिकार न दिया तो हमेशा फिर यही सूरत रह जाती थी कि सरकार कोई न कोई बिल लाये, विधेयक पार्लियामेंट के सामने लाये और उस को पास कराये। इस तरह काम करने में बड़ी दिक्कत पड़ सकती है। उस कठिनाई को दूर करने के लिये जब जब यह प्रश्न हमारी सरकार के सामने आया तो कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश की गयी, जैसा कि हम ने रिपोर्ट में भी देखा और जिस का हवाला भी दिया गया।

लेकिन अब यह जो अधिकार मांगा जा रहा है मैं समझता हूं कि इस तरह का अधिकार दे देना उचित नहीं होगा और मैं अपने जो अन्य माननीय मित्र हैं उन से सहमत हूं कि इस सम्बन्ध में थोड़ा सा प्रतिबन्ध होना आवश्यक है। वह प्रतिबन्ध समय का हो सकता है। इसलिये सब से आसान चीज जो इस में हो सकती है वह यह है कि, जैसा भार्गव जी ने तजवीज़ किया बजाये सन् १९५२ के वह सन् १९५३ कर दी जाये। इस में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी। सब-सैक्शन ३ में बजाय सन् १९५२ के सन् १९५३ कर दिया जाये। इतने से ही काम बन सकता है। जैसा कि चटर्जी साहब ने फ़रमाया उस लेहाज से भी यह आवश्यक है कि इस तरह का अधिकार सरकार को रहे। वरना जैसी दिक्कत उन्होंने बताई और जो सन्देह उन्होंने प्रकट किया वह हो सकता है कि चार महीने से बिला किसी अधिकार के वसूलयाबी हो रही है। यह बहुत सन्दिग्ध प्रश्न है कि इसके यह माने लगाये जा सकते हैं। परन्तु तो भी ऐसा प्रश्न काहे को उठे? अगर हम रास्ता यही रखें कि पार्लियामेंट के सामने कानून बन कर आवे तभी बसलयाबी हो सके और इस पर कार्यवाही की जा सके तो मैं समझता हूं कि वह बड़ा कठिन रास्ता है और उस में हमेशा अड़चनें और दिक्कतें पड़ा करेंगी। उन अड़चनों से बचने के लिये और ऐसे सन्देह से बचने के लिये जैसा कि चटर्जी साहब ने अभी हाउस के सामने निवेदन किया मैं समझता हूं कि आवश्यक यह है कि अधिकार तो ज़रूर दिया जाये लेकिन उस अधिकार के देने में समय का वह प्रतिबन्ध रखा जाये जो कि तजवीज़ किया गया है। और एक थोड़े से संशोधन से हमारा काम हल हो जाता है और वह संशोधन, जैसा मैं ने निवेदन किया यह है कि सिर्फ ५२ को ५३ कर दिया जाये।

एक तजवीज़ और भी हमारे सामने आई है। मैं समझता हूं कि अगर उस का कोई तरीक़ा निकल सके तो बड़ा सुन्दर है। इस से पूरे तौर पर वह मतलब तो नहीं निकलता है, लेकिन ऐसे मामलात, ऐसे प्रश्न प्रायः हमारे सामने, इस भवन के सामने, आ जाया करें और उन के प्रसंग में जो त्रुटियां हुआ करती हैं उन त्रुटियों पर हम विचार करके संशोधन कर दिया करें, उन के बारे में इस भवन की राय प्रकट हो जाया करे तो आसानी से सुधार हो सकता है और मेरी समझ में जो बड़ी बड़ी ग़लतियां अक़सर हो जाती हैं और यह कोई नयी बात नहीं है, उनका भी सुधार होता जाये और आयन्दा के लिये,

ऐसी ग़लतियों के लिय, लोग सचेत होते जायें। मैं निवेदन करूंगा कि यह अधिकार देना आवश्यक है, उस तरमीम के साथ जो कि भार्गव जी ने उपस्थित की है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं अपने माननीय मित्र डा० मुखर्जी को, जो कि साधारणतया समर्थन नहीं करते उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। किन्तु मैं यह चाहता था कि ऐसा करते हुए वे मुझे इस विधेयक के कार्यक्षेत्र को एक सीमित अवधि के लिय सीमित करने के लिये न कहते।

मेरे माननीय मित्र श्री मोरे ने एक प्रश्न पूछा था, जिस का मैं उत्तर दूंगा। मेरे विचार में उन का प्रश्न इस प्रकार पूछना चाहिए कि यदि सदन इस विधेयक को पारित नहीं करता, तो सरकार को क्या हानि होगी ? सरकार को लगभग एक करोड़ ६३ लाख रुपये की हानि होगी।

कहा गया है कि सरकार की ओर से बहुत उपेक्षा की गई है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि यह आय किन किन शुल्कों से हुई है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास वनस्पति के तेल, तिलहन, मूंगफली और कपड़े के बारे में कुछ आंकड़े हैं। इन से प्रकट होता है कि इन पर शुल्क लगाने से कितनी आय हुई है। धारा ४क के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के अनपेक्ष ये शुल्क वसूल किये जा सकते थे। अतः जो शुद्ध हानि होगी और इस विधेयक के पारित न किये जाने की अवस्था में, जो राशि वापस करनी पड़ेगी वह लगभग १६३ लाख रुपये होगी।

यह कहा गया है कि सरकारी तन्त्र की ओर से उपेक्षा हुई है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मैं स का उत्तरदायित्व लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं ; यद्यपि बात यह है कि इस विधेयक को पारित कराना वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के क्षेत्र में आता है, किन्तु शुल्कों का वास्तविक प्रशासन एक बिल्कुल भिन्न मंत्रालय द्वारा होता है। यह सच है कि इस मामले में चूक हुई है और यह ठीक ठीक कहना बहुत कठिन है कि दायित्व किस पर है। बहुत संभव है कि स्वयं हम ही, सरकार ही उत्तरादयी है, क्योंकि हम ने धारा ४क की उपधारा (३) में दिया हुआ उपबन्ध स्वीकार किया है और यह उपबन्ध इस विशिष्ट खंड के प्रवर्तन की अवधि को सीमित करता था। इस का वित्तीय वर्ष या किसी अन्य प्रकार के वर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं सिवाय इसके कि यह एक तदर्थ दिन है। मैं उत्तरदायित्व अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। चाहे मेरा मंत्रालय उत्तरदायी है या वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग, यह बात कुछ महत्व नहीं रखती। इस का उत्तरदायित्व सरकार पर है और मैं अवश्य (**एक माननीय सदस्य** : सामूहिक उत्तरदायित्व) इसे स्वीकार करता हूं। मैं यह नहीं कहता कि इस के लिए कोई जिम्मेदार नहीं और जब तक कि मैं उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूं, सदन का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं कि उपेक्षा किसी मंत्री की ओर से हुई या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे माननीय मंत्री ने मेरे एक भाषण की ओर निर्देश किया था। श्री बंसल एक नये सदस्य हैं और उन्होंने मेरे भाषण को गलत उद्धृत किया है। यह कार्यपालिका आदेश द्वारा संरक्षणात्मक शुल्क आरोपण के बारे में था। मैं उन दो हालतों में एक बहुत

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

महत्वपूर्ण भेद करना चाहूंगा जब उचित जांच किये बिना राजस्व के प्रयोजनों के लिए या संरक्षणात्मक प्रयोजनों के लिए संरक्षणात्मक शुल्क लगाये जाते हैं और जब निर्यात शुल्क उस अवस्था में लगाये जाते हैं जब कि इस देश के उपभोक्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि जब एक आर्थिक बुराई को दूर करना होता है।

श्री बंसल : यह 'बिना उचित जांच' का प्रश्न नहीं है क्योंकि आयात शुल्क तटकर आयोग के प्रत्यावेदन के बाद लगाये जाते हैं। मैं ने गलत उद्धरण बिलकुल नहीं दिये हैं। मैं तो शासकीय वृत्तांत में से पढ़ रहा था और गलत उद्धरण नहीं कहा जा सकता। इस विषय में, मैं अध्यक्ष महोदय का आश्रय लेता हूं। दूसरी बात यह है कि क्या किसी अवसर पर उन के भाषण को उद्धृत नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने पहले एक वक्तव्य दिया था किन्तु किसी अन्य सदस्य की तरह अपनी राय बदल भी सकते हैं। इससे कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती।

श्री टी० टी कृष्णमाचारी : मुझ खेद है कि मेरे युवक मित्र ने गलत समझा वह उद्धरण एक ऐसे विधेयक के बारे में था जो कि मेरे बाईं ओर बैठे हुए माननीय मित्र ने प्रस्तावित किया था और जो संरक्षणात्मक शुल्कों के लिए था। इसी कारण मैं ने कहा था कि उद्धरण संगत नहीं है। मुझ कुछ भय था कि १९५० में मैं ने इस विधेयक पर भाषण किया होगा। मुझे कुछ कुछ याद आता है कि मैं उस समय बिल्कुल स्वस्थ नहीं था। किन्तु मैं ने उस चर्चा में भाग अवश्य लिया था। मेरे विचार में वह कोई विधी का प्रश्न था, जिसको मेरे माननीय मित्र डा० अम्बेडकर ने निपटाया था। मुझे स्मरण है कि मैं ने उस चर्चा में भाग लिया था, किन्तु मेरे विचार में मैं काफी सावधान रहा कि कोई ऐसी बात न कह दूं जिसे बाद में इस समय मेरे विरुद्ध प्रयोग किया जाय। किन्तु इस बात का कोई महत्व नहीं। मान लीजिये कि मैं ने यह कहा भी था, तो मैं अपनी राय बदल सकता हूं। कुछ भी हो, मैं ने माननीय सदस्य पर कोई आक्षेप नहीं किया था। मैं ने केवल यह कहा था कि उन की बात संगत नहीं है।

प्रश्न अब एक चीज़ पर निर्भर रह जाता है अर्थात 'अस्थायी' शब्द को क्यों हटाया जाय। मैं कोई वकील नहीं हूं। (**एक माननीय सदस्य** : भगवान का शुक्र है) किन्तु यह तो एक भिन्न प्रकार का मामला है और कई बार मैं सोचता हूं कि यदि मैं वकील होता तो अच्छा होता। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि श्री चटर्जी जैसे प्रख्यात न्यायज्ञ भी एक ऐसे विचार को स्पष्ट करने के लिये बोलते हैं जो कि मेरी राय में न तो संगत है और न ठहर सकता है। वे कहते हैं कि 'अस्थायी' शब्द बहुत आवश्यक है। किन्तु मैं नहीं समझ सकता कि कैसे क्योंकि अधिकार का प्रत्यायोजन स्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से किया जा सकता है। निस्संदेह मेरे माननीय मित्र विधि तथा अधिकारों के प्रत्यायोजन के बारे में सब कुछ जानते होंगे फिर भी मैं नहीं समझ सकता कि यह अस्थायी के सिवा और क्या हो सकता है। यदि कार्यपालिका इस प्रत्यायोजित अधिकार का प्रयोग करती है और निर्यात शुल्क लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी करती है, तो इसे फिर संसद के सामने रखा जायेगा। कार्य-

पालिका को केवल यह लाभ होगा कि वह अधिसूचना के जारी होने से इस के संसद के सामने रखे जाने तक की अवधि में शुल्क इकट्ठा कर सकेगी। संसद कह सकती है कि "नहीं, हम आप को एसा करने की आज्ञा नहीं देते ; अधिसचना को रद्द कर देना चाहिए"। अतः मेरे विचार में अधिसूचना का अस्थायिव बना रहता है। चाहे यह अधिकार स्थायी रूप से और विधि का अंग बनाकर दिया जाता है या नहीं, कार्यपालिका जो कार्यवाही करेगी वह स्वयमेव अस्थायी होगी। मुझे आश्चर्य है कि एक प्रख्यात न्यायज्ञ और वकील ने ऐसा कहा है।

श्री एस० एस० मोरे : जैसा कि मार्च, १९५२ में हुआ था, इस अधिसूचना को रद्द किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है, किन्तु जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अधिसूचनाएं अपने आप ही स्थायी रूप से लागू रहेंगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यदि संसद अधिसूचना का अनुसमर्थन नहीं करती तो यह समाप्त हो जाती है। अतः सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बिल्कुल अस्थायी ही होगी।

पंडित ए० आर० शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम): यदि 'अस्थायी' शब्द विधेयक में रखा जाये, तो क्या हानि होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं अभी इस बात की चर्चा करूंगा।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने दूसरी बात यह कही है कि अनुच्छेद १२३ के अन्तर्गत सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। मैं समझता था कि एक वकील और उच्च-न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश अध्यादेश के विचार का ही विरोध करेगा। यह सच है कि यदि हम अपनी गलतियां देख लें, तो इस विधेयक के बिना ही एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यह बिल्कुल सच है कि यदि हम अध्यादेश ही जारी करते हैं, तो इन अधिकारों को लेने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मेरे माननीय मित्र यह भी स्वीकार करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद १२३ के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के लिए, जब संसद विसर्जित होती है तो इस का सत्रावसान करना पड़ता है, क्योंकि अध्यादेश को जारी करने के लिये यह आवश्यक है कि उस समय सत्र न हो रहा हो। यह एक ऐसा सुझाव है जिसे कोई सरकार साधारणतया स्वीकार कर सकती है क्योंकि यह मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी जैसे प्रख्यात वकील की ओर से दिया गया है। किन्तु यदि मेरे जैसा व्यक्ति जो कि वकील नहीं है, सदन की उस ओर होता, तो इस प्रकार का सुझाव न देता। मैं तो सरकार के सामने यह विचार भी न प्रकट करता कि सरकार संसद की स्पष्ट मंजूरी से अधिकार प्राप्त करने के बजाय अध्यादेश जारी करे और इस प्रयोजन के लिए संसद का सत्रावसान कर दे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अध्यादेश तो कोई भी पसन्द करता।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि मैं वकील होता, तो इस प्रकार के विचार से मेरी अन्तरात्मा को बहुत धक्का पहुंचता। किन्तु वकील न होते हुए भी मुझे इस से अधिक दुःख होता है। यह बिल्कुल भिन्न चीज है। वकील जीवन का अप्रिय पहलू ही देखते हैं। अतः उन्हें इस प्रकार की चीजों से दुख नहीं होता जैसा कि मेरे जैसे सामान्यजनों को होता है।

प्रश्न वास्तव में यह है कि क्या इस विधेयक द्वारा दिये जाने वाले अधिकार

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

को कुछ अवधि के लिए सीमित किया जाये या इसे स्थायी रूप से विधि का अंग बनाया जाये और इस पर उपधारा (२) में उल्लिखित उपबन्धों का प्रतिबन्ध भी लगाया जाये। मेरे विचार में यह प्रतिबन्ध बहुत क्रियाकारी प्रतिबन्ध है। इस विषय में, संसद कार्यपालिका द्वारा मांगे गये अधिकार को देने से इन्कार कर सकती है। कार्यपालिका द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी वह अधिसूचना के जारी होने से इसे संसद के सामने रखे जाने तक की अवधि में ही की जायेगी। जैसा कि उप-धारा (२) में कहा गया है, यह अवधि लम्बी नहीं हो सकती। इस प्रश्न का निर्णय सदन ने करना है।

मेरे माननीय मित्र श्री तुलसी दास किलाचन्द ने कहा है कि यह तिथि १ मार्च, १९५३ होनी चाहिए। मैं नहीं समझ सकता कि यह तिथि विशेष रूप से शुभ कैसे है। यदि मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि इस समय सब चीज़ यथाक्रम हो रही है, व्यापार सामान्य रीति से हो रहा है, विश्व मूल्य भारतीय मूल्यों के समान हैं, अतः किसी निर्यात शुल्क के लगाने की संभावना नहीं है, तो मैं यह कहूंगा कि यह अधिकार सदा के लिए आवश्यक नहीं है यह केवल ६ मास की अवधि के लिए आवश्यक है, क्योंकि संभव है कि मेरा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए एक या दो वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाने का विचार हो। किन्तु संसार में ऐसा नहीं होता।

मैं अपने माननीय मित्र श्री तुलसी दास किलाचन्द या श्री बंसल के विरोध को समझता हूं। उन का प्रश्न यह है कि यदि ये अधिकार न हो तो क्या होगा? उत्तर यह है कि व्यापारी धन कमायेंगे। उदाहरणतः मैं आप को जून १९५२ के अन्तिम सप्ताह के कुछ वस्तुओं के मूल्य बतलाता हूं, जैसा कि ये इस देश में और अन्य देशों में थे :

मूंगफली—भारत में २० रुपये १५ आने प्रति मन।

सिंगापुर में ४८ रुपये २ आने प्रति मन।

अलसी —भारत में ५८० रुपये प्रति टन, ब्रिटेन में ९७४ रुपये प्रति टन।

रेंडी का तेल—भारत में ११२० रुपये प्रति टन।

ब्रिटेन में २१५० रुपये प्रति टन।

मिस्र में ४००० रुपये प्रति टन।

अलसी का तेल—भारत में १३६० रुपये प्रति टन

ब्रिटेन में १८६५ रुपये प्रति न।

लंका में ३४०५ रुपये प्रति टन।

मिस्र में २७३५ रुपये प्रति टन।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को व्यापारी समुदाय से इतनी सहानुभूति है कि वे उस अन्तर को जो भारत के मूल्यों और अन्य देशों के मूल्यों में हैं, मिटा देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से वे उन्हीं सिद्धान्तों को हानि पहुंचा रहे हैं, जो कि उन्हें प्रिय हैं।

श्री एस० एस० मोरे : विरोधी पक्ष के किसी माननीय सदस्य ने यह सुझाव नहीं दिया कि इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं होने चाहिएं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं इस प्रकार की कृपा के लिए सदा आभारी होता हूं और मैं अपने माननीय मित्र श्री मोरे का भी आभारी हूं जिन्होंने कहा है कि अधिकार अवश्य देना चाहिए । मैं यह नहीं चाहता कि मेरी माँग को केवल मौन सहमति से स्वीकार किया जाये, बल्कि चाहता हूं कि श्री मोरे इस बात में भी समर्थन करें कि न केवल १ मार्च १९५३ के अन्त तक बल्कि सदा के लिए इस देश के किसी व्यक्ति को उस अन्तर को जो भारत के मूल्यों और अन्य देशों के मूल्यों में हैं मिटाने की आज्ञा न हो । मैं विरोधी पक्ष से इस प्रकार का समर्थन चाहता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : सदा के लिए नहीं । प्रश्न तो कार्यपालिका सरकार को शक्ति प्रदान करने का है और हम इसके विरुद्ध हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उदाहरणतया यदि मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द का पता चल जाये कि मेरा कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाने का बिचार है तो वे संभवत: उन का अनुचित संग्रह करने की चेष्टा करेंगे ताकि वे उन्हें भारत से किसी अन्य देश को भज सकें ।

श्री तुलसीदास : मुझ खेद है कि माननीय मंत्री ने एक ऐसा उद्धरण दिया है जो उन्हें नहीं देना चाहिए था । मैंने यह कभी नहीं कहा कि निर्यात शुल्क नहीं लगाना चाहिए । मैं ने केवल यह कहा था कि इसे लगाने का अधिकार केवल एक सीमित अवधि के लिए होना चाहिये, सदा के लिए नहीं । यहां के और अन्य स्थानों के मूल्यों की ओर निर्देश करने की आवश्यकता नहीं । यदि यहां मूल्य कम हैं और अन्य देशों में अधिक हैं, तो निर्यात शुल्क लगाना चाहिए, अन्यथा आप इस समस्या का हल नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का अभिप्राय यह है कि यदि संकट काल में अधिकार न दिया गया बल्कि १९५३ या १९५४ तक सीमित रखा गया, तो उस अवधि के बाद क्या होगा ?

श्री तुलसीदास : यह अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जहां तक सरकार के हितों का सम्बन्ध है, वह चाहते हैं कि मूल्यों का अन्तर मिट जाये और यह सरकार के हाथों में आये । उन्होंने यह भी ठीक कहा है कि अन्यथा यह अन्तर उद्योग या व्यापारियों की जेबों में जायेगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने केवल एक उदाहरण दिया था । मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र तेल या इस प्रकार की किसी अन्य चीज़ के बार में रुचि नहीं रखते । विषय वास्तव में यह है कि यह प्रतिबन्ध जिसे लगाने का इरादा है एक निरर्थक प्रतिबन्ध है, क्योंकि प्रतिबन्ध तो पहले से ही विद्यमान है । यदि सरकार कल किसी वस्तु पर निर्यात शुल्क लगा देती है और फिर उस प्रयोजन के लिए अधिसूचना जारी करके संसद् से निवेदन करती है और संसद यह कहती है कि "नहीं, हम आप को अधिकार नहीं देगें" तो मामला समाप्त हो जाता है । जैसा कि मैं ने कहा था यह प्रतिबन्ध थोड़े से समय के लिए है, किन्तु इसे संसद् द्वारा हर अवस्था में और हर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

एक अलग अलग मामले में लगाया जा सकता है। १९५० में इस संशोधन को, कि इसे १ मार्च, १९५२ तक सीमित किया जाये स्वीकार करने का यह अरुचिकर फल निकला है कि इसे प्रस्तावित एक मंत्रालय को करना पड़ता है, और कार्यान्वित दूसरे मंत्रालय को करना पड़ता है। ऐसा करते करते कुछ असावधानी हो जाती है और यह कानूनी राय दी जाती है कि जब तक विधेयक पुनः संसद् के सामने न रखा जाये और जब तक संसद् इसे पारित न करे, तब तक पिछली कार्यवाही का नियमानुकूल नहीं बनाया जा सकता। यह पग इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिये उठाया गया है और इस से संसद् के अधिकार कम नहीं हो जाते। यह कहने से कि यह १९५३ या १९५४ तक लागू रहेगा, संसद् के अधिकारों में वृद्धि नहीं होती।

कुछ भी हो, मैं माननीय श्री तुलसीदास किलाचन्द के इस संशोधन को कि इसे १९५३ तक सीमित किया जाये, स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में, विशेषज्ञों का कहना है कि मन्दी आने वाली है और आर्थिक उथल पुथल होने वाली है। इन परिस्थितियों में सरकार अनुभव करती है कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : भविष्य की अधिसूचनाओं के बारे में ऐसा हो सकता है। उन्हें जारी करने के बाद संसद् के समक्ष रखना पड़ेगा और इस का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। उस समय संसद् को उन में संशोधन करने या उन के प्रवर्तन को सीमित करने का अधिकार होगा। किन्तु इन दो अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में जिन की अवधि बढ़ाई जानी अपेक्षित है संसद् को, इस अवसर के सिवा, इस के प्रवर्तन के सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा। मेरे विचार में विरोधी पक्ष इसी लिए इसे सीमित करने की चेष्टा कर रहा है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन चार वस्तुओं के सम्बन्ध में किसी बिल्कुल ही भिन्न चीज़ की आवश्यकता है। यह स्थायी नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि सरकार से जो चूक हुई है, संसद् उसका परिमर्ष कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु यह तो भविष्य में भी प्रवर्तित रहेगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह जारी रहेगा। वास्तव में, परिमर्ष के कारण ही यह जारी रहेगा।

दूसरा प्रश्न खंड २ (ख) की धारा ४क की उपधारा (३) की भाषा का है। ऐसा क्यों? सरकार क्यों शुल्क को कम करे या इस में परिवर्तन करे? जैसा कि मैं ने कहा था, अधिकार तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा २१ के अन्तर्गत पहले ही मौजूद हैं। २ भारतीय बहिः शुल्क अधिनियम की धारा २३ भी सरकार को, जब भी वह चाहे शुल्क कम करने का अधिकार प्रदान करती है। वह मुक्त कर सकती है, कम कर सकती है। अधिकार तो पहले से ही मौजूद हैं और ये उन शुल्कों के सम्बन्ध में भी हैं जो कि राजस्व शुल्क हैं और जिन का सदन को उपभोक्ताओं के हितों का रक्षक होने के नाते बहुत ध्यान है। यदि निर्यात शुल्क न लगाया जाये, तो व्यापारियों को छोड़ कर इस देश के अन्य लोग अधिक धन नहीं कमा सकते। उपभोक्ता पर कोई प्रभाव

नहीं पड़ता। हम तो एक आर्थिक उपाय का प्रयोग करना चाहते हैं और जब भी मैं या मेरे माननीय सहयोगी वित्त मंत्री सदन से प्रार्थना करें, तो सदन को अनसमर्थन करने से इनकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। सरकार बिना सोचे समझे इस मामले में अग्रेतर पग नहीं उठायेगी। किन्तु अब किसी व्यक्ति की राय जानने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इस विषय में तत्काल ही कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह एक ऐसा मामला है जिस में सरकार संकोच नहीं कर सकती, और यह कार्यवाही कार्यपालिका ही करेगी, और कोई नहीं करेगा, क्योंकि इस में गोपनीयता आवश्यक है।

दूसरा प्रश्न इस के अस्थायी होने का है। आप अधिसूचना का अनुसमर्थन करने वाले संकल्प को अस्वीकार कर सकते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यदि किसी अवसर पर सदन यह इच्छा प्रकट करे, कि वह सरकारी कार्यवाही को पसन्द नहीं करता, तो सरकार इस प्रकार की अधिसूचना नहीं जारी करेगी। यह केवल संकट काल के लिए होगी। किसी ने सरकार को यह सुझाव दहीं दिया कि निर्यात शुल्क घटा दिया जाये। हमें व्यापार और आवश्यक विदेशी मुद्रा में हानि हो रही है। अतः हम ने इसे कम करके आधा कर दिया था और बाद में इस से भी कम कर दिया था। अब कोई यह नहीं कह सकता कि यह कम है। हम आवश्यक विदेशी मुद्रा से वंचित रहते हैं और उद्योग को हानि होगी। सरकार अच्छी तरह समझती है कि इसको इस प्रकार के विषय में अपना रुख बदलते रहना जाहिये। अतः मैं नम्रता से निवेदन करता हूं कि यह सुरक्षण जो कि धारा ४क के प्रवर्तन को एक विशिष्ट अवधि तक सीमित करता है, अनावश्यक ह, क्योंकि सुरक्षण पहले से ही मौजद है। सरकार जो भी कार्यवाही करेगी वह अस्थायी होगी, चाहे "अस्थायी" का शब्द हटा भी दिया जाये, क्योंकि अधिकार का प्रयोग तो केवल संकट काल में ही किया जायेगा और स्थायी रूप से विधि का अंग नहीं बन सकता जब तक कि उस विशिष्ट उद्योग के सम्बन्ध में संकट जारी नहीं रहता। इस धारा के केवल १ मार्च, १९५२ तक लागू रखे जान के कारण ह अब हम इस स्थिति में हैं कि हमें अपनी पिछली कार्यवाही के परिसर्ष के लिए सदन से क्षमा मांगनी पड़ रही है। अतः मैं नहीं चाहता कि पुनः ऐसा हो। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि लोगों के हितों की रक्षा की जायेगी और संसद् के अधिकारों में रत्ती भर भी कमी नहीं की जायेगी। हर बार हमें अनुसमर्थन के लिए आप से प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसे संसद् द्वारा जो कि एक सर्वप्रधान संस्था है अनुमोदित अथवा अस्वीकृत किया जाना होगा। मैं ने जो स्पष्टीकरण दिये हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता के बारे में इस सदन के अधिकतर सदस्यों के और सरकार की राय में कोई मौलिक भेद नहीं हो सकता, मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को, जो मैं न प्रस्तावित किया है, स्वीकार कर लेगा।

पंडित ए० आर० शास्त्री : आपने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तुलसी दास किलाचन्द के संशोधन के सिवा और कोई संशोधन नहीं हैं । इस सदन में प्रथा यह है कि जब तक प्रभारी मंत्री संशोधन को स्वीकार करने की इच्छा प्रकट न करें.....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने कह दिया है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या पूर्वसूचना की शर्त हटा दी जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर मत लिये जाने के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं पूर्वसूचना की शर्त हटा देता हूं ।

खंड २--(धारा ४क आदि में संशोधन)

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ की पंक्ति ८ से १३ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

'(ख) उपधारा (३) में "१९५२" इन अंकों के स्थान पर "१९५३" आदिष्ट कर दिया जायेगा'

इसका अर्थ यह है कि सारा खंड निकल जायेगा और उप-धारा (३) में "१९५२" के स्थान पर "१९५३" हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन सदन के समक्ष रखूंगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस से पहले कि आप ऐसा करें मैं एक बात कहना चाहूंगा । मैं नहीं कह सकता कि इस रूप में यह वास्तव में जोड़ा जा सकेगा ।

श्री तुलसीदास : मैं इस संशोधन पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं । मेरे संशोधन द्वारा उप-धारा (३) बनी रहती है । केवल "मार्च, १९५२ का पहला दिन", "मार्च १९५३ का पहला दिन" बन जाता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : इस से तो सारा विधेयक ही रद्द हो जाता है ।

श्री तुलसीदास : जी नहीं । मैं माननीय मंत्री को बतलाना चाहूंगा कि मैं निर्यात शुल्क में वृद्धि करने या उस के लगाने के विरुद्ध नहीं हूं । असाधारण समय में निर्यात शुल्क लगाना चाहिए किन्तु सामान्य समय में यह हटा देना चाहिए क्योंकि उस समय यह विदेशी क्रेताओं को नहीं देना पड़ता बल्कि हमारे अपने उत्पादकों को ही देना पड़ता हैं । हम देखते है कि अब स्थिति सामान्य होती जा रही है । यदि १ मार्च, १९५३ असामान्य स्थिति बनी रही, तो माननीय मंत्री अवश्य यह सुझाव दे सकते हैं कि अवधि एक या दो वर्ष तक बढ़ा दी जाये । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी । किन्तु कुछ न कुछ सीमा तो होनी चाहिए ताकि सामान्य समय आने पर हम निर्यात शुल्क जारी न रखें । अन्त में मैं यह भी कपना चाहूंगा कि यह कहना ठीक नहीं कि व्यापारियों ने निर्यात शुल्कों के आरोपण को कभी पसन्द नहीं किया ।

उपाध्यक्ष सहोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

पृष्ठ १ की पंक्ति ८ से १३ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ठ कर दिया जाये :

(ख) उप-धारा (३) में '१९५२" इन अंकों के स्थान पर "१९५३" आदिष्ट कर दिया जायेगा'।

श्री करमरकर: हमारे सामने जो संशोधक विधयक है बहुत उचित और हितकर है क्योंकि निर्यात शुल्क लगाने की प्रत्येक अधिसूचना संसद के समक्ष आयेगी और संसद संकल्प द्वारा इसकी पुष्टि कर सकती है या इस में संशोधन कर सकती है। अतः कोई सीमा या प्रतिबन्ध रखने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी अधिसूचना के प्रवर्तन में लाये जाने पर संसद जो भी संशोधन चाहे इस में कर सकती है। वह कह सकती है, कि "यह शुल्क एक वर्ष ६ मास या दो वर्ष या सदा के लिये लागू रहेगा"। अतः मैं समझता हूं कि सरकार की सामान्य अधिकार दिये जाने पर आपत्ति करना बिल्कुल निराधार है और हम इस संशोधन का विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १ की पंक्ति ८ से १३ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

'(ख) उप-धारा (३) में "१९५२" इन अंकों के स्थान पर "१९५३" आदिष्ट कर दिया जायगा"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खड २ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"विधयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय चाय नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

'भारतीय चाय नियन्त्रण अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २—(**धारा ३ आदि में संशोधन**)

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ट १, पंक्ति ८ में "अवधि के लिये जो कि निर्धारित की जाये" के स्थान पर "मनोनयन या निर्वाचन की तिथि से दो वर्ष की अवधि" आदिष्ट कर दी जाये।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अधिनियम स्वयं १९५५ में समाप्त हो जायेगा। कुल अवधि जिस के अन्दर कार्यपालिका इस समिति का कार्यकाल निश्चित कर सकती है केवल ३ वर्ष है। मैं ने अभी यह निश्चय नहीं किया कि इसे एक वर्ष या दो वर्षों के लिए बढ़ाया जाये। मैं चाहता हूं कि यह निर्णय कार्यपालिका ही करे। मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री पी० टी० चाको : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

खंड २ बिधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ४—(धारा २६ आदि पर नई धारा रखना)

श्री पी० टी० चाको : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति २२ में 'also' 'भी' के स्थान पर 'not' ('नहीं') रखा जाय।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक चाय बाग़ के मालिक को अधिक से अधिक ५ प्रतिशत बाग़ के पौधों को नई भूमि में लगाने का अधिकार है। मैं यह चाहता हूं कि यह अधिकार उस से लेकर चाय अनुज्ञप्ति दात्री समिति को क्यों दिया जाये किन्तु पुरानी प्रथा ही जारी रखी जाये। यदि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो यह बात हो जायेगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अनुसार मार्च १९५० से मार्च, १९५५ तक प्रति वर्ष दो प्रतिशत के हिसाब से पुरानी चाय को उखाड़ कर नई भूमि में लगाया जा सकता है। चाय बागों के मालिक पहले चाये अनुज्ञप्ति दाता बोर्ड से इसके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करते रहे हैं और उन्हें अब भी प्राप्त करनी चाहिये जिस से कि बोर्ड इस पर अपनी निगरानी रख सके। मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध विधेयक का एक बहुत आवश्यक अंग है। अतः मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : मेरे विचार में अब भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार की जांच करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इस पर समय समय पर बिचार किया जाता है।

श्री पी० टी० चाको : मैं अपने सशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन विधेयक

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम तथा अधिनियमसूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हुं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रबड़ (उत्पादन तथा विपणन) संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"रबड़ (उत्पादन तथा विपणन) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर वाद-प्रतिवाद की गुंजाइश नहीं और यह मद्रास सरकार की प्रार्थना पर प्रस्तुत किया गया है। रबड़ बोर्ड में इस समय उस का एक प्रतिनिधि है और वह चाहती है कि यह एक से दो कर दिये जायें उस की यह प्रार्थना पुरानी है और इस पर निरन्तर विचार किया जाता रहा है। सरकार की यह भावना थी कि अधिनियम के पुनरीक्षण के समय इस प्रार्थना को भी स्थान दे दिया जायेगा। इस समय अधिनियम के पुनरीक्षण होने की संभावना नहीं है। अतः बोर्ड में मद्रास सरकार का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इस का भी ध्यान रखा गया

है कि मद्रास सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले दो सदस्यों में से एक सरकारी होगा और एक गैरसरकारी । मैं आशा करता हूं कि अधिक चर्चा किये बिना सदन इस विधेयक को स्वीकार कर लेगा क्योंकि इस में किसी सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है और यह रबड़ बोर्ड के विधान में कोई परिवर्तन नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

> "रबड़ (उत्पादन तथा वियणन) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री नम्बियार (मयूरम): मैं ने माननीय मंत्री से एक प्रार्थना करनी है । यह सदा देखा गया है कि इस प्रकार के मामलों में श्रम से कभी परामर्श नहीं लिया जाता और न ही इसे कोई प्रतिनिधित्व दिया जाता है । मद्रास के प्रतिनिधि एक से बढ़ा कर दो कर दिये गये हैं । मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इन में से एक प्रतिनिधि श्रमिकों का होना चाहिए ।

१२ मध्यान्ह

श्री ए० एम० टामेस (ऐरणाकुलम): जब हमें रबड़ बोर्ड के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कहा जाता है तो हमें सरकार से यह जानने का अधिकार है कि रबड़ बोर्ड की सिफारिशों के प्रति सरकार का रवैया या रुख क्या रहा है । कुछ समय से एक धारणा प्रचलित हो गई है कि सरकार उत्पादकों की अपेक्षा निर्माताओं के हितों का अधिक ध्यान रखती है । मेरा सुझाव यह है कि मद्रास सरकार को उचित या अधिक प्रतिनिधित्व देना ही पर्याप्त नहीं है । बोर्ड की सिफारिशें भी सरकार को विदित होनी चाहिएं। मैं समझता हूं कि सरकार उत्पादकों के हितों का ध्यान नहीं रखती । बोर्ड की सिफारिशों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और उत्पादकों के हितों को भी अधिक ध्यान में रखना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : मैं ने कल यह प्रश्न उठाया था कि जब उद्योग (विनियमन तथा विकास) विधेयक पर चर्चा हो रही थी, माननीय मंत्री के पूर्वाधिकारी ने यह वचन दिया था कि वे बागों के उत्पादों को भी उन से सम्बन्धित अधिनियमों में उचित संशोधन कर के इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में ले आयेंगे । प्रतीत होता है कि यह कह कर कि उनका भारतीय रबड़ नियंत्रण अधिनियम पर पुनर्विचार करने का विचार नहीं है, माननीय मंत्री इस बचन को पूरा नहीं करना चाहते । परन्तु हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि इन उत्पादों से सम्बधित अधिनियमों को यथासंभव शीघ्र उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अनुकूल बनाया जाये ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : भारत में पैदा किये जाने वाले रबड़ का एक बहुत बड़ा भाग छोटे छोटे उत्पादकों द्वारा पैदा किया जाता है किन्तु रबड़ बोर्ड में इन छोटे छोटे उत्पादकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है जिस के परिणाम स्वरूप हर समय इन के हितों की उपेक्षा होती है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक पग उठायें ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलेरु) : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में मद्रास सरकार की

श्री बी० एस० मूर्ति

आवश्यकताएं क्या हैं, उस ने केन्द्रीय सरकार को कैसे विश्वास दिलाया है कि उन का एक प्रतिनिधि और होना चाहिए और बोर्ड में नया गैर-सरकारी सदस्य किन हितों का प्रतिनिधित्व करेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह स्पष्ट करना कुछ कठिन है । किन्तु बात यह है कि मद्रास सरकार दो प्रतिनिधि रखना चाहती है--एक गैर-सरकारी और एक सरकारी । सरकारी सदस्य वह इस लिए चाहती है कि मद्रास सरकार के हित सुरक्षित रहें । दूसरे प्रतिनिधि के बारे में, यह बहुत संभव है कि जैसा कि श्री चाको ने कहा है, वह छोटे छोटे उत्पादकों का प्रतितिधि होगा ।

जो अन्य बातें उठाई गई हैं उन के बारे में मैं यह कहूंगा कि हमारे इस विधेयक को प्रस्तुत करने का अर्थ यह नहीं है कि हम इन सब अधिनियमों को उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के कार्यक्षेत्र में लाने की आवश्यकत को अनुभव नहीं करते । मैं आशा करता हूं कि जब मैं इन अधिनियमों में छोटे छोटे संशोधन करने के लिए संशोधक विधेयक प्रस्तुत करूंगा, तो सदन इन्हें पारित करने की आज्ञा दे देगा । यह नहीं समझना चाहिए कि मैं देश के रबड़ उद्योग की स्थिति पर उचित ध्यान नहीं देता और मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे रबड़ उत्पादकों को पर्याप्त दाम नहीं दिये जाते किन्तु मैं अपने माननीय मित्रों श्री टामस और श्री चाको को आश्वासन देता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है । रबड़ के मूल्य के बारे में तटकर आयोग को निर्देश किया है और हम आशा करते हैं कि उस से शीघ्र ही एक रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी । फिर इस पर विचार किया जायेगा और अन्य अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार रबड़ उद्योग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव पग उठायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

"रबड़ (उत्पादन तथा विपणन) अधिनियम १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ और २ विधेयक का अंग बना लिगे गय ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय कम्पनी (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९१३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा ६१ ख में संशोधन करना है । मैं सारी धारा को नहीं पढ़ूंगा, किन्तु सार रूप में, वह धारा किसी सामान्य कम्पनी के संचालक को, उस कम्पनी के बोर्ड की सभा में किसी ऐसे संविदा या प्रबंध पर, जिस में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस का हित

निहित हो, या जिस से वह सम्बन्धित हो मत देने से रोकती है। इस विधेयक में अन्तर्निहित सिद्धान्त स्पष्ट ही है और वह यह है कि संचालक के निजी हितों का उस कम्पनी के हितों से जिस के बोर्ड का वह सदस्य है, संघर्ष न होने दिया जाये। यद्यपि यह एक बहुत अच्छा सिद्धान्त है, इसे कठोरता से लागू करने से कुछ हालतों में व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होने की संभावना है। चूंकि इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं, अतः हम ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इस उपबन्ध के प्रवर्तन में कुछ लचक लाने की आवश्यकता इस लिए हुई है क्योंकि हाल में सरकार ने भारत में आधुनिक तेल शोधन केन्द्र स्थापित करने के लिए स्टैंडर्ड वैक्युम आयल कम्पनी, दी एंग्लो-सैक्सन पैट्रोलियम कम्पनी और बर्मा आयल कम्पनी लिमेटिड के साथ समझौते किये हैं। इन समझौतों की एक शर्त यह थी कि ये विदेशी कम्पनियां भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियां बनायेंगी जिन में उन के साधारण हिस्से होंगे और भारतीय नियोजकों को संचयी अधिकरणीय हिस्सों के रूप में पूंजी का कुछ भाग देने का अवसर दिया जायेगा। इस व्यवस्था का एक आवश्यक पहलू यह है कि यहां बनाई जाने वाली सहायक कम्पनियों के प्रबन्ध में उक्त परिवर्द्धक कम्पनियों का बड़ा हाथ हो। साधारणतया ये सहायक कम्पनियों से विभिन्न प्रकार के संविदे करेंगे। यह देखा जायेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था से काम नहीं चलेगा जब तक कि धारा ९१ ख में संशोधन न किया जाये, क्योंकि इस की वर्तमान अवस्था में भारतीय कम्पनियों के बोर्ड वास्तविक रूप में क्रियाकारी नहीं हो सकेंगे। संचालकों की बहुसंख्या तेल कम्पनियों द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे अतः इस प्रकार के संविदों में, अर्थात् उन मूल कम्पनियों से किये गये संविदों में जिन से उन का सम्बन्ध है, उन का प्रत्यक्ष रूप से हित निहित होगा। इस लिए यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि संभवतः भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत वे सामान्य कम्पनियां जो कि समझौतों के अनुसार बनाई जानी थी, नहीं बनाई जा सकती जब तक कि वर्तमान वैधानिक उपबन्ध को ढीला न किया जाये। यह संभव है कि अन्य कम्पनियों में भी इस प्रकार की कठिनाइयां पेश आयें।

इन परिस्थितियों और इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही, कम्पनी विधि समिति ने एक हल निकाला है और वह यह है कि कम्पनी विधि को प्रशासित करने वाले प्रस्तावित केन्द्रीय प्राधिकारी को, यह अधिकार होना चाहिये कि वह किसी कम्पनी को इस धारा के लागू होने से छूट दे दे, यदि सरकार केन्द्रीय प्राधिकारी को सूचना दे कि इस प्रकार की छूट लोक हित में है। यह सिफारिश प्रतिवेदन के पृष्ठ ७३ पैरा ९८ के अन्त में दी गई है। इस समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने और फिर इन्हें क्रियान्वित करने में काफी समय लगेगा। अतः धारा ९१ ख में संशोधन करने के लिए एक अन्तर्कालीन विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है ताकि केन्द्रीय सरकार को—इस मामले में यह कोई प्राधिकारी नहीं बल्कि स्वयं केन्द्रीय सरकार ही होगी—उपयुक्त हालतों में सामान्य कम्पनियों को इस धारा के प्रवर्तन से छूट देने का अधिकार दिया जाये। सदन यह देखेगा कि संशोधन विधि के सारभूत उपबन्ध में, जो कि एक बहुत अच्छे सिद्धान्त पर आधारित है, कोई परिवर्तन नहीं करता, बल्कि केन्द्रीय सरकार को केवल छूट देने का अधिकार देता है और

[श्री सी० डी० देशमुख]

यह अधिकार सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में केवल तभी प्रयोग किया जायेगा जबकि इस प्रकार की छूट देना लोक हित में हो। जहां तक तेल कम्पनियों के साथ विशिष्ट समझौतों का सम्बन्ध है, जैसा कि आय-व्ययक चर्चा के दौरान में मेरे माननीय सहयोगी, उत्पादन मंत्री ने कहा था, सरकार को विश्वास हो गया है कि भारतीय भूमि पर एक तेल शोधन उद्योग स्थापित करने से भारतीय जनता को काफ़ी लाभ होगा और इसी लिए हम वांछनीय समझते हैं कि इस प्रकार की वैधानिक कठिनाइयां इस विधेयक द्वारा दूर कर दी जायें। अतः मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि:

> "भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९१३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर): मैं अपने माननीय मित्र द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है कि रक्षा मंत्रालय के एक सैनिक पदाधिकारी ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी प्रक्रिया के अनुसार सरकारी कारखानों तथा अन्य स्थानों पर तैयार किया हुआ सारा बेन्ज़ोल, एक आना प्रति गैलन लाभ की दर से बर्मा शैल कम्पनी को बेचा जायेगा। इस के फलस्वरूप यह कम्पनी ८ से १० आना प्रति गैलन का लाभ कमाती है और इस का उद्देश्य यह था कि बैन्ज़ोल या पैट्रोलियम के उपोत्पाद तैयार करने वाली फर्में लाभ न उठा सकें। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है? यह बड़े दुख की बात है कि जब भारत सरकार ने शासन संभाला तो उसने उन बहुत से प्रलेखों तथा संविदों की जांच नहीं की जो कि हमारी प्रभुता के विरुद्ध हैं। मैं यह चाहूंगा कि उत्पादन मंत्री इन तीनों समझौतों को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत करें। इन पर आज तक चर्चा नहीं हुई। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि माननीय वित्त मंत्री सदन को आज ही यह आश्वासन दे सकें कि ये समझौते भारत की प्रभूता के विरुद्ध नहीं हैं। और शान्ति या युद्धकाल में ये हमारे लिए बाधक नहीं होंगे।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

मैं मानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में तेल शोधन केन्द्रों के विषय में यह समझौते बनाये रखना आवश्यक है तथापि मैं यह नहीं चाहता कि भारत सरकार और किसी विदेशी कम्पनी के बीच में किये गये किसी संविदा से हम पराधीन हो जायें।

मोटे और दर्मियाने दर्जे के कपड़े के मूल्य

अध्यक्ष महोदय: अब हम मोटे और दर्मियाने दर्जे के कपड़े के मूल्यों के सम्बन्ध में अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर से उत्पन्न होने वाले विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण): मैं ने सदन में गत जून में मोटे तथा दर्मियाने दर्जे के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि के विषय में एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा था। उत्तर यह था कि वृद्धि तटकर पर्षद् की सिफारिशों के

अनुसार की गई है। किन्तु ये सिफारिशें पढ़ने से पता चलता है कि यह उनके बिल्कुल प्रतिकूल थीं। तटकरपर्षद ने यह सिफारिश की है कि वर्ष की चार तिमाहियों में से प्रत्येक तिमाही में मूल्य संशोधित किये जा सकते हैं। सरकार के उत्तर से स्पष्ट है कि जून में मूल्यों में जो वृद्धि की गई थी, वह रुई के मूल में बृद्धि पर आधारित नहीं थी बल्कि महंगाई भत्ता और निर्माण-व्यय की वृद्धि पर आधारित थी। माननीय मंत्री के उत्तर में कहा गया था कि मजदूरी स्तर में कुछ बढ़ गया था। किन्तु हम जानते हैं कि मई या जून में श्रम-व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई। तटकर पर्षद् की सिफ़ारिश के अनुसार एक तिमाही में केवल एक बार मूल्य संशोधित किये जा सकते हैं। किन्तु हम देखते हैं कि अप्रैल से जून तक की तिमाही में कपड़े के मूल्य तीन बार संशोधित किये गये हैं—पहली बार मई में जब कि ये घटा दिये गये थे, दूसरी बार जून में, जब कि ये बढ़ा दिये गये थे और तीसरी बार फिर जून में जब कि ये बढ़ा दिये गये थे। तीसरी वृद्धि १ जुलाई से लागू होनी थी। अतः १ जुलाई को हम ने देखा कि दर्मियानें दर्जे के. मोटे और महीन कपड़े के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है। मई में मूल्य घटाने से गरीब लोगों को जो लाभ हुआ था, वह जून में दो बार मूल्य बढ़ाने से उन के हाथों से छिन गया था। इस के अतिरिक्त तटकर पर्षद् की सिफारिश के विरुद्ध सुपरफाइन कपड़े के मूल्य में कमी कर दी गई है। वास्तव में शुल्क लगा कर इसे बढ़ा देना चाहिये था ताकि हानि को पूरा किया जा सके। मैं अन्य दस्तावेजों से भी सिद्ध कर सकता हूं कि जो भी पग उठाया गया है वह गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध उठाया गवा है और तटकर पर्षद् की स्पष्ट सिफ़ारिशों के विरुद्ध उठाया गया है। तटकर पर्षद् के प्रत्यावेदन के पृष्ट ४१ पर दी गई सिफ़ारिश के अनुसार मूल्यों को संशोधित करने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए थी किन्तु हम नहीं जानते कि ऐसी कोई स्वतंत्र समिति नियुक्त की गई थी या नहीं किन्तु माननीये मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि मूल्य जून के पहले भाग में प्रचलित मूल्यों के आधार पर कपड़ा आयुक्त द्वारा संशोधित किये गये थे। यदि जून के पहले सप्ताह के मूल्यों के आधार पर मूल्यों में वृद्धि की गई थी, तो पुनः वृद्धि जून में ही नहीं बल्कि जुलाई में की जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री संक्षिप्त रूप से स्थिति स्पष्ट करें।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह मामला इतना जटिल नहीं है जितना कि माननीय सदस्य ने बनाने की चेष्टा की है। उन्हों ने तटकर पर्षद् की रिपोर्ट से कुछ उद्धरण दिये हैं। मैं ने भी इस रिपोर्ट को पढ़ा है किन्तु मैं उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता जिन पर वे पहुंचे हैं। १९४८ में कपड़ा नियन्त्रण बोर्ड ने तटकर पर्षद — या जिसे अब तटकर आयोग कहा जाता है— के सामने कुछ सुझाव रखे थे, जो कि अब मान्य नहीं हैं क्योंकि वे पुराने हो चुके हैं। उन्हों ने तटकर पर्षद् की रिपोर्ट के पृष्ठ ४१ से यह उद्धरण दिया है कि यदि मूल्य संशोधित किये जाने हों, तो एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। मैं इस स्थिति से सहमत हूं। किन्तु यदि मूल्यों में संशोधन तटकर पर्षद् की सिफ़ारिशों के अनुसार रोककरण गुणक प्रणाली से किये जाने

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

तो इस प्रकार की समिति की आवश्यकता नहीं होती ।

माननीय मित्र को एक और ग़लतफ़हमी है । तटकर पर्षद् की सिफ़ारिशें केवल सरकार के पथ प्रदर्शन के लिए होती हैं और ये एक विधि के समान नहीं हैं जो कि संसद् द्वारा पारित की गई है और जिसकी सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती या जिसे बदल नहीं सकती । में ने अल्प सूचना प्रश्न इस लिए स्वीकार किया था कि लोगों के मन में जो गलतफ़हमी पैदा हो गई, उसे दूर किया जाये क्योंकि कुछ समाचार पत्रों ने अपने लेखों में यह लिखा था कि कुछ किसमों के कपड़ों के मूल्यों में ०·७ से २·५९ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, वह उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध है ।

सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत, कपड़ा आयुक्त ने तटकर पर्षद् के सूत्र से अनुसार मूल्य संशोधित करने ही थे । परन्तु मार्च के पहले सप्ताह में मूल्य लगातार गिर रहे थे । अतः उद्योग के परामर्ष के साथ यह निर्णय किया गया कि मार्च के अन्तिम सप्ताह तक वही मूल्य रहने दिय जाये । और इन्हें बाद में निश्चित किया जाये । मई में उद्योग ने कपड़ा आयुक्त से अभ्यावेदन किया कि व अधिक मूल्यों पर रूई खरीदते रहे हैं और यदि मूल्य गत मास के पहले सप्ताह में प्रचलित मूल्यों के अधार पर निश्चित किये गये, तो उद्योग को हानि होगी । कपड़ा आयुक्त ने सरकार के अनुमोदन के साथ यह सुझाव दिया था कि एक ऐसी योजना अपना ली जाये जिस के अनुसार रुई के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों की औसत निकाल ली जाये । इस तरह उपभोक्ता को भी कोई हानि नहीं होगी । किन्तु यह सुझाव उद्योग ने अस्वीकार कर दिया था ।

कपड़ा आयुक्त के लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि रोककरण गुणक सूत्र को प्रयोग में लाते हुए तटकर पर्षद् की सिफारिशों के अनुसार १५ किस्मों के कपड़ों के नये मूल्य घोषित कर दिये जायें । इस के फलस्वरूप कुछ किसम के कपड़ों के मूल्यों में कमी हो गई थी । उस समय उद्योग ने कपड़ा आयुक्त से कहा कि मजूरी १९४८ से दुगनी हो गई है, अतः निर्माण-व्यय को ध्यान में रखना चाहिए । वास्तव में यह वृद्धि १७·७५ प्रतिशत थी । अतः सरकार के लिए यह अनिवार्य था कि ०.७ से २.५९ प्रतिशत तक वृद्धि की जाये ।

अब प्रश्न यह था कि जुलाई में क्या किया जाये ? जुलाई में भी मूल्य घोषित करने थे और हम ने ये १० जून को अन्त होने वाले सप्ताह में प्रचलित मूल्यों के आधार पर निश्चित करने थे । जैसा कि बहुत से सदस्यों को जो जानते हैं कि कपड़ा कैसे बनता है, विदित है कि मोटे तथा दर्मियाने और ३६ से कम गिनती वाले दर्मियाने कपड़े में भारतीय रुई का प्रयोग किया जाता है, फ़ाइन तथा सुपरफाइन और ३६ से अधिक गिनती वाले दर्मियाने कपड़े में, विदेशी रूई का भी प्रयोग किया जाता है और विदेशी रुई के मूल्य घटते बढ़ते रहे हैं । जुलाई-सितम्बर की तिमाही में कपड़े के मूल्यों में जो उतार-चढ़ाव देखा गया है, बह विदेशी रुई के मूल्यों में उतार चढ़ाव के कारण हुआ है । अतः वास्तव में तटकर पर्षद् के सूत्र सिफ़ारिशों के विरुद्ध कोई पग नहीं उठाया गया । यह सूत्र आखिर कोई अटल विधि तो है नहीं । सरकार को कुछ फेरबदल करने का अधिकार है । मैं अपने माननीय मित्र

को आश्वासन दे सकता हूं कि इस में कोई धोका नहीं है। उद्योग की मांगों को ध्यान में रखते हुए, केवल उपभोक्ता के हितों को ही सुरक्षित रखने की चेष्टा की जाती है। मैं समझता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में अच्छा काम किया है।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली): मैं माननीय मंत्री से पहले यह पूछना चाहूंगा कि सीज़न के शुरू होने पर मिलों को रुई के कोटे जारी किये गये थे या नहीं और क्या उन पर अधिकतम या अधिकतम के लगभग मूल्यों पर रुई खरीदने के लिए दबाव नहीं डाला गया था। यह सत्य है कि १ मई से तटकर पर्षद् का सूत्र लागू किया था किन्तु इस सूत्र के अनुसार मिलें अपनी इच्छा के अनुसार रुई खरीद सकती हैं। अतः जब मिलों को अधिकतम मूल्यों पर अपनी रुई खरीदने के लिए वाध्य किया गया था, तो तटकर पर्षद् का सूत्र लागू नहीं करना चाहिए था।

मैं माननीय मंत्री से एक और प्रश्न भी पूछना चाहूंगा। वह यह है कि क्या सूती कपड़ा नियन्त्रण मंत्रणा समिति ने जिसके अध्यक्ष बम्बई के मुख्य मंत्री, श्री मोरार जी देसाई हैं, रूई के मूल्यों के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की थी और क्या सरकार ने उस सिफारिश को, जो कि उस ने अपनी २७ मई की बैठक में की थी क्रियान्वित किया था ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि १ जून को जो भी वृद्धि की गई थी क्या उस में बहुत बिलम्ब नहीं किया गया था। क्या यह वृद्धि बहुत पहले नहीं की जानी चाहिए थी और इस मामले में ईंधन, संग्रह आदि के व्यय को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया था ?

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य): हम नहीं जानते कि तटकर पर्षद् का सत्र क्या है और मूल्य किस तरीके से निर्धारित किये जाते हैं। हमें तो बढ़ते हुए मूल्यों की चिन्ता है। हम देखते हैं कि गरीब लोगों में खास कर श्रमिक लोगों में कपड़ा खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। हम यह भी देखते हैं कि श्रमिक अधिक मजूरी चाहते हैं और मिल मालिक अधिक लाभ चाहते हैं। सरकार को विभिन्न सम्बंधित हितों में संतुलन स्थापित करना होता है। तटकर पर्षद् के सूत्र की चर्चा न करते हुए, मैं माननीय मंत्री से केवल इतना कहूंगा कि वे ऐसे तरीके निकालें जिस से साधारण भारतीय जनता खास कर गरीब ग्रामीण जनता सस्ते दामों पर मोटा और दर्मियाना कपड़ा खरीद सके। यदि यह संभव नहीं तो मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह श्रमिकों विशेषकर भूमिहीन श्रमिकों के लिए मोटे और दर्मियाने कपड़े के मूल्य में साहाय्य देकर कमी कर दी जाये।

श्री रामजी वर्मा (जिला देवरिया-पूर्व): माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जो जवाब दिया उस को मैं ने बहुत ग़ौर से सुना लेकिन मुझे इस पर दुःख हुआ कि उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंट टैरिफ़ बोर्ड (तटकर पर्षद्) की सिफ़ारिश माननें के लिए बाध्य नहीं है। यह ठीक है। एक दूसरे भाई ने भी कुछ जवाब दिया है। मालूम होता है कि कपड़े के बनाने वालों को, मिल वालों को तो मौका है, कि वह अपने को गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट (अभ्यावेदन) कर सकें लेकिन जनता की, कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) की बात को कहने वाला कोई नहीं है। उन की बात सुनने के लिये अगर आप दो चार सदस्यों की कमेटी बना लेते तो अच्छा होता।

अभी हमारे ठाकुर सिंहासन सिंह ने कहा है कि कपास का दाम बढ़ा नहीं और

[श्री रामजी वर्मा]

चीज़ें बढ़ी नहीं, लेकिन कपड़े की कीमत दो दो मर्तबा बढ़ा दी गई है । तो आप इस तरह से कपड़े की कीमत बार बार बढ़ाते जाते हैं और यह कहते जाते हैं कि ऐसा कोई क़ानून नहीं है जो कि हम को टैरिफ़ बोर्ड की सिफ़ारिशों को मानने के लिये बाध्य कर सके । ठीक है । ऐसा कोई क़ानून नहीं है लेकिन जो जनता की इच्छा है और जो जनता की आवश्यकता है उस की आप को इस तरह से उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । आप को इस पर गौर करना चहिये । जब कपास की कीमत बढ़ी नहीं और कोई दूसरी परिस्थिति आई नहीं तो आप को इस तरह से दो दो मर्तबा कपड़े का दाम बढ़ाने का क्या हक़ है । आप को अधिकार है कि आप चाहे किसी की सिफारिश को मानें या ठुकरा दें, उसे सुनें या न सुनें, यह आप की मर्जी है, लेकिन आप का यह तरीक़ा ठीक नहीं है । आज जो यह आध घंटे बहस के लिये मंजूर किया गया है इस में मैं जनता की बात कहना चाहता हूं । अभी एक भाई ने इलेक्शन के समय का दावा और अपना अनुभव आप के सामने रखा है मैं भी आप के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आप जनता की आवश्यकताओं को यह कह कर ठुकराने की कृपा न करें कि आप को कोई क़ानून टैरिफ़ बोर्ड़ की सिफारिशों को मानने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है । यह आप के लिये अच्छा होगा और इस से ही मल्क का कल्याण होगा और जनता भी यह समझेगी कि वाकई इस मर्तबा जो जनता की तरफ़ से चुनाव हुआ है, पहला चुनाव हुआ है उस के अनुसार नयी पार्लियामेंट में हमारी बात भी सुनी जाती है, उस पर गौर किया है इस तरह से आप को टैरिफ़ बोर्ड की सब बातों को नहीं ठुकराना चाहिये । (इस समय घंटी बजी) मैं एक दो मिनट और लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के उत्तर के लिये समय नहीं रहेगा ।

श्री रामजी वर्मा : मैं अभी ख़त्म करता हूं । मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं, टैक्सटाइल कमिश्नर (Textile Commissioner) मोटे कपड़े की कीमत अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं । इस तरह से आप दाम बढ़ने दीजियेगा तो यह जो नौकरशाही कहलाती है उस की मनमानी करने की मनोवृति और बढ़ती है । इस तरह से तो अफ़सर जब चाहे दाम बढ़ा दिया करें । इस से जनता के हित का हनन होता है । इसलिये यह जो सवाल उठाया गया है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर फिर से गौर करेंगे और गवर्नमेंट भी इस पर खास तरह से गौर करेगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो प्रश्न मेरे माननीय मित्र और श्री एस० सी० दास ने उठाये हैं, उन के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि सरकार इस मामले में उतनी ही उत्सुक है जितना कि वे हैं । कठिनाई यह है कि हमें रुई के कम से कम मूल्य निर्धारित करने पड़ते हैं और निर्माण-व्यय एवं श्रमिकों की मज़दूरी को ध्यान में रखना पड़ता है । अन्त में हमें ऊंचे मूल्य ही निर्धारित करने पड़ते हैं । किन्तु मेरी इच्छा यह होती है कि इन्हें कम किया जाये ।

श्री सोमानी ने जो प्रश्न उठाये हैं, उन के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि जहां तक कपड़ा आयक्त का सम्बन्ध है, रुई

खरीदने में कोई अनिवार्यता नहीं है। आवंटन के बाद सम्बन्धित लोगों से कहा गया था कि वे छड़ाई ले सकते हैं। आखिर कपड़ा आयुक्त को उस समय ज्ञात नहीं था कि जरीला के मूल्य ८२० रुपये से ६१० तक गिर जायेंगे और यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह उन के जोखिम को दूर करे।

अधिक मूल्यों और कपड़ा नियन्त्रण समिति की मांग के बारे में, जैसा कि मैं पहले कहा है, उन के सामने कोटा की योजना रखी गई थी, किन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में उन्होंने कहा कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे किन्तु उस समय हम ने अनुभव किया कि यह उपभोक्ताओं के हित में नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सरकार अपनी ओर से सब के हितों को ध्यान में रखने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही है।

इस के पश्चात् सदन की बैठक वृहस्पतिवार, १७ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थागित हो गई।